खण्ड-125, अंक-3
बुधवार, 21 श्रावण, शक संवत् 1875
(12 अगस्त, 1953 ई0)

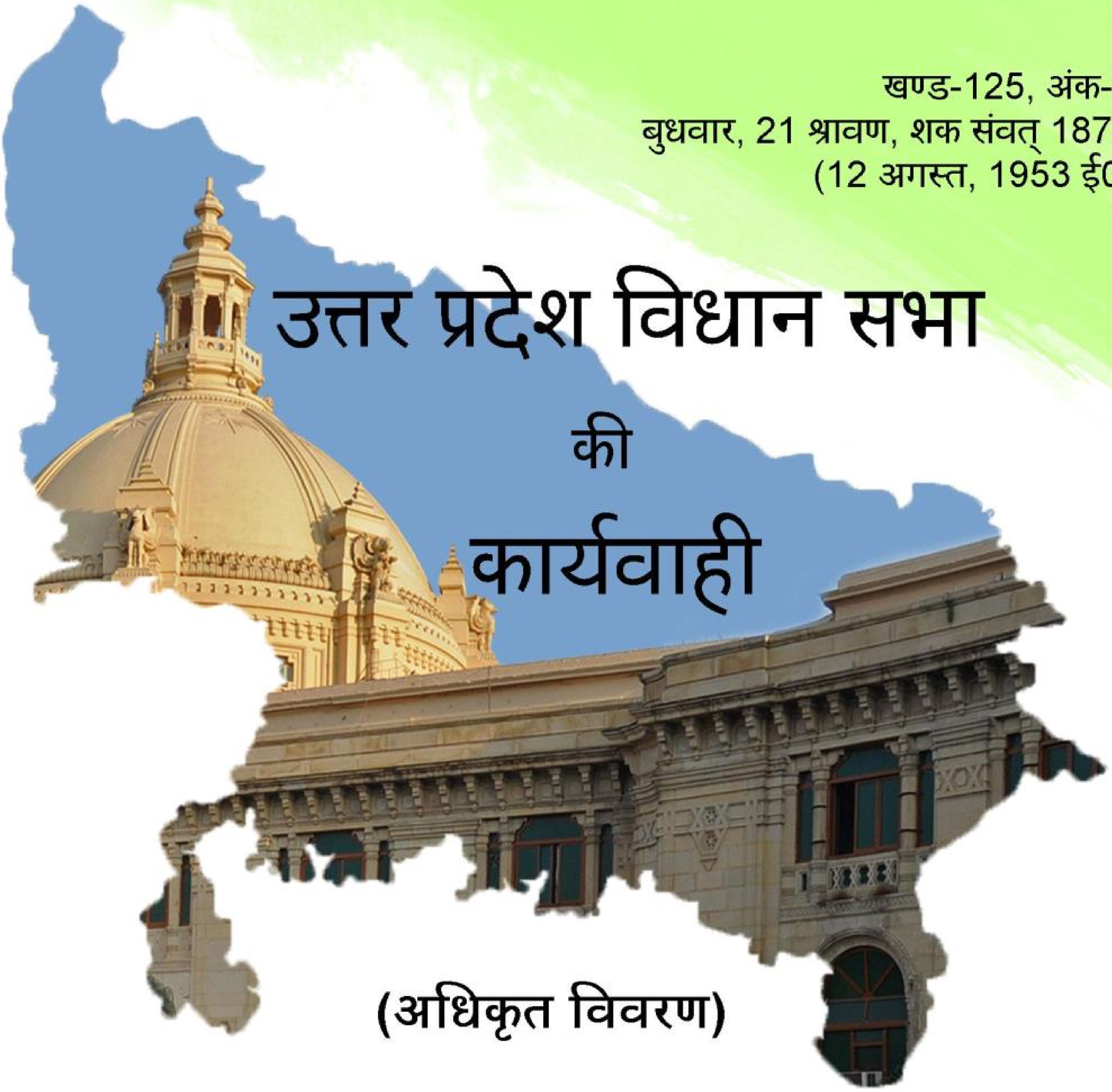

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 125 में 4 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५३

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय	पृष्ठ संख्या
उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) विधेयक, १९५३ (विचार जारी)	१६३–१६५
सार्वजनिक लेखा समिति के उपनिर्वाचन के संबंध में प्राप्त नाम निर्देशनों की वापसी के लिये नियत समय में वृद्धि ...	१६५
उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) विधेयक, १९५३ (विचार जारी)	१६५–१९४
विधान सभा के आगामी कार्यक्रम के संबंध में सूचना ...	१९४–१९५
उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) विधेयक, १९५३ (विचार जारी)	१९५
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कोर्ट के दो रिक्त स्थानों की पूर्ति के संबंध में प्राप्त नाम निर्देशनों की वापसी के समय में वृद्धि	१९५
उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) विधेयक, १९५३ (विचार जारी)	१९५–२०८
नत्थी...	२०९

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, १२ अगस्त, १९५३

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्मा राम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३६७)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अब्दुल रऊफ खां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अलीज़हीर, श्री सैयद
अवध शरण वर्मा, श्री
अवधेश चन्द्र सिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसरारुल हक़, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उल्फत सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैया लाल, श्री
कन्हैया लाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याणराय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किन्दर लाल, श्री
किशन स्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्ण चंद्र शर्मा, श्री
कृष्ण शरण आर्य, श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशव राम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खयाली राम, श्री
खुशी राम, श्री
खूब सिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगा प्रसाद श्री
गंगा प्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जू राम, श्री
गणेश चन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेश प्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारी लाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरु प्रसाद पांडेय, श्री
गुरु प्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोपी नाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गोविन्द वल्लभ पन्त, श्री
गौरी राम, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

घनश्याम दास, श्री
घासी राम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रभानु शरण सिंह, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्र सिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरण सिंह, श्री
चित्तर सिंह निरंजन, श्री
चिरंजी लाल जाटव, श्री
चिरंजी लाल पालीवाल, श्री
चुन्नी लाल सगर, श्री
छेदा लाल, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश सरन रस्तोगी, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
जवाहर लाल, श्री
जवाहर लाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीका राम, श्री
डल्ला राम, श्री
डालचंद, श्री
तुला राम, श्री
तुला राम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेज बहादुर, श्री
तेजा सिंह, श्री
दर्शन राम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाता राम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीप नारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मित्तल, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्म सिंह, श्री
धर्म दत्त वैद्य, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह, विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरीराम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पाती राम, श्री
पुत्तू लाल, श्री
पुद्दन राम, श्री
पुलिनबिहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभू दयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फजलुल हक, श्री
फतेह सिंह राणा, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसी दास, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री

बलवीर सिंह, श्री
बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री
बसन्त लाल, श्री
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बाबू नन्दन, श्री
बाबू लाल कुसमेस, श्री
बाबू लाल मीतल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्भर सिंह, श्री
बेचन राम, श्री
बेचन राम गुप्त, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीदीन तिवारी, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवान दीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवर जी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुरा प्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नी लाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेव प्रसाद, श्री
महाराज सिंह, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुजफ्फ़र हसन, श्री
मुन्नू लाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफ़िज़
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मुहम्मद सआदत अली खां, राजा
मोहन लाल, श्री
मोहन लाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणंजय सिंह, श्री
रतन लाल जैन, श्री
रमेश चन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्र प्रताप सिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजा राम मिश्र, श्री
राजा राम शर्मा, श्री
राजेन्द्र दत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधा मोहन सिंह, श्री
राम अधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
राम अनन्त पांडेय, श्री
राम अवध सिंह, श्री
राम किंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
राम कृष्ण जैसवार, श्री
राम गुलाम सिंह, श्री
राम चन्द्र विकल, श्री
रामचरण लाल गंगवार, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
राम दास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री

रामनारायण त्रिपाठी श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
राम प्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
लक्ष्मण राव कदम, श्री
लक्ष्मी देवी, श्रीमती
लक्ष्मी रमण आचार्य, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लताफत हुसैन, श्री
लाल बहादुर सिंह, श्री
लाल बहादुर सिंह कश्यप, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेख राज सिंह, श्री
वंशी दास धनगर, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विचित्र नारायण शर्मा, श्री
विजय शंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णु शरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र नाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र शाह राजा, श्री
व्रज भूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजबिहारी मिश्र, श्री
व्रज बिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकर लाल, श्री
शम्भू नाथ चतुर्वेदी, श्री
शांति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिव प्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिव राज बली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिव वचन राव, श्री
शिव शरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगन चन्द, श्री
श्याम मनोहर मिश्र श्री
श्याम लाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास पंडित, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्य सिंह राणा, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सावित्री देवी, श्रीमती
सिया राम गंगवार, श्री

सिया राम चौधरी, श्री
सीता राम, डाक्टर
सुखी राम भारतीय, श्री
सुन्दर लाल, श्री
सुरुजू राम, श्री
सुरेन्द्र दत्त वाजपेयी, श्री
सुरेश प्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य्य प्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्य बली पांडेय, श्री
सेवा राम, श्री
हनुमान प्रसाद मिश्र, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरखयाल सिंह, श्री
हरगोविंद पन्त, श्री
हरगोविंद सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरि प्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुना, श्री

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

कानपुर के आठ सूती मिलों से मजदूरों के निकालने की आज्ञा

*१—श्री सूर्य प्रसाद अवस्थी (जिला कानपुर)—क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि क्या यह सच है कि ११ जुलाई, १९५३ ई० को कानपुर के आठ सूती मिलों के संबंध में श्रम विभाग से मजदूरों के न निकालने आदि की जो आज्ञा जारी की गई थी, वह स्थगित कर दी गई ? अगर हां, तो क्यों ?

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—जी हां आज्ञा ११ जून, १९५३ को जारी की गई थी तथा २६ जून, १९५३ को मिलों के नियोजकों के संतोषजनक लिखित आश्वासन देने पर वापस ले ली गई।

*२—श्री सूर्य प्रसाद अवस्थी—क्या यह सच है कि कानपुर के इन आठ सूती मिलों की तरफ से नार्दन इंडिया इम्पलायर्स एसोसियेशन ने श्रम मंत्री को लिखित आश्वासन दे कर ११ जुलाई, १९५३ की आज्ञा को स्थगित कर देने की प्रार्थना की थी ? अगर हां, तो क्या श्रम मंत्री उस लिखित आश्वासन की प्रतिलिपि मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां लिखित आश्वासन की प्रतिलिपि मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २०९ पर)

श्री सूर्य प्रसाद अवस्थी—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि ऐसी कौन सी परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी जिसके कारण ११ तारीख को यह आज्ञा निकालनी पड़ी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—ऐसा प्रतीत हुआ कि कुछ कारखाने अपने मजदूरों को इस तरह निकालना चाहते थे कि जिसका परिणाम यह होता कि राशनलाइजेशन के संबंध में डाक्टर वंशीधर जो जांच कर रहे हैं वह बेकार हो जाती। इसलिये उसको रोकने के लिये यह आज्ञा निकालनी पड़ी।

श्री सूर्य प्रसाद अवस्थी—क्या माननीय श्रम मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस आश्वासन के बाद अब उन ८ मिलों की परिस्थिति क्या है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—चूंकि कोई शिकायत नहीं आई इसलिये जरूर संतोषजनक होगी ऐसा मानना चाहिये।

श्री सूर्य प्रसाद अवस्थी—क्या माननीय श्रम मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रश्न २ के उत्तर में जो आश्वासन दिया गया था उसमें कहा गया था कि 'स्टेटस-को' रहेगा तो वह किस तारीख से रहेगा?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जिस तारीख को लेबर कमिश्नर की आज्ञा के बिना मजदूर निकालेंगे उस तारीख को जो स्थिति रही वही वापस कर दी जायगी।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुना (जिला इलाहाबाद)—क्या माननीय श्रम मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन मजदूरों को यह भय हो सकता था कि वे निकाले जा सकते हैं क्या उनका वह भय खत्म हो चुका है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां। अब अन्डरटेकिंग के बाद कोई भय नहीं रहा।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या माननीय मंत्री जी बतलावेंगे कि यह ११ जूलाई, १९५३ की आज्ञा कितने मजदूरों से संबंध रखती है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इसका जवाब नहीं दिया जासकता इसलिये कि मिलों में हजारों मजदूर काम करते हैं। न जाने कौन निकाला जाता कौन नहीं निकाला जाता। इसको पहले से नहीं कहा जा सकता।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुना—क्या माननीय श्रम मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि डाक्टर वंशीधर द्वारा होनेवाली जांच कब तक समाप्त हो जायगी?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैं ठीक तारीख तो नहीं बतला सकता लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके समाप्त हो जाय।

श्री सूर्य प्रसाद अवस्थी—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कानपुर के सूती मिलों पर कोई स्टैंडिंग आर्डर लागू होता है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां, जहां तक मैं जानता हूं जरूर लागू होता है।

श्री सूर्य प्रसाद अवस्थी—क्या माननीय श्रम मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या उस स्टैंडिंग आर्डर के अनुसार दो महीने तक काम करने वाले मजदूर अब स्थायी समझे जायेंगे?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैं नहीं कह सकता। उसके लिये हर मिल के स्टैंडिंग आर्डर को देखना कि उसमें क्या लिखा है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या माननीय श्रम मंत्री जी कृपया बतलायेंगे कि डाक्टर वंशीधर जो जांच कर रहे हैं उसके टर्म्स आफ रिफरेंस क्या-क्या हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—यह तो मैं नहीं कह सकता कि इस प्रश्न से यह चीज पैदा होती है या नहीं लेकिन यह बात बहुत लम्बी चौड़ी है और बगैर नोटिस के मैं नहीं बतला सकता।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुना—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वंशीधर द्वारा होने वाली इस जांच के संबंध में मजदूर आंदोलन में काम करने वाले लोगों को राय देने के लिये बुलाया गया है या नहीं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां। शुरू में ही उनको सुविधा दे दी गयी थी और यह भी आश्वासन दिया गया है कि जब जांच पूरी हो जायगी तो जो कुछ भी रिजल्ट होगा वह मजदूर नेताओं के सामने रख दिया जायगा।

श्री बाबू नन्दन (जिला जौनपुर)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वह ८ सूती मिलें कौन सी हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इसके लिये सूचना की जरूरत पड़ेगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी कोई ऐसी आज्ञा निकालने का विचार कर रहे हैं कि जब तक वंशीधर रिपोर्ट पर विचार न हो जाय तब तक सूती मिलों के मालिक कोई रिट्रेन्चमेंट न करें ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जनरल रिट्रेन्चमेंट नहीं होगा लेकिन स्टैंडिंग आर्डर के अनुसार जो उनका अधिकार है वह तो है ही।

तारांकित प्रश्न

अलीगढ़ नगरपालिका की ड्रेनेज योजना

*१—**श्री नेक राम शर्मा** (जिला अलीगढ़)—क्या अलीगढ़ चुंगी ने सरकार के समक्ष कोई ड्रेनेज योजना भेजी है ? उस योजना के लिये कितना धन सरकार से मांगा है ?

स्वशासन मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)—जी हां। अलीगढ़ म्युनिसिपल बोर्ड ने (२६,६८,३०० रु०) रुपया इस योजना के लिये ऋण और अनुदान के रूप में मांगा है।

*२—**श्री नेकराम शर्मा**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५२-५३ में अलीगढ़ चुंगी को कितना रुपया ग्रांट और कर्ज के रूप में ड्रेनेज योजना के लिये दिया गया है ?

श्री मोहन लाल गौतम—वित्तीय वर्ष १९५२-५३ में सरकार ने १,२५,००० रुपये का ऋण तथा १,४०,००० रुपये का अनुदान दिया।

*३—**श्री नेकराम शर्मा**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त रकम में से कितना रुपया ड्रेनेज पर और कितना रुपया अन्य मदों पर खर्च किया गया ?

श्री मोहन लाल गौतम—इस धनराशि से अभी कुछ खर्च नहीं हुआ है। कुल रुपया इसी योजना पर व्यय होगा।

श्री नेकराम शर्मा—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि यह जो कर्जा दिया गया है उस करजे के लिये कोई शर्तें रखी गयी हैं और यदि रखी गयी हैं, तो वे क्या हैं ?

श्री मोहन लाल गौतम—कर्जा जो दिया जाता है उसके लिये वह कितने दिनों में अदा होगा वगैरह जो शर्तें हैं वह आम हैं। अलीगढ़ के लिये कोई खास शर्त नहीं रखी गयी है।

श्री नेकराम शर्मा—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जो यह रकम कर्जे की दी गयी है वह चुंगी के पास पहुंच चुकी है या नहीं ?

श्री मोहन लाल गौतम—जी हां, पहुंच चुकी है ।

श्री नेकराम शर्मा—क्या सरकार यह बतलाएगी कि शेष रकम उनको कब तक सरकार देने का विचार कर रही है ?

श्री मोहन लाल गौतम—ज्यों ज्यों बजट में इसका प्राविजन होता जायगा वह रकम सरकार देती चली जायगी ।

श्री नेकराम शर्मा—क्या सरकार बतलायगी कि यह ड्रेनेज का काम कब तक समाप्त हो जायगा ?

श्री मोहन लाल गौतम—यह तो इस बात पर मुनहसर है कि जब २६ लाख ६८ हजार रुपया अलीगढ़ म्युनिसिपल बोर्ड के पास पहुंच जायगा तभी वह काम समाप्त होगा ।

जिलों में सीमेंट का वितरण

*४—**राजा वीरेन्द्र शाह** (जिला जालौन)—क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि जिला के लिये जो सीमेंट दिया जाता है उसका कितना प्रतिशत देहाती क्षेत्र को दिया जाता है और कितना शहरों तथा कसबों को ?

अन्न मंत्री के सभा सचिव (श्री बनारसी दास)—कोई निर्धारित प्रतिशत नहीं है ।

*५—**राजा वीरेन्द्र शाह**—क्या सरकार देहाती क्षेत्रों में सीमेंट पंचायतों द्वारा बटवाने पर विचार कर रही है और क्या किसी जिला में ऐसा हो रहा है ?

श्री बनारसी दास—पंचायतों द्वारा सीमेंट वितरण करने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है । सरकार को कोई ऐसी सूचना प्राप्त नहीं है कि किसी जिले में पंचायतें सीमेंट का वितरण कर रही हैं । वितरण व्यापारियों के स्टाक से अधिकारियों के परमिटों पर जारी करने के आदेश हैं । किन्तु साथ ही साथ इस बात पर जोर दिया गया है कि जहां संभव हो सके वहां इस संबंध में पंचायतों की सहायता ली जावे ।

राजा वीरेन्द्र शाह—क्या सरकार को मालूम है कि सीमेंट मिलने में गांव वालों को बहुत कठिनाई होती है ?

श्री बनारसी दास—इस प्रकार की कोई सूचना कार्यालय में तो नहीं है लेकिन आप कहते हैं तो सच होगी ।

राजा वीरेन्द्र शाह—क्या सरकार आगे के लिये सीमेन्ट का कोटा देहाती क्षेत्र के लिये अलग करने का निश्चय कर सकती है ?

श्री बनारसी दास—यह तो संभव नहीं है लेकिन एग्रीकल्चर और नान-एग्रीकल्चर का कोटा अलग अलग है । इसलिये उस कोटे को अलग नहीं दिया जा सकता । जहां पर जैसी आवश्यकता होगी वहां के जिलाधिकारी वैसी आज्ञा जारी करेंगे ।

राजा वीरेन्द्र शाह—क्या सरकार गांव वालों की सुविधा के लिये अपने अपने हल्के के पंचायत राज इंस्पेक्टर के द्वारा ग्रामीण जनता को सीमेंट बटवाने पर विचार करेगी ?

श्री बनारसी दास—इस संबंध में पूरी सुविधा जिलाधीश को दी गई है और बहुत से जिलों में ऐसा है भी कि पंचायतों के ब्लाक बना कर कोटा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को दे देते हैं और बहुत जगह प्लानिंग विभाग के द्वारा वितरण होता है। इसलिये इस संबंध में यह उचित नहीं है कि जिलाधीश के हाथों को यहां से किसी आदेश द्वारा बांधा जाय।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या यह सही है कि कंट्रोलर की तरफ से देहातों में बांटने के लिये एग्रीकल्चर कोटा प्रादेशिक सरकार को अलग से मिलता है ?

श्री बनारसी दास—जी हां।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या मंत्री जी कृपया बतलायेंगे कि जिलों के देहाती इलाकों में सीमेंट के बटवारे के सिलसिले में हाउसिंग कमेटियों की राय ली जाती है ?

श्री बनारसी दास—जी नहीं।

श्री नेकराम शर्मा—क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि पंचायतों द्वारा सीमेन्ट बटवाने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

श्री बनारसी दास—जहां पंचायतों द्वारा बटवाने में सुविधा हो वहां जिलाधीश को ऐसा करने का अधिकार है और बहुत जगह पंचायत अधिकारियों द्वारा यह काम हो रहा है।

श्री नेकराम शर्मा—क्या सरकार के पास ऐसी शिकायतें आयी हैं कि गांव वालों को मुश्किल से सीमेंट के परमिट मिलते हैं ?

श्री बनारसी दास—इस तरह की कोई शिकायत कार्यालय में नहीं आयी है।

श्री शिवकुमार शर्मा (जिला बिजनौर)—सीमेंट का कितना प्रतिशत प्लानिंग विभाग के द्वारा और कितना प्रतिशत पब्लिक सेक्टर का और कितना प्रतिशत पंचायतों के द्वारा दिया जाता है ?

श्री बनारसी दास—यह अलग अलग जिलों में होता है और प्रान्तीय आधार पर प्लानिंग का निश्चय होता है और जिलों की आवश्यकता के अनुसार दिया जाता है और पब्लिक सेक्टर का कोटा जिलाधीश जैसे मुनासिब समझते हैं उसका बटवारा कराते हैं और जो जिलों की हाउसिंग कमेटियां हैं उन पर प्रार्थना-पत्र जो आते हैं उसी आधार पर कोटा निश्चित होता है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि सीमेन्ट के वितरण के संबंध में क्या हाउसिंग कमेटियों की राय ली जाती है ?

श्री बनारसी दास—वह तो अब भी आदेश है और नये कांस्ट्रक्शन्स के लिये हाउसिंग कमेटियां हैं और जो नक्शे आते हैं वह हाउसिंग कमेटियों के सामने रखे जाते हैं।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—क्या सरकार कृपा करके बतावेगी कि किस आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों के लिये सीमेंट दिया जाता है ?

श्री बनारसी दास—इसका उत्तर दिया जा चुका है कि देहात और शहर के लिये अलग अलग कोई प्रतिशत तय नहीं है।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—क्या सरकार को यह मालूम है कि शहरी क्षेत्र के मुकाबले में गांवों में ज्यादा लोग बसते हैं ?

श्री बनारसी दास—यह तो नहीं कहा जा सकता।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार को यह मालूम नहीं है कि जुगल किशोर इनक्वायरी कमेटी के सामने देहात के प्रतिनिधियों ने शिकायत की थी कि उनको सीमेंट मिलने में काफ़ी दिक्क़त है?

श्री बनारसी दास—आप की बात सही है लेकिन अब देहातों में सीमेंट वितरण की उचित व्यवस्था है।

श्री रामदास रविदास (जिला फैजाबाद)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सीमेंट का कंट्रोल कब तक खत्म करने का विचार है?

श्री बनारसी दास—सीमेंट पर कंट्रोल खत्म करने का अभी कोई इरादा नहीं है।

*६—**श्री गेंदा सिंह** (जिला देवरिया)—[स्थगित किया गया।]

सुल्तानपुर ज़िले में विश्वेश्वरगंज के समीप नाले पर पुल की आवश्यकता

*७—**श्री रणंजय सिंह** (जिला सुल्तानपुर)—क्या सरकार को यह ज्ञात है कि सुल्तानपुर जिला में अमेठी तहसील के अन्तर्गत विश्वेश्वरगंज के समीप नाला में पुल न होने से वर्षा में बड़गांव के लिये सवारियों का आना जाना बन्द हो जाता है और तहसील तथा जिला तक जाने में अत्यन्त असुविधा होती है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नाले पर पुल बनाने की योजना पर विचार कर रही है?

श्री मोहन लाल गौतम—प्रश्न के पहिले हिस्से का उत्तर—जी हां।
प्रश्न के दूसरे हिस्से का उत्तर—जी नहीं।

श्री रणंजय सिंह—क्या प्रश्न के पूर्वांश पर विचार करते हुए सरकार उधर की बीस सहस्र के लगभग जनता की असुविधा दूर करने का आगे विचार करेगी?

श्री मोहन लाल गौतम—पुल बनाने की योजना या तो पी० डब्लू० डी० के अधीन हो या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के। पी० डब्लू० डी० वालों का कहना यह है कि उधर उनकी कोई सड़क नहीं है। इसलिये पुल बनाने की योजना नहीं है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड वालों का कहना है कि उधर उनकी भी सड़क नहीं है और पांच हज़ार रुपया खर्च होगा और वह उतना रुपया अभी खर्च करने में असमर्थ है। इसलिये उनके सामने अभी कोई योजना नहीं है।

राज्य के समस्त चिकित्सालय

*८—**श्री रणञ्जय सिंह**—क्या सरकार कृपया बतलायगी कि राज्य (प्रदेश) में सरकारी अथवा सरकार द्वारा सहायता प्राप्त कितने ऐलोपैथिक, कितने होमियोपैथिक तथा कितने आयुर्वेदिक चिकित्सालय हैं?

श्री बनारसी दास—

सरकारी ऐलोपैथिक चिकित्सालय	५७२
सरकारी देशी चिकित्सालय	५२२
सरकारी सहायता प्राप्त चिकित्सालय—	
(अ) देहाती एलोपैथिक चिकित्सालय (जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड द्वारा चलाये जाते हैं)	१०९
(ख) देहाती देशी चिकित्सालय (जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड द्वारा चलाये जाते हैं)	८७

इनके अलावा अन्य बहुत सी संस्थायें सरकारी सहायता से शहरों व देहातों में देशी व अंग्रेजी अस्पताल चला रही हैं जैसे राम कृष्ण मिशन, कमला नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट, क्रिश्चियन मिशन इत्यादि। इनकी संख्या १०० के लगभग होगी। बहुत से वैद्यों और हकीमों को भी जो किसी संस्था से संबंधित नहीं हैं सरकार गरीबों के इलाज के लिये सहायता देती है। इनकी संख्या १९५२-५३ में लगभग १२५ थी।

*९—श्री रणञ्जय सिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में कहां कहां पर कितने मस्तिष्क रोगों के चिकित्सालय हैं और उनमें कितने रोगी हैं ?

श्री बनारसी दास—उत्तर प्रदेश में मस्तिष्क रोगों के लिये ३ ऐलोपैथिक अस्पताल आगरा, बनारस और बरेली में स्थित हैं। उनमें १९५२ से रोगियों की संख्या निम्नलिखित थी:—

आगरा	१०१३
†बरेली	२७८
बनारस	४८५

श्री मदन मोहन उपाध्याय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बरेली और आगरा की आबहवा में कोई विशेष गुण है जो वहीं पर यह दो अस्पताल खोले गये हैं।

श्री बनारसी दास—यह तो माननीय सदस्य स्वयं जानते हैं।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—क्या सरकार कोई इस क़िस्म का मस्तिष्क का अस्पताल लखनऊ में खोलने जा रही है ?

श्री बनारसी दास—अगर उपाध्याय जी उसकी जरूरत समझेंगे तो विचार किया जायगा।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि किसी पहाड़ी इलाक़े में भी मस्तिष्क का अस्पताल खोलने पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री बनारसी दास—इस समय ऐसा कोई प्रश्न विचाराधीन नहीं है।

श्री इस्तफा हुसैन (जिला गोरखपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जो अस्पताल डिस्ट्रीक्ट बोर्ड द्वारा चलाये जाते हैं उनमें जो वैद्य या हकीम रखे जाते हैं उनकी तनख्वाह अब दी जायगी या उनको सहायता दे कर चलाने का प्रबन्ध किया जायगा ?

श्री बनारसी दास—जिला बोर्डों को सरकार अनुदान देती है और जो जिला बोर्ड के अस्पतालों में वैद्य रहते हैं उनका वेतन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ही देती है।

श्री इस्तफा हुसैन—क्या सरकार को यह पता है कि गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने यह फैसला किया है कि वहां के हकीमों या वैद्यों को भी तनख्वाह नहीं दी जायगी बल्कि कुछ सहायता दी जायगी ?

श्री बनारसी दास—इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि औषधालयों में जो कुछ ग्रांट दी जाती है वह केवल वैद्यों की तनख्वाह के ही काम में खर्च हो जाती है और दवाइयों के लिये कुछ नहीं बच पाता ?

---

†यह केवल criminals के लिये है।

श्री बनारसी दास--जी नहीं, अलग अलग उसको ग्रांट दी जाती हैं। तनख्वाह के लिये अलग दी जाती हैं और औषधियों के लिये अलग होती है।

श्री नेकराम शर्मा--क्या सरकार को ज्ञात है कि इस प्रकार के सरकार के पास कोई प्रार्थना-पत्र आये हैं कि जितनी औषधियां अस्पतालों में दी जाती हैं वह नाकाफी होती हैं ?

श्री बनारसी दास--जी हां, इस प्रकार की शिकायतें हैं कि दवायें प्रायः अस्पतालों में नाकाफी होती हैं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुना--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि देहाती क्षेत्रों में इन डाक्टर, हकीम और वैद्यों को जितनी सहायता दी जाती है या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की ओर से नियुक्त किया जाता है उनकी मरीजों को देखने की कोई फीस की दर नियत है ?

श्री बनारसी दास--जी हां, वह दो रुपया चार्ज कर सकते हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इन एलोपैथिक और आयुर्वेदिक चिकित्सालयों को सालाना सहायता कितनी मिलती है ?

श्री बनारसी दास--इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)--क्या सरकार ने कोई ऐसी योजना बनाई है जिसके अनुसार जो होम्योपैथिक डाक्टर देहातों में बस जायं उनको कुछ आर्थिक सहायता दी जाय ?

श्री बनारसी दास--इस पर विचार हो रहा है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुना--क्या सरकार कृपा कर बतलाएगी कि देहाती क्षेत्रों में जितने अस्पताल हैं उनमें दाइयों की सुविधा भी लोगों को मिलती है ?

श्री बनारसी दास--जी हां, बहुत से ऐसे स्थान हैं जहां मिडवाइव्ज रहती हैं और वह सुविधायें प्राप्त हैं।

श्री नेकराम शर्मा--क्या माननीय मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि जैसा आप ने अभी बतलाया कि यह दवायें नाकाफी होती हैं अस्पतालों में, तो क्या वह ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं या उनके सामने ऐसी योजना है जिससे वहां काफी दवाएं पहुंचाई जा सकें ?

श्री बनारसी दास--जी हां, इसके लिये प्रबंध किया गया है। जहाँ तक सरकार के कोष का सवाल है उससे तो प्रबंध नहीं हो सकता, इसलिये वहां प्रत्येक अस्पताल में एक एक आने की सील बनवाई है और प्रत्येक अस्पताल में जितना रुपया इकट्ठा होगा वह दवाइयां पूरी करने के लिये खर्च किया जायगा।

श्री राम नरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)--क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि आयुर्वेदिक अस्पतालों का स्थान कितने दिनों में एलोपैथिक अस्पतालों के बराबर वह कर देंगे ?

श्री बनारसी दास--यह तो फ़िगर्स से आप देखेंगे कि इस वक्त कुल एलोपैथिक अस्पतालों की संख्या ५७२ है और देशी चिकित्सालयों की ५९२ है। तो वह तो बहुत जल्दी ही एलोपैथिक के बराबर हो जायेंगे।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)--क्या गवर्नमेंट बताने की कृपा करेगी कि वैद्यों ने अपने वेतन संबंधी कोई मेमोरेंडम गवर्नमेंट के पास भेजा है ?

श्री बनारसी दास—जी हां, मेमोरेंडम कुछ समय पहले प्राप्त हुआ था।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि मस्तिष्क चिकित्सा संबंधी औषधालयों में केवल एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति से चिकित्सा की जाती है या और भी किसी पद्धति से ?

श्री बनारसी दास—इस समय तो केवल एलोपैथिक के अनुसार ही चिकित्सा होती है।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—क्या सरकार ने कभी प्राकृतिक चिकित्सा को इस संबंध में चलाने का प्रयास किया है ?

श्री बनारसी दास—जी नहीं।

श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)—क्या माननीय मंत्री को यह विदित है कि अस्पतालों और औषधालयों में क़ीमती दवाइयां प्रायः उन रोगियों को ही मिलती हैं जो उसकी क़ीमत दे सकते हैं ?

श्री बनारसी दास—इस प्रकार की यदि कोई निश्चित शिकायत आये तो उनकी तहक़ीक़ात हो सकती है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—क्या सरकार मस्तिष्क के रोगों की बीमारियों का इलाज नेचुरल तरीक़े से करने के लिये मथुरा या आगरा में कोई अस्पताल खोलने पर विचार करेगी ?

श्री बनारसी दास—इस समय तो ऐसा प्रश्न विचाराधीन नहीं है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायंगे कि मस्तिष्क रोगों के चिकित्सालयों में अच्छे होनेवाले रोगियों की प्रतिशत क्या है ?

श्री बनारसी दास—इसके लिये तो यदि आप सूचना चाहें तो बाद में अधिक सूचना दी जा सकती है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या यह सही है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अलावा और कुछ औषधालय यूनानी और आयुर्वेदिक सरकार सीधे चलाती है ?

श्री बनारसी दास—जी हां, ५२२ तो अपने हैं। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के हैं जिनकी संख्या बतलाई जा चुकी है।

श्री ब्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उनकी योजना देहात में और अधिक अस्पताल या औषधालय खोलने की क्या है ?

श्री बनारसी दास—वह योजना तो जाहिर है। जब पिछली कांग्रेस मिनिस्ट्री थी तो केवल देहातों में ५१ अस्पताल थे और सन् १९४६ के बाद से अब तक वहां पर १८१ बढ़ाये गये हैं। इस वर्ष के बजट को भी आपने देखा होगा कि १० नयी एलोपैथिक डिस्पेंसरीज और १५ आयुर्वेदिक डिस्पेंसरीज हम कायम करना चाहते हैं।

*१०-११—श्री देवकी नन्दन विभव (जिला आगरा)—[स्थगित किये गये।]

सदन के आगामी कार्य-क्रम के संबंध में सूचना

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—आन ए प्वाइंट आफ इन्फार्मेशन, मैं यह जानना चाहता हूं कि यह बैठक जो है हाउस की वह कब तक चलेगी और इंडिपेंडेंस डे के लिये कितने दिन के लिये बन्द की जायगी ?

वित्त मंत्री (श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम)—कल शाम तक चलेगी।

श्री अध्यक्ष—उसके बाद का वह जानना चाहते हैं।

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—उसके बाद का शाम को अर्ज़ किया जायगा।

आजमगढ़ जिले के सुखीपुर ग्राम में किसानों तथा कार्यकर्त्ताओं की गिरफ्तारी के संबंध में कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—मेरे पास एक कामरोको प्रस्ताव श्री उमाशंकर मिश्र जी ने भेजा है कि सुखीपुर ग्राम में वहां के कार्यकर्ताओं और किसानों की आम गिरफ्तारी से उत्पन्न परिस्थिति पर विचार करने के लिये सदन आज का अपना कार्य स्थगित करता है। यह कोई निश्चित सी बात मुझे दिखाई नहीं देती। यह भी नहीं मालूम होता कि मामूली इन्तजामी कार्यवाही में कोई चीज हो रही है या सरकार से इसका क्या संबंध है। इन दो कारणों की वजह से, एक तो अनिश्चित है और दूसरे सरकार से कोई संबंध प्रतीत नहीं होता, इसलिये मैं इसकी इजाज़त नहीं देता हूं।

इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कोर्ट के दो रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिये नाम निर्देशनों के संबंध में सूचना

श्री अध्यक्ष—मैं एक सूचना देना चाहता हूं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कोर्ट के लिये दो रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिये नामजदगी हुई, उसमें ये तीन नाम आये जो सही पाये गये।

(१) श्री बी० एन० मिश्र (हरदोई)।
(२) श्री अब्दुल मुईज़ खां।
(३) श्री महाबीर प्रसाद शुक्ल।

आज ४ बजे तक नाम वापसी का समय है। इन ३ नामों में से अगर एक नाम वापस हो जाता है तो निर्विरोध चुने जायंगे नहीं तो कल १२ बजे से ३ बजे तक विधान वाचनालय में निर्वाचन होगा।

डाकपाथर टी० बी० सेनीटोरियम की समिति के लिये दो सदस्यों का निर्वाचन

श्री अध्यक्ष—डाकपाथर टी० बी० सैनीटोरियम के लिये भी दो सदस्यों का निर्वाचन होना है। इसके लिये भी दो नाम आये हैं:

(१) श्री महावीर प्रसाद शुक्ल।
(२) श्री अवधेश चन्द्र सिंह।

नाम वापस लेने का समय आज ४ बजे तक के लिये भी है। अगर किसी ने नाम वापस नहीं लिया तो ये निर्विरोध चुने हुए घोषित किये जायंगे।

प्रवर समिति के सदस्यों द्वारा सदन में संशोधन उपस्थित करने के संबंध में उद्योग मंत्री द्वारा उठाई गई वैधानिक आपत्ति पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष—कल माननीय उद्योग मंत्री ने यह प्रश्न उठाया था कि क्या वे माननीय सदस्य जो कि प्रवर समिति के सदस्य हैं और उन्होंने वहां पर कोई राय दी थी, वे उसके विरुद्ध वहां पर कोई संशोधन पेश करना या उसके विरुद्ध राय जाहिर करना

उनके लिये उचित है या नियम के अनुसार है या नहीं। उनकी समझ में शायद यह बात आयी कि जो माननीय सदस्य सिलेक्ट कमेटी के मेम्बर हैं उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिये कि एक राय वहां पर दे कर के उसके विरोध में वे कोई राय सदन में जाहिर करें या संशोधन देवें। परसों भी यही सवाल उठा था। उस वक्त मैंने यह समझा कि शायद माननीय सदस्य ने साधारण रीति से सवाल उठाया है और कोई वेष सीरियस नहीं है लेकिन कल इस संबंध में मुझसे फिर निर्णय मांगा गया। इस सदन में इसके पूर्व सन् १९३८ में यही प्रश्न उठाया गया था और उसका निर्णय उस वक्त के अध्यक्ष माननीय टंडन जी दे चुके हैं। कौंसिल में भी इसी तरह का सवाल उठाया गया था, उसका भी निर्णय वहां हो चुका है। केन्द्रीय पार्लियामेंट जो पहले लेजिस्लेटिव असेम्बली थी उसमें भी सन् ३८ में यह प्रश्न उठाया गया और उसमें भी निर्णय हो चुका है। मैं उन निर्णयों को पढ़ कर सुना देता हूं। इससे मेरा काम हल्का हो जायगा। मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि जो निर्णय मैं इस प्रश्न पर दूंगा उसका यह कारण मैं अन्त में बता दूंगा कि किन कारणों से मैं ऐसा निर्णय देता हूं लेकिन ये जो निर्णय हैं इनसे सिद्धान्तः मैं सहमत भी हूं। पहला निर्णय सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेम्बली के अध्यक्ष का है, उनके शब्द यह हैं :—

"As the point of order is pressed, I have got to give my ruling. I hold that there is no convention or practice like that and reason also does not justify any such practice or convention. A member of a Select Committee may very honestly change his opinion after the Bill has been brought here. I, therefore, hold that the hon'ble the mover of this amendment is prerfectly in order."

इसमें यह हुआ था कि गवर्नमेंट के सदस्य ने जिन्होंने कि विधेयक सामने रखा था उन्होंने सिलेक्ट कमेटी के बाद अपनी राय बदल दी और गवर्नमेंट की तरफ से सुधार पेश हुये। इसी प्रकार इस सदन में भी पहले गवर्नमेंट की तरफ से प्रवर समिति के बाद कुछ सुधार पेश किये गये, ऐसा याददाश्त से मैं कह सकता हूं मैंने अभी उसके बारे में कार्यवाही देखी नहीं है। लेकिन पुराने रूलिंग्स उस सदन में मौजूद हैं जो इस प्रकार हैं :—

२५ जनवरी, सन् १९३८ ई० को आनरेबिल मिनिस्टर आफ़ जस्टिस ने यह प्रश्न उठाया था : "The Hon'ble Minister for Justice inquired whether it was open to the member of a Select Committee, who has signed the report of that committee without attaching any minute of dissent or taking any objection to any particular provision or proposal in a Select Committee, to oppose the report in the House."

इसके ऊपर आनरेबिल स्पीकर ने उस वक्त यह कहा : "Does the Hon'ble the Minister for Justice seriously contend that a member of the select committee, by the fact of his being on the Select Committee, loses his right to make an amendment here."

उसके बाद और भी यह कहा है : "I do not think the Hon'ble Minister is serious in raising the objection."

उन्होंने यह भी अपनी राय यह दी : "There is nothing to prevent the Hon'ble member of the Select Committee from moving an amendment when the bill is before the House. I suppose Raja Saheb was himself a member of the Select Committee."

उसमें राजा साहब श्री बिशेश्वर दयाल सेठ के बारे में संकेत हैं। इस पर राजा साहब ने कहा कि मैंने नोट आफ़ डिसेन्ट दिया था इसलिए मुझे अधिकार है। इसके ऊपर आनरेबिल स्पीकरने कहा : "Do you mean that you reserve that right by inserting the words that you have right to move an amendment while another member

[श्री अध्यक्ष]

ho did not write a note of dissent is so bound by the report and that he has no right to move amendments. I do not agree with that proposal."

इसके बाद एक जगह डिप्टी स्पीकर ने भी रूलिंग दी है जो इस प्रकार है: "No member is entitled to disclose in the open House the discussion that took place in the Select Committee but if a member wishes to change his opinion he is perfectly entitled to do so."

विधान परिषद् के अध्यक्ष का भी एक फैसला है जो इस प्रकार है: "On 15th February, 1934 when the U. P. Village Panchayat Bill was under consideration, Babu Ram Bahadur Saksena raised a point of order regarding the above that a member of the Select Committee who has signed the report without appending a note of dissent can express his opinion against the provisions of the Bill if his good sense allows him to do so.

The President said that I have found it that sometimes Hon'ble members append their signatures to a report of the Select Committee and afterwards we consider their decisions. They are perfectly entitled to do so but the House is certainly justified in expecting that members who take the responsibility of going through the bill in a Select Committee and of recommending the nature of amendments that commend themselves to these members, should also hold themselves responsible for the views which they have publicly expressed in the public document. As to whether in an open house an hon'ble member who has unreservedly signed the report of the Select Committee should be committed to it irrevokably and can not reconsider his decision I am not entitled to express an opinion. It must be left to the good sense of the hon'ble members holding responsible positions as members of this House.

यह उस वक्त सन् १९३४ में उन्होंने फैसला दिया। इसके अलावा एक बात और परिषद् के अध्यक्ष ने कही: "On 14th December, 1934 a similar point of order was raised when the Temporary Regulation and Execution Bill was under consideration, the President said "That is a matter of etiquette and convention and the Chair is not willing, by its rulling, to stand in the way of an hon'ble member performing his duties as a member of this House."

मैं यह समझता हूं कि जहां तक हमारे नियम बने हुए हैं उनके अनुसार जो प्रवर समिति से कोई विधेयक इस सदन के सामने आता है तो सदस्य नियम १११ के अनुसार किसी भी सदस्य को कोई भी संशोधन पेश करने का अधिकार है। उसमें यह नहीं दिया हुआ है कि जो प्रवर समिति के सदस्य हैं उनको अधिकार नहीं है।

साधारणतः भी इस सदन का यह नियम है कि कोई सदस्य जब वह भाषण दे रहा हो उस समय जो राय कायम करना चाहे, उसे वह प्रकट कर सकता है। इस सदन में भी जो वह राय दे चुकता है वह बदल कर दूसरी राय कायम कर सकता है। किसी दूसरे के विचारों को सुनकर अपनी राय में तत्काल परिवर्तन करने का भी हर सदस्य को भी अधिकार है। इस लिए तो तर्क से यह स्पष्ट ही होता है कि यदि प्रवर समिति के सामने कोई विचार किसी सदस्य ने अपने हृदय में धारण किया हो तो भी उसे परिवर्तन करने का उनको सदन में क्यों अधिकार नहीं होना चाहिए। नियम भी उसके प्रतिकूल नहीं है। तर्क भी प्रतिकूल नहीं है और नैतिकता का सवाल भी उसमें कोई प्रतिबन्ध पैदा नहीं करता। हां, नैतिक प्रतिबन्ध तब है कि राय दिल में भले ही कुछ है परन्तु केवल सदन का समय नष्ट करने के लिए कोई माननीय

सदस्य उसके विपरीत संशोधन लाता हो। इस सम्बन्ध में तो माननीय सदस्य, अपने अन्तःकरण को पहचान कर, मैं यह आशा करता हूं, वह विचार करेंगे कि वह जिम्मेदारी के साथ अपनी राय देंगे और जैसा अनुचित कार्य स्वयं न करेंगे। कोई प्रतिबन्ध इस विषय में रखना मैं उचित नहीं समझता। यह अवश्य बात है कि प्रवर समिति इसलिए बनायी जाती है कि सदन का समय बचे और समिति में वादविवाद अच्छी तरह से हो सके। इसलिए यह भी आशा सदन करता है हरेक माननीय सदस्य से कि विचारपूर्वक जो कोई निर्णय सेलेक्ट कमेटी में वह दे मामूली तौर से, जब तक कोई विशेष कारण न हो, सदन का समय उसके विरुद्ध राय देकर या संशोधन पेश करके नष्ट न करें। यह बात स्वयं उस माननीय समस्य के कर्तव्यों में है। लेकिन अध्यक्ष की तरफ से प्रतिबन्ध इस विषय में लागू नहीं हो सकता। पूर्ण स्वतंत्रता उनको है और यह राय बदलने तथा संशोधन लाने की आजादी सदस्यों को है। यह प्रथा चली भी आयी है। यह तर्क शुद्ध है और नैतिकता और नियम के हिसाब से भी यह ठीक मालूम होता है।

*उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) विधेयक, १९५३

खंड ४ (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—कल माननीय गेंदा सिंह जी के संशोधन पर माननीय रामसुन्दर पांडे जी बोल रहे थे, वह अपना भाषण जारी रखें।

श्री राम सुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—श्रीमन्, कल मैं यह कह रहा था कि आजमगढ़ जिले में कोई चीनी मिल नहीं है। वहां का गन्ना देवरिया और शाहगंज शुगर मिल में जाता है। वहां गन्ना उत्पादकों की समस्या मूल्यनिर्धारण से सम्बन्धित है। यदि गन्ना विकास करना है तो यह आवश्यक हो जाता है कि गन्ना उत्पादकों के अन्दर उत्साह और लगन बढ़ायी जाय। उसका एक ही रास्ता हो सकता है कि गन्ना उत्पादकों की राय से गन्ना का मूल्य निश्चय किया जाय। गन्ना बोर्ड बनाने का जो नियम इस बिल में बताया गया है, उसमें केवल ५ सदस्य गन्ना उत्पादकों के होंगे। मैं समझता हूं कि ये लोग जो जनता के बीच में रहने वाले होंगे सही मानों में गन्ने का मूल्य निर्धारण करने की सलाह दे सकेंगे। उसके साथ ही साथ गन्ने के विशेषज्ञ भी अपनी राय अच्छी तरह से दे सकेंगे कि गन्ने का विकास कैसे हो और मूल्य क्या हो। जनता और सरकार द्वारा चुने हुए बोर्ड की उपेक्षा करना माननीय उद्योग मन्त्री जी तथा उनकी सरकार के लिये शोभनीय नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी समझता हूं कि रीति यहां पर कहने को तो यह है कि लोकतंत्र शासन हम इस प्रदेश में चाहते हैं और सरकार शायद यह कहा करती है कि हम गांधीजी के रास्ते पर चलने वाले हैं। लेकिन अध्यक्ष महोदय, महात्मा गांधीजी लोकतंत्रीय पद्धति और विकेन्द्रीयकरण के हिमायती थे और उन्होंने आखिरी वक्त कई बार कहा कि पंचायतों का राज्य इस देश में होना चाहिए। जब सरकार ही खुद गन्ना बोर्ड बनाती है और उसके सदस्यों पर इस तरह से शंका की जाय कि वे सही मानों में गन्ना उत्पादकों के मामले में फैसला नहीं करेंगे तो शुबहा होता है कि सरकार के पास यदि शक्ति होती और माननीय उद्योग मन्त्री के पास शक्ति होती तो मेरा यह ख्याल है कि चपरासी से लेकर गवर्नर तक के सारे अधिकार उद्योग मन्त्री जी अपने हाथों में रखते और इस तरह के जो फैसले जन प्रतिनिधियों से होने वाले हैं उनको रोके रखते। उद्योग मन्त्री ने कल कहा था कि केन्द्रीय सरकार प्रान्तीय सरकार से राय ले या न ले यह उसकी मर्जी पर मुनहसिर है तो, अध्यक्ष महोदय, माननीय गेंदा सिंह ने संशोधन यह रखा है कि यदि केन्द्रीय सरकार प्रान्तीय सरकार से राय ले गन्ने का मूल्य निर्धारण करने में तो गन्ना बोर्ड उसमें सलाह दे। अगर केन्द्रीय सरकार प्रान्तीय सरकार से राय नहीं मांगती है तो प्रान्तीय सरकार को जबर्दस्ती कोई राय दे यह जरूरी नहीं है। मेरा यह ख्याल है कि प्रान्तीय सरकार के उद्योग मन्त्री हर साल केन्द्रीय सरकार को गन्ने के मूल्य निर्धारण में

*११ अगस्त, १९५३ की कार्यवाही में छपा है।

[श्री राम सुन्दर पांडेय]

राय देते हैं और मुझे यह शक होता है कि जो गन्ने का मूल्य प्रान्तीय सरकार के उद्योग मन्त्री केन्द्रीय सरकार को रेकमेंड करते हैं वही हर साल निश्चित होता है और इसीलिए उद्योग मन्त्री जी गन्ना बोर्ड को यह अधिकार देने में हिचकते हैं क्योंकि माननीय मन्त्री जी को यह शुबहा है कि शायद ऐसा न हो जाय कि गन्ना बोर्ड हमारी नीति के खिलाफ गन्ना उत्पादकों के हक में ऐसी कीमत रखने के लिये फैसला दे जिससे हमारा जो सम्बन्ध मिल मालिकों से है वह जरा टूट जाय। दूसरी शंका यह हो सकती है कि केन्द्रीय सरकार शायद प्रान्तीय सरकार की राय से गन्ने का मूल्य निर्धारण नहीं करती रही है। तो अध्यक्ष महोदय, यह स्पष्ट हो जायगा यदि माननीय गेंदा सिंह के संशोधन को उद्योग मन्त्री और उनकी सरकार और यह सदन स्वीकार कर लेते हैं कि गन्ना बोर्ड अपनी राय केन्द्रीय सरकार को दे। अध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ में आपके द्वारा मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह माननीय गेंदा सिंह के संशोधन को स्वीकार करें।

श्री पद्मनाथ सिंह (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन उपस्थित है उसमें वाक्य विन्यास और शब्द विन्यास थोड़ा सा गलत रख दिये गये हैं। लिखा है कि "राज्य सरकार को निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में परामर्श देना"। जो संशोधन आया है उसमें "गन्ने की कीमत के सम्बन्ध में राज्य सरकार को सलाह देना"। मैं समझता हूं "परामर्श" शब्द तो पहले ही आ चुका है और परामर्श और सलाह, दोनों एक मतलब रखते हैं। इस तरह से वाक्य विन्यास जो हुआ है इस संशोधन का वह भी कुछ गलत सा हो गया है। इसके बाद दूसरी ओर में ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यदि इसके "क" और "ख" के सम्बन्ध में विचार कर लिया जाय तो उसमें यह है :

(क) चीनी की फैक्टरियों के निमित्त गन्ने की खरीद तथा पूर्ति के विनियमन से सम्बद्ध विषय,

(ख) गन्ने के विभेद जो चीनी की फैक्टरियों के लिये उपयुक्त अथवा अनुपयुक्त हों,

मैं समझता हूं कि इन दोनों उपखंडों के सिलसिले में भी गन्ने की कीमत पर विचार विमर्श होगा। यदि हमें हेल्दी रिलेशन्स इस्टैब्लिश करना हैं तो गन्ने की कीमत का भी प्रश्न तय करना होगा, क्योंकि जब खरीदने और सप्लाई करने का प्रश्न आयेगा तो गन्ने की कीमत का सवाल भी अवश्य ही आयेगा और निश्चय ही उसके मातहत गन्ने की कीमत भी निर्धारित होने का प्रश्न आ जायगा। जब बोर्ड गन्ने की किस्मों के सम्बन्ध में जांच पड़ताल करके अपना परामर्श देता है तो यह भी निश्चय ही तय किया जायगा कि फलां वैराइटी की फलां कीमत होगी। इसलिए इन तीन उपखंडों के मातहत कीमत का तय करना आ ही जाता है। अतः मेरा ख्याल है कि गन्ने की कीमत वाला प्रसंग अलहदा से रखना उपयुक्त न होगा।

इस सम्बन्ध में आगे जो क्लाजेज हैं उनमें भी यह बात स्पष्ट हो जाती है कि गन्ने की कीमत के सम्बन्ध में इस बात की गुंजाइश है कि उसका निर्णय हो और उसके सम्बन्ध में सलाह दी जाय। अगर इस विधेयक की धारा ६ को आप पढ़ें तो उसके भाग (३) में लिखा है :—

"प्रभाग में सिंचाई तथा अन्य कृषि सम्बन्धी सुविधाओं का विकास करना।"

अब इन शब्दों यानी "अन्य सुविधाओं का विकास करना" के मातहत गन्ने की कीमत भी निर्धारित हो जानी चाहिए। इसलिए इसको अलग से रखा जाना अनुचित प्रतीत होता है।

जो कौंसिल बनने वाली है उसमें उत्पादकों, फैक्टरी और सरकार तीनों के नुमाइंदे होंगे और वह इन तीनों में एक सम्बन्ध स्थापित करेगी। एकता का सम्बन्ध भी गन्ने की कीमत से बहुत ज्यादा सम्बन्ध रखता है। जब कानून बनाया जाता है तो ज्यूरिसप्रूडेंस का यह साधारण

नियम होता है कि सीमित शब्दो में बात कही जाती है, बढ़ा चढ़ा कर नहीं कही जाती, क्योंकि बढ़ा चढ़ा कर कहने से उसका मूल्य हो जाता रहता है। यह दूसरी बात है कि उसके अनुसार हम रूल्स बना लें तथा एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियेंस के लिये कुछ और सफाई कर लें। इसी तरह से इन बातों में गन्ने का प्रश्न भी सेकेन्डरी प्रश्न हो जाता है, मुख्य प्रश्न नहीं रहता अतः उसके लिये अलग क्लाज बनाया जाना उचित नहीं मालूम होता।

यदि यह नया अमेंडमेंट उसमें जोड़ दिया गया तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी वजह से नित्य के नये झगड़े खड़े हो जायेंगे और कुछ लोग उसको पोलिटिकल स्वार्थों के लिये भी उपयोग करेंगे और उसके चक्कर में गवर्नमेंट जो गन्ने का विकास करना चाहती है उसकी बात पीछे ही छूट जायगी। इसलिए मुझे आशा है कि संशोधन वापिस ले लिया जायगा।

सार्वजनिक लेखा समिति के उपनिर्वाचन के सम्बन्ध में प्राप्त नाम निर्देशनों की वापसी के नियत समय में वृद्धि।

श्री अध्यक्ष--मैं एक सूचना देना चाहता हूं। चूंकि वह १२ बजे से पहिले देना थी इसलिये मैंने बीच में रोक दिया।

सार्वजनिक लेखा समिति के लिये दो सदस्यों का चुनाव होना था उसके लिये नामजदगी दो से अधिक सदस्यों की आ गयी है। आज १२ बजे तक का समय नाम वापिस करने के लिये नियुक्त किया गया था। अगर आज १२ बजे तक नाम वापिस नहीं होते तो कल चुनाव होगा। चुनाव का तरीका सिंगिल ट्रांस्फ़रेबिल वोट का है। उसमें थोड़ी बहुत कठिनाई भी पड़ती है। मुझसे यह कहा गया है कि नाम वापिस लेने का समय बढ़ा दिया जाय तो चुनाव का प्रसंग नहीं आयेगा। आपसी सुलह से नाम वापिस हो जायेंगे और चुनाव का मौका न आवे। इसलिये मैं यह निश्चय करता हूं कि कल सदन उठने के बाद जब पहले रोज सदन बैठे उस रोज ४ बजे तक का समय मैं देता हूं कि जो नाम वापस लेना चाहें वे नाम वापस ले सकते हैं। क्योंकि यह निश्चय नहीं है कि किस रोज सदन फिर बैठेगा इसलिये पहले रोज की बैठक के लिये मैं यह निश्चय करता हूं कि उस रोज ४ बजे तक नाम वापस लिया जा सकता है।

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) विधेयक, १९५३ (क्रमागत)

श्री सियाराम चौधरी (जिला बहराइच)--श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा इस सदन के सदस्यों के सामने यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस विषय पर कि गन्ना बोर्ड को यह अधिकार दिया जाय कि वह भाव के बारे में भी केन्द्रीय सरकार को सलाह दे सके। इस पर कल से बहस हो रही है। हमारे माननीय उद्योग मन्त्री जी ने अपनी तरफ से भरसक यह कोशिश की कि विरोधी दल के भाइयों को इस चीज को समझा सकें कि यह चीज उनके अधिकार के बाहर है, लेकिन हमारे मित्रों ने एक भी न मानी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा अपने मित्रों से यह कहना चाहता हूं कि सारी सेवायें जो जनता की हैं गन्ने के रेट के बारे में या उसकी तरक्की के बारे में या उनके फायदे के बारे में, इन सब चीजों के बारे में हमारे ही ऊपर भार नहीं लाद दिया गया है। इस भवन के सदस्यों को चाहिए कि अपने अधिकारों के अन्दर जो नियम जनता के हित में बना सकते हैं उसी के मुताबिक वे बहस करें और जो केन्द्रीय सरकार के अधिकार की चीज है उसमें हम लोगों को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जो केन्द्रीय सरकार में सदस्य चुन कर गये हैं वे भी जनता के नुमाइन्दे हैं, मेरा अपना ख्याल है कि उनका भी फर्ज है कि वे गन्ना बोने वाले किसानों का हित करेंगे। और जहां तक उनसे हो सकेगा वे यह समझ कर कि इससे गन्ना बोने वाले किसानों का नुकसान है, वे कदापि ऐसे नियम नहीं बनावेंगे।

[श्री सियाराम चौधरी]

हमारा अपना यह ख्याल है कि जब श्रीमान् पंडित जवाहर लाल नेहरू के नेतृत्व में किसानों का भला न होगा तो हमारे इस भवन के सदस्यों द्वारा मुश्किल है। मैं यह कहूंगा कि जो चीज अपने अधिकार के अन्दर हो उसके बारे में बहस होनी चाहिए। एक मिसाल मुझे इस समय याद आती है कि "टिटिहरी बादल की तरफ अपने पांव को करके लेटती है और उसका सारा बोझ अपने पांव पर ही लेना चाहती है।" उसी तरह से हमारे विरोधी दल के मेम्बरों का भी ख्याल है कि जो कुछ देश की भलाई हो सकती है वह उन्हीं के जरिये हो सकती है, दूसरे लोगों के द्वारा नहीं हो सकेगी।

श्रीमन, मैं आपके द्वारा यह कहना चाहता हूं कि इस विधेयक में जितनी भी बातें आयी हैं वे सब किसानों के लिये हितकर हैं और बोर्ड को जो अधिकार दिये गये हैं वे काफी हैं। जब रेट के बारे में इस प्रान्तीय सरकार को यह अधिकार ही नहीं है कि वह कोई सुझाव दे सके तो इस बोर्ड को यहां यह अधिकार दे देना मेरे ख्याल से अच्छा नहीं होगा। इसलिए मैं आपके द्वारा अपने माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वे इस चीज के ऊपर ज्यादा अड़ियलबाजी न करें और इस आइटम को पास होने की सलाह दें।

श्री अध्यक्ष--माननीय सदस्य "अड़ियलबाजी" शब्द वापस ले लें।

श्री सियाराम चौधरी--मैं उसे वापस लेता हूं।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य (जिला मथुरा)--माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत संक्षेप रूप से यदि इस विषय को सदन के समक्ष रखा जाय तो मेरे विचार से यह जो वर्तमान विधेयक सदन के सामने है उसके क्षेत्र से बाहर का संशोधन श्री रोदा सिंह जी का है। जो विधेयक श्रीमान् के समक्ष है उसमें शीर्षक के नीचे यह है--"चीनी की फैक्टरियों में प्रयोग के लिये अपेक्षित गन्ने की पूर्ति और खरीद एवं अन्य सम्बद्ध विषयों का विनियमन करना आवश्यक है इसलिए निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है।"

तो मेरे मत से यह अधिनियम केवल गन्ने की पूर्ति और खरीद एवं अन्य सम्बन्धित विषयों से ही सम्बन्धित रह सकता है। इसके अतिरिक्त जो उद्देश्य तथा कारण इस विधेयक के अन्त में दिया गया है, उसमें भी ८ मई, १९५२ से इन्डस्ट्रीज डेवेलपमेंट ऐन्ड रेगुलेशन ऐक्ट, १९५१ के प्रचारित होने से, चीनी उद्योग विनियमन एक मात्र केन्द्रीय विषय हो गया है। राज्य सरकार का कार्य अब केवल यह रह गया है चीनी की फैक्टरियों को गन्ने की पूर्ति का प्रबन्ध करे। स्पष्ट रूप से मेरे मित्र का संशोधन और वर्तमान विधेयक दो अलग अलग विषयों से सम्बन्धित हैं। जहां तक वर्तमान विधेयक का सम्बन्ध है वह तो सीधे शब्दों में बहुत लिमिटेड है और उसका लिमिटेशन इंडस्ट्रीज डेवेलप्मेंट ऐंड रेगूलेशन ऐक्ट के अनुसार है। उसके अनुसार राज्य सरकार को यह अधिकार नहीं है कि चीनी अथवा गन्ने का मूल्य निर्धारण कर सके। उसके पास केवल यह अधिकार है कि वह यह प्रबन्ध कर सके कि फैक्टरियों के लिए अधिक से अधिक गन्ना किस तरह से प्राप्त हो और वर्तमान विधेयक केवल इसी विषय से सम्बन्धित है जहां तक मेरे मित्र के संशोधन का सम्बन्ध है वह बिलकुल इस विषय से असम्बद्ध है। इस विधेयक का सम्बन्ध केवल इतना है कि किस प्रकार से गन्ने की पैदावार बढ़ायी जा सके और किस प्रकार से फैक्टरियों को उस पैदावार को उपलब्ध कराया जा सके और इसके लिए गन्ना बोर्ड और विकास परिषद् ये दोनों चीजें राज्य सरकार ने अपनी ओर से इस विधेयक में रखा है और जहां तक मैं समझ पाया हूं इन दोनों का उद्देश्य केवल इतना है कि किस प्रकार से गन्ना अधिक उपजाया जा सके और किस प्रकार फैक्टरियां उसको पा सकें। इसके बाहर कोई चीज इस विधेयक में नहीं आती। जहां तक सिद्धान्त का प्रश्न है मैं चाहता था कि इस सम्बन्ध में कुछ न कुछ कहूं लेकिन जब मैं इस सम्बन्ध में विचार करता हूं कि यदि केन्द्रीय सरकार हमारे कोई अधिकार हस्तगत करले या वह यह निश्चय कर ले कि गन्ने की कीमत का निर्धारण वह करेगी तब

में सिद्धान्त रूप से यह विरोध करूंगा कि हमें केन्द्रीय सरकार पर कोई चीज अपनी ओर से लादनी चाहिए। यदि केन्द्रीय सरकार इन्डस्ट्री डेवेलपमेंट एन्ड रेगूलेशन एक्ट में कोई धारा रखती या वह अपनी तरफ से यह निश्चय करती कि गन्ने के मूल्य निर्धारण में राज्य सरकार की राय ली जायगी, तो भी उचित था। लेकिन इस बात का कोई संकेत नहीं है इसलिए इस प्रकार की किसी बात का समावेश इस विधेयक में नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता, तो दूसरा विधेयक इस सदन के सामने आता और उस पर सदन विचार करता। इन शब्दों के साथ मैं इस वर्तमान संशोधन का विरोध करता हूं और माननीय गेंदा सिंह जी से अनुरोध करता हूं कि वे इसे वापिस ले लें।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)— माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सब से पहले इस संशोधन पर माननीय उद्योग मंत्री की राय सुनने को उत्सुक था और सुनी भी लेकिन उनके इस आदेश का पालन करने के लिये चेष्टा करने में मैं नाकामयाब रहा जो कि उन्होंने यह फरमाया था कि यह संशोधन वापस ले लें। जिन माननीय सदस्यों ने इस बहस मुबाहसे में भाग लिया उनमें से दूसरे माननीय सदस्यों के जरिये तो क्या कोशिश करूं, लेकिन माननीय पद्मनाथ सिंह और लक्ष्मीरमण आचार्य जी इन दोनों सदस्यों का भाषण सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि दोनों माननीय सदस्य आपस में एक दूसरे का जवाब दे रहे हैं। एक बात माननीय सियाराम जी के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि एक तरफ पद्मनाथ सिंह जी ने यह फरमाया कि इस संशोधन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो विधेयक सरकार की ओर से इस समय भवन के सामने प्रस्तुत है उसमें गन्ने की कीमत तय करने और गन्ने की कीमत में सलाह देने का प्राविजन है। इस तरह के संशोधन लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। माननीय पद्मनाथ सिंह जैसे विद्वान की राय मैं मान सकता हूं। और उनकी बात हमारी समझ में कुछ आ सकती है, बशर्ते कि इसमें माननीय उद्योग मंत्री जी इसको स्वीकार करें। इसमें सन्देह नहीं कि जो शब्द इस विधेयक में रखे गये हैं उनमें उपखंड 'क' में यह लिखा गया है कि चीनी की फैक्टरियों में प्रयोग के लिये गन्ने की खरीद और पूर्ति के विनियमन से सम्बन्धित विषय, अध्यक्ष महोदय, जब कभी खरीद और बिक्री की बात होगी तो उसमें हर साधारण आदमी यह समझता है कि उसमें कीमत वगैरह की बात होगी और गन्ने की इतनी कीमत पर हम अपना सौदा बेचेंगे। खरीदने वाला भी यह देखेगा कि कितनी कीमत में उसको खरीदना है। यह साधारण तौर पर सब आदमी समझते हैं, जैसा कि पद्मनाथ सिंह जी ने समझा। लेकिन रोना तो यह है कि बात सब सही है। माननीय पद्मनाथ सिंह जी का कहना भी सही और हमारा समझना भी सही लेकिन उस तरफ माननीय उद्योग मंत्री जी और पद्मनाथ सिंह जी की जो सरकार बैठी है, वह नहीं समझती। बात सब करो और सब लिखा-पढ़ी हो जाय, लेकिन कीमत का नाम न लिया जाय। मैं उन तीनों महानुभावों से निवेदन करूंगा कि अच्छा होता अगर यह तीनों आपस में बात कर लेते और फिर उसके बाद यहां पर कुछ बोझ न पड़ता। माननीय लक्ष्मीरमण जी, सियाराम जी और पद्मनाथ सिंह जी तो सबसे पहले सरकार के हैं। तो फिर मैं माननीय पद्मनाथ सिंह जी से यह कहना चाहता हूं कि यह लिखा हुआ है कि खरीदने और बिक्री का अधिकार तो अवश्य रहेगा लेकिन यह माना गया है कि कीमत के बारे में कोई बात न करो। यह सही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारे इन सब अख्तियारात को ले रखा है। उसको हम नापसन्द करते हैं लेकिन मजबूरी भी है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन सब अख्तियारात को ले रखा है। अगर वे अख्तियारात बोर्ड को नहीं हैं तो हम यहां पर फैसला नहीं कर सकते हैं। मैं यह प्रार्थना करूंगा मंत्री महोदय से कि वह सेंट्रल गवर्नमेंट से यह प्रार्थना कर सकते हैं और मांग सकते हैं कि हमको यह अख्तियार रहने दें और जरूरी है कि यह अख्तियार हमारे पास रहें। लेकिन मालूम नहीं कि उसको वह क्या समझते हैं जो अर्थशास्त्री वहीं बैठकर इस तरह का फैसला कर सकते हैं और यहां पर नहीं हो सकता है। आज हमारे इस बिल का यह उद्देश्य नहीं है कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट के फैसले का विरोध करें।

[श्री गेंदा सिंह]

हम तो केवल यह चाहते हैं कि हमारा जो गन्ना बोर्ड बने उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से सीधे सलाह देने की बात हम नहीं करते। हम तो केवल इतना कहते हैं कि हमारी सरकार, जो गन्ना उत्पादकों का जिम्मेदार है और सारे सूबे के लिये जिम्मेदार है इस सरकार को ही वह गन्ना बोर्ड सलाह दे दे कि अगर वह सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई सलाह देना चाहती है, गन्ने की कीमत के सम्बन्ध में, तो हमारी भी सुन लीजिये; बस इतना ही मैं चाहता हूं कि अगर ऐसी चीज वाकई में यहां रख दी जाय तो अच्छा है और मैं नहीं समझता कि उससे विधेयक की क्या खूबसूरती बिगड़ जायगी कि जिससे अनर्थ हो जायगा। यह तो मैं मान सकता हूं कि उससे शब्द विन्यास या वाक्य विन्यास गड़बड़ हो गया हो उसके लिये तो मैं बराबर कहता हूं कि उसको ठीक किया जा सकता है, अगर सिद्धान्त रूप से इसको मान लिया जाय तो शब्द विन्यास और वाक्य विन्यास तो श्रीमन्, आप ही से मैं प्रार्थना करूंगा कि आप ठीक करा दें, क्योंकि मुझे इसमें कोई जानकारी अधिक नहीं है और मैं समझता हूं कि हमारा सदन भी इस काम में काफी धनी है और वह काम आसानी से पूरा हो जायगा। मैं इस सम्बन्ध में केवल दो एक बात माननीय उद्योग मंत्री जी की खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं। एक बात तो यह है और उसको मैं जरूर कहूंगा कि जो सलाह गन्ना बोर्ड की होगी वह उत्तर प्रदेश की सरकार के लिये कारगर होगी क्योंकि भारतवर्ष में हमारा प्रदेश सबसे अधिक गन्ने की खेती करता है और हमारी जो सलाह होगी वह भी हिन्दुस्तान की सरकार के लिये कारगर हो सकती है और वह केन्द्रीय सरकार भी उस राय को फिट समझेगी और मैं समझता हूं कि माननीय उद्योग मंत्री जी ने जो किसी क़ानून की किताब से पढ़कर हमें सुनाया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट उनसे कन्सल्ट करेगी जिनको वह फिट समझेगी, यानी ऐसी अथारिटी से सलाह लेगी जिसको वह फिट समझेगी मैं इतना जरूर समझता हूं और अगर माननीय उद्योग मंत्री भी कहें तो भी मैं नहीं मानूंगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो सेन्टर में काम कर रही है वह उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार को अनफिट समझती है, यह मैं नहीं मानूंगा। वह जरूर फिट समझेगी और सलाह करेगी और इससे इस लम्बे चौड़े प्रदेश के किसानों का लाभ होगा। इसका मुख्य कारण यह है कि उत्तर प्रदेश में गन्ने की और चीनी की उपज बहुत अधिक है। अध्यक्ष महोदय, मैं इतना जरूर आपकी खिदमत में बतलाना चाहता हूं कि सारे हिन्दुस्तान में सन् १९५१-५२ में १४ लाख ६८ हजार टन चीनी तैयार हुई थी, जिसमें से उत्तर प्रदेश में ७ लाख ६७,४०० टन चीनी तैयार हुई थी और अगर हम सन् ३१-३२ से ५१-५२ तक के आंकड़ों को देखें तो कोई साल ऐसा नहीं है कि जब आधे से अधिक या आधी चीनी इस सूबे ने पैदा न की हो। इसलिये मैं समझता हूं कि जब हम आधी चीनी तैयार करते हैं और आधा गन्ना पैदा करें, तो ऐसी हालत में हमारी सरकार की सलाह बहुत काम की और कीमती सलाह होगी। अध्यक्ष महोदय, अभी एक कमेटी की मीटिंग रांची में होने वाली है। उसमें चीनी, गुड़ और गन्ने के दाम पर भी विचार होगा। मैंने आज पत्रों में पढ़ा कि माननीय मुख्य मंत्री जी भी उस कमेटी में शरीक होने वाले हैं। तो क्या मैं ऐसा समझूं कि मुख्य मंत्री जी से इस पर राय मशविरा नहीं होगा कि गन्ने की कीमत अगले सीजन में क्या रखी जाय? मैं जानता हूं कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। सबसे बड़ा मामला इस कमेटी के सामने उसके एजेंडे में यही होगा कि अगले वर्ष गन्ने की क्या कीमत रखी जाय। बेहतर हुआ होता कि इस पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने ही नियुक्त किये हुए सलाहकारों से सलाह ली होती। और यदि सलाह लिये होते तो अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि वहां जाकर एक रुपया पांच आने मन गन्ने की कीमत हो, उसका समर्थन नहीं करते। मैं नहीं जानता कि वह क्या विचार वहां प्रगट करेंगे। लेकिन डर लगता है कि यदि इस वर्ष भी एक रुपया पांच आने कीमत रखी गयी तो गन्ने की उपज घट जायगी और शुगर इंडस्ट्री को बड़ा धक्का लगेगा। हमारे सामने शुगर टैरिफ बोर्ड

की सिफारिश मौजूद है। उसने इस बात की सिफारिश की थी कि एक रुपया सात आने मन से गन्ने की कीमत कम न की जाय और साथ ही २४ रु० १२ आना मन से कम चीनी की कीमत न की जाय। इस वक्त तेरह आने सेर चीनी मिलती है और एक रुपये पांच आने मन पर हमें गन्ना देना पड़ता है। और एक रुपये पांच आने मन उन लोगों के लिये है जो फैक्टरियों के गेट पर, अपनी बैलगाड़ी से गन्ना ले जाकर गिराते हैं। और जो गन्ना रेल से जाता है उसकी कीमत एक रुपया दो आने तक मिलती है। तो मैं समझता हूं कि अगर सलाह मशविरा होता तो इस वर्ष किसानों की यही सलाह होती कि इस वर्ष दो रुपये मन से गन्ने की कीमत कम न हो। लेकिन वह बहुत ही उचित है और सब लोगों के स्वार्थों की इसमें पूर्ति है, बिल्कुल किसी को धक्का नहीं लगता, थोड़ा सा किसान का नुकसान है, कि एक रुपये बारह आने से कम कीमत किसी हालत में नहीं होनी चाहिये। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है। हालांकि मुझे मालूम है कि मिल मालिकों ने स्वयं कहा है कि एक रुपया आठ आने से कम गन्ने की कीमत न रखी जाय क्योंकि अगर इससे कम कीमत गन्ने की रखी गयी तो लोग गन्ने की खेती छोड़ देंगे, फिर मुसीबत हो जायेगी। वह रा मैटीरियल है और कोई उसका दूसरा आल्टरनेटिव नहीं है जिससे चीनी बनायी जा सके। इस साल इतनी बड़ी उपज चीनी की हुई और तब भी एक लाख टन चीनी बाहर से मंगानी पड़ी। हमने सोचा यह था कि सन् १९५३-५४ में हमारे लिए यह मुमकिन होगा कि पचास हजार टन चीनी बाहर भेजा करेंगे। लेकिन अगर गन्ने की कीमत कम रखी गयी तो मुझे डर है कि बजाय एक्सपोर्ट में हमें इम्पोर्ट करना पड़ेगा। तो इसलिये, मैं ज्यादा जोर देता हूं कि इस मसले पर बिना सलाह लिये हुए अगर सरकार अपना विचार प्रकट करेगी तो गलती होगी; अगर हम यह कहें कि सरकार मिल मालिकों का साथ देती है, इस इंडस्ट्री को चौपट करने के लिये तो माननीय उद्योग मंत्री जी बहुत नाराज होते हैं और मालूम नहीं वह किस बोली में बोलते हैं, जो हमारी समझ में नहीं आती। बड़ी-बड़ी बातें उस वक्त सुनाते हैं। लेकिन मैं उनसे एक बात सुनने के लिये आग्रह करूंगा और जो मैं नहीं कहता हूं। एक कमेटी मुकर्रर हुई थी, सन् १९५१ में। इस कमेटी का नाम था "यू० पी० शुगर इंडस्ट्री इंक्वायरी कमेटी" और अध्यक्ष महोदय, उसके प्रेसीडेंट थे स्वामीनाथन साहब और मेम्बर थे श्री डी० आर० नारंग और एस० पी० नेवटिया जो बड़े भारी मिल मालिकों के प्रतिनिधि हैं। और उसमें थे श्री हरसहाय गुप्ता साहब जो उस समय यहां एम० एल० सी० थे। उनके अलावा जे० एम० बेनरमैन जो कि बलरामपुर शुगर कम्पनी, तुलसीपुर के थे और भी लोग थे। मिल मालिक तो कई थे और उनमें खास तौर से मैं नाम रखना चाहता हूं कि हमारी इस विधान सभा के माननीय छेदालाल जी एम०एल०ए० हरदोई के थे। हमारे एग्रिकल्चर सेक्रेटरी श्री ए० एन० झा साहब उसके सेक्रेटरी थे। उस कमेटी की रिपोर्ट में माननीय हर सहाय गुप्ता ने कुछ अपने ख्यालात का इजहार किया। और उसे माननीय उद्योग मंत्री जी ने मेहरबानी करके पढ़ा होगा, तो मैं समझता हूं कि मेरे ऊपर वह इतने नाराज नहीं होंगे। उन्होंने लिखा है—

"The manufacturer who has constantly challenged the grower and the consumer approaches the question in his own way and takes it up to suit his own convenience. He has no sympathy with the grower, needs of the consumer do not worry him and his entire philosophy where crushing of cane is concerned is based on "Cash nexus" attitude. The Government who usually wobble sometimes look to the convenience of the grower but they usually incline towards the factory managements and yield to their wishes."

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि आप मुख्तसर में मतलब बता दें। क्योंकि जिस ढंग से पढ़ा जा रहा है वह समझ में नहीं आ रहा है। इसलिये मतलब बता दें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री गेंदा सिंह— मैं और अधिक नहीं पढ़ूंगा। यह पन्ना १५० में लिखा हुआ है। "सरकार जो है वह कभी-कभी कोशिश तो जरूर करती है कि किसानों का हित साधन करे लेकिन वह हमेशा मिल मालिकों (इसका जो अर्थ हो) हमेशा मिल मालिकों के सामने ईल्ड करती है" यह माननीय हर सहाय जी गुप्ता का कहना है और ऐसा ही उन्होंने कई जगह इस बात की चर्चा की है। अगर मैं इस सरकार को कुछ कहूं तो यह बात हो सकती है कि मैं इसलिये कह रहा हूं कि हमारा राजनीतिक कुछ लाभ है सरकार को बदनाम करने में, लेकिन माननीय हर सहाय जी गुप्ता का तो कोई लाभ नहीं है सरकार को बदनाम करने का। आज भी वह विधान सभा के सदस्य हैं और उनकी राय कोई बहुत पुरानी राय नहीं थी। सन् १९५१ की कमेटी की राय है। उस वक्त सरकार के बारे में उनकी ऐसी राय है। तो मैं समझता हूं कि कहीं न कहीं ऐसी सरकार की भूल है और उस भूल से सरकार सबक नहीं लेती।

तो मैं अध्यक्ष महोदय, बहुत अदब के साथ माननीय उद्योग मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि जैसा कि उन्होंने कहा कि उन्हीं की बात हम को मान लेनी चाहिये और संशोधन को हमें वापस ले लेना चाहिये। उन्होंने यह भी कहा कि अच्छा भाई, इस ऐक्ट में तो नहीं हम इस बात को जोड़ेंगे लेकिन रूल्स में रख देंगे कि जब कभी मीटिंग हुआ करे और गन्ने की कीमत में बातचीत हुआ करे तो जरूर सलाह ले लिया करें। तो मुझे ऐसी बात सुनकर बड़ा संदेह होता है कि ऐक्ट में न रखकर रूल्स में रखने के मानी क्या हैं। क्या इसके मानी यह हैं कि रूल्स में जो चीज रखी जाती है वह हमारी इच्छा पर होती है कि हम मानें या न मानें, जैसा जी में आये वैसा कर देंगे, लेकिन ऐक्ट में रखने के बाद कोई गुंजायश नहीं रहती है कि उसके विपरीत चले जायं? तो मैं इस पर जोर देता हूं कि यह एक इतना बड़ा सवाल है कि इसको जरूर इसी विधेयक के अन्दर, इसी ऐक्ट के अन्दर रखना चाहिए और इसमें इसकी गुंजायश होनी चाहिए? और अगर ऐक्ट के अन्दर इसकी गुंजाइश होगी तो मैं समझता हूं कि अपने प्रदेश के जितने लोग गन्ना बोने वाले हैं उनको इससे थोड़ा उत्साह होगा और उससे सरकार लाभ उठायेगी। उनकी सलाह लेकर के सरकार अगर उस सलाह को सेंट्रल गवर्नमेंट को दे सकेगी तो उससे इस इंडस्ट्री को पूरी तरह से फायदा पहुंचने की संभावना है जिसको कि माननीय उद्योग मंत्री जी भी चाहते हैं। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि वह इस संशोधन को स्वीकार कर लेंगे।

उद्योग मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं अपने मित्र गेंदा सिंह जी को यह बता देना चाहता हूं कि मैंने यह कतई नहीं कहा कि मैं इसको विधेयक में नहीं रूल्स में रखूंगा। मैंने यह कहा था कि अगर केन्द्रीय सरकार हमसे मशविरा लेगी तो जब यह हमको निश्चय हो जायगा कि वह हमसे मशविरा लेगी तब हम रूल्स में इसे बढ़ा सकते हैं। हमारे भाई गेंदा सिंह जी ने अभी कहा कि मैंने बिना किसी शर्त के रूल में बढ़ाने की बात कही थी सो ठीक नहीं है।

हमारे मित्र को कुछ ग़लत फ़हमी है। वह समझते हैं कि अगर इस विधेयक में मशविरा देने की बात रख देंगे तो लाजिमी हो जायगा राज्य सरकार के लिये मशविरा लेना और अगर रूल में रखा जायगा तो वह लाजिमी नहीं होगा। जब परिषद् महज एक ऐडवाइजरी बाडी है तो हम मशविरा उनका मानें या न मानें, चाहे वह विधेयक में हो, चाहे रूल में हो, इससे कोई असर नहीं पड़ता है। और रूल में तो हम उस वक्त रखना चाहते हैं जिस वक्त निश्चित रूप से हमें यह मालूम हो जाय कि केन्द्रीय सरकार हमसे मशविरा करेगी। जहां तक कीमत तय करने का ताल्लुक है, इसमें कोई दो राय नहीं,

ख्वाह यह मुनासिब न हो, कि उसका अधिकार सिर्फ केन्द्रीय सरकार को है। जैसा मैंने उस रोज वह आर्डर पढ़कर सुनाया था। यह दूसरी बात है कि हमारे मित्र उस पर राजी न हों या मैं उस हुक्म से इत्तफाक न करूं लेकिन यथार्थ में एक वाकया यह है कि फिलहाल केन्द्रीय सरकार को पूरे अधिकार हैं। हमको कोई अधिकार है नहीं। इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऐंड रेगुलेशंस ऐक्ट, १९५१ के पास हो जाने के बाद केन्द्रीय सरकार को पूरे अधिकार शुगर फैक्टरी पर हो गये। हमने जो विधेयक पेश किया है मौजूदा शक्ल में यह राष्ट्रपति की अनुमति से हमने पेश किया है। जब मैंने उनकी असेंट मंगा ली तब इसे पेश किया। जब हम यह समझते हैं कि शुगर केन की प्राइस फिक्स करना हमारे अधिकार के बाहर है तब हम उसके मुताल्लिक कोई प्राविजन रख करके ऐसा खतरा बर्दाश्त करने के लिये तैयार नहीं हैं कि यहां से जब राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिये विधेयक जाय तो स्वीकृति भी न मिले। हमारे मित्र ने कहा कि अगर यह एक छोटा मोटा संशोधन रख दिया जाय तो कौन सा खतरा हो सकता है खतरा यह है कि राष्ट्रपति की स्वीकृति अगर न आयी तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जायगी और हमारे काम में तवालत होगी, फिर हम अगले सीजन में इसको लागू भी नहीं कर सकेंगे। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि बिला किसी प्राविजन के अगर जरूरत होगी तो बोर्ड से कंसल्ट किया जायगा जैसे कि केन्द्रीय सरकार करती है। जैसा मैंने कल पढ़कर सुनाया। अब मैं दोहराना नहीं चाहता हूं क्योंकि मैं इस सदन का एक एक मिनट बड़ा अमूल्य समझता हूं। उसमें यह अधिकार उनको है कि किसी अथारिटी या किसी इंसटीट्यूशन को वह कंसल्ट करें और कंसल्ट करने के बाद कीमत नियत करें। स्टेट गवर्नमेंट का उसमें हवाला नहीं है लेकिन फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट हमको कंसल्ट करती है, बिला किसी प्राविजन के वह हमसे सलाह लेती है। तो हम भी बिला ऐसा अमेंडमेंट एडाप्ट किये हुए अपने बोर्ड को कंसल्ट कर सकते हैं। लिहाजा इसमें बाधा कौन सी पड़ती है, कोई रुकावट नहीं है। लेकिन अगर इस अमेंडमेंट को मंजूर कर लें तो खतरा है कि हमारा यह बिल कहीं अस्वीकृत न हो जाय और सारी मेनहत बेकार हो जाय। यह अन्देशा है वर्ना हमें इस तरमीम के मान लेने में जरा भी कोई हुज्जत न करता। यह क़ानूनी दिक्कतें हैं। मैं क्या बताऊं, मुझे अफसोस है कि मैं शायद अपना व्यू प्वाइंट ठीक तौर से समझा नहीं सका। यह मैं कैसे कहूं कि उधर के लोग समझे नहीं। ग़ालिबन कुसूर मेरा ही है कि मैं अपनी बात को ठीक तौर से समझा नहीं सका। यह मेरे रास्ते में कानूनी और कांस्टीटयूशनल अड़चनें हैं। मेरे भाई गेंदा सिंह ने बड़ी लम्बी चौड़ी तकरीर की है। मैं उन सब बातों का जवाब देना नहीं चाहता। मैं कैसी बोली बोलता हूं यह सदन समझता है। कोई दूसरी बोली अगर वे समझते होंगे तो मैं उसे जानता नहीं हूं। मेरी जबान छः बरस से इस सदन के माननीय सदस्य सुनते आ रहे हैं और समझते आ रहे हैं। कभी किसी को कोई शिकायत नहीं हुई। लेकिन जैसा मैंने बतलाया कि मैं कोई दूसरी बोली जानता नहीं जिस बोली में मैं समझा सकूं। जहां तक हर सहाय गुप्त का ताल्लुक है, अगर वे भी गेंदा सिंह की राय के हैं तो उनसे भी मैं इत्तिफाक नहीं करता। चाहे कोई उधर का हो चाहे इधर का हो अगर वह कोई ग़लत राय रखता है तो मैं उससे इत्तिफाक नहीं करता। नाराजगी का कोई सवाल नहीं होता, सवाल होता है इत्तिफाक राय करने का या न करने का। अगर आप इधर हो आ करके बैठ जाइये और फिर कोई ग़लत बात कहिये तो मैं कभी नहीं मानूंगा। इसलिये हरसहाय गुप्त की कोई नजीर नहीं है। यह सरकार हमेशा केन ग्रोवर्स, मिल ओनर्स और जितने लोग इस इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं सबके हुकूक की रक्षा बिला किसी पक्षपात के करना चाहती है, करती आयी है और करेगी ताकि हमारी यह इंडस्ट्री सरसब्ज रहे और हमारा सूबा पूरा पूरा लाभ उठा सके। यही हमारा उद्देश्य है और इसी उद्देश्य से यह बिल यहां लाया गया है। लिहाजा यह कहना कि मैं मिल मालिकों के साथ ज्यादा रिआयत करता हूं यह असलियत से बिल्कुल परे की बात मालूम होती है। इन चन्द शब्दों के साथ मैं अपने मित्र से प्रार्थना करूंगा कि वे इस अमेंडमेंट को वापस ले लें।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४ में उपखंड (घ) के रूप में निम्नलिखित शब्द बढ़ा दिये जायं और उपखंड (घ) को उपखंड (ङ) के रूप में रख दिया जाय—

"(घ) गन्ने की कीमत के सम्बन्ध में राज्य सरकार को सलाह देना जिसके अनुसार राज्य सरकार भारतीय सरकार को सलाह दे सके।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ५

विकास परिषद्।

५—(१) फैक्टरी के सुरक्षित क्षेत्र के लिये एक गन्ना विकास परिषद् (जिसे यहां पर आगे चलकर परिषद् कहा गया है) स्थापित की जायगी जो उस क्षेत्र के नाम से अथवा उस नाम से जो नियत किया जाय एक सतत् नुक्रम वाली (having perpetual succession) नियमित संस्था (body corporate) होगी और वह किसी ऐसे निरोध या विशेषता के अधीन (subject to such restrictions or qualifications) जो इस अधिनियम या किसी दूसरे विधायन के अधीन लगाई जाय, निगमित नाम से वाद प्रस्तुत करने या उस पर वाद प्रस्तुत किये जाने, चल तथा अचल सम्पत्ति उपार्जित करने, रखने, प्रशासित तथा हस्तांतरित करने तथा संविदा भी करने की क्षमता रखेगी।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जब गन्ना कमिश्नर आदेश दे तो फैक्टरी के लिये सुरक्षित क्षेत्र से बड़े अथवा छोटे क्षेत्र के लिये भी परिषद् की स्थापना की जा सकती है।

(२) वह क्षेत्र जिसके लिये विकास परिषद् की स्थापना की जाय, प्रभाग (Zone) कहलायेगा।

(३) परिषद् में निम्नलिखित होंगे :—

(क) राज्य सरकार के अनुमोदन से गन्ना कमिश्नर द्वारा नामांकित सभापति,

(ख) ६ सदस्य जिनमें से :—

(१) चीनी की फैक्टरियों तथा गन्ना उत्पादकों की सहकारी समितियों के प्रतिनिधि के रूप से दो-दो सदस्य गन्ना कमिश्नर द्वारा नामांकित किये जायेंगे,

(२) जिला नियोजन अधिकारी (District Planning Officer) जो पदेन सदस्य होंगे,

(३) एक अन्य कोई अधिकारी जिसे गन्ना कमिश्नर नामांकित करें,

(ग) जिला गन्ना अधिकारी अथवा अन्य कोई अधिकारी जिसे गन्ना कमिश्नर नामांकित करें, जो सदस्य तथा सचिव (सेक्रेटरी) होगा;

(४) परिषद् का कार्यकाल ३ वर्ष का होगा और कार्यकाल समाप्त होने पर परिषद् उपधारा (२) के उपबंधों के अनुसार पुनः संगठित की जायगी,

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि गन्ना कमिश्नर को यदि यह संतोष हो जाय कि ऐसा करना आवश्यक है तो वह कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व ही परिषद् को तोड़ सकते हैं अथवा उसके किसी सदस्य को, कारणों को अभिलिखित करके हटा सकते हैं।

(५) परिषद् को तोड़ देने पर निम्नलिखित परिणाम होंगे :—

(क) सभापति तथा सचिव (सेक्रेटरी) से भिन्न सभी सदस्य आज्ञा में निर्दिष्ट किये जाने वाले दिनांक पर अपने-अपने पद खाली कर देंगे, किन्तु इससे उनकी सदस्य के रूप में नियुक्ति अथवा नामांकन के निमित्त पात्रता पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़ेगा,

(ख) गन्ना कमिश्नर उपधारा (३) के उपबन्धों के अनुसार परिषद् को पुनः संगठित करेंगे, और

(ग) पुनः संगठित होने तक परिषद् के कर्तव्यों, अधिकारों तथा कार्यों का पालन, प्रयोग तथा सम्पादन उन प्रतिबन्धों के अधीन तथा उस अवधि में, जो आज्ञा में निर्दिष्ट की जाय, सभापति अथवा सचिव (सेक्रेटरी), जैसा कि गन्ना कमिश्नर आदेश दें, करेंगे।

श्री गेंदा सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन पेश करना चाहता हूं :—

खंड ५ के उपखंड (३) के भाग (ख) के उप भाग (१) का रूप निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(१) चीनी की फैक्टरियों तथा गन्ना उत्पादकों की सहकारी समितियों के प्रतिनिधि के रूप में दो-दो सदस्य सम्बन्धित स्थानों द्वारा नामांकित होंगे।"

अध्यक्ष महोदय, इसका मतलब यह है कि यहां पर जो यह कहा गया है कि सरकार नामजद करेगी, तो केन कमिश्नर द्वारा नामांकित होने के स्थान पर मेरा संशोधन यह है कि जो वहां पर केन ग्रोवर्स कोआपरेटिव सोसाइटी है या जो मिल मालिक है अपने दो-दो प्रतिनिधि वे नामांकित करें या वे अपने संगठनों से चुन करके भेज दें पहले भी इस तरह की परिषद् प्रत्येक मिलों में बनी हुई थीं और आज वह काम कर रही हैं। हमारा ऐसा अनुमान है कि परिषदों ने जितनी दिलचस्पी से उनको काम करना चाहिये था और जितनी सफलता प्राप्त करनी चाहिये थी उतनी सफलता नहीं प्राप्त की है। हम ऐसा समझते हैं कि यदि मिलों और वहां के केन ग्रोवर्स कोआपरेटिव सोसाइटीज की तरफ से वह प्रतिनिधि चुनकर आवें तो वह उनके विश्वासभाजन होंगे और उस कमेटी में, उस परिषद् में रह कर वह ज्यादा विश्वास के साथ काम करेंगे और वह ज्यादा किसानों की बातों को और मिलों की बातों को रिप्रजेन्ट कर सकेंगे। यह बात सही है कि मिलों के जो दो प्रतिनिधि होंगे उन दो प्रतिनिधियों को भी केन-ग्रोवर्स ही नामांकित करेंगे। तो मैं तो ऐसा समझता हूं कि उसमें भी केन कमिश्नर साहब को

[श्री गेदा सिंह]

यह अधिकार देने से कोई लाभ नहीं होगा। जो कार्य यह परिषद् करेगी, उसका कार्य तो केवल इतना है कि वह उस क्षेत्र में जो उसका सुरक्षित क्षेत्र है उस क्षेत्र में गन्ने की उपज को बढ़ाये, यह उसका कार्य है। गन्ने की उपज जितनी जल्दी से जल्दी और जितनी अधिक से अधिक बढ़ सके और जितना अच्छा गन्ना पैदा हो सके, बस इतने ही उसके काम हैं कि ऐसा गन्ना पैदा करे जिसमें अधिक से अधिक चीनी पैदा हो सके, सुक्रोज उसमें ज्यादा हो और वह गन्ना ईख उत्पादकों के ख्याल से भी अच्छा हो। वह वजन में भी अधिक हो, यह काम उसको करने हैं। मैं नहीं समझता कि इसमें मिल मालिकों का कोई ऐसा स्वार्थ होगा जिसमें कि केन कमिश्नर साहब ही उनको दबा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मेरा यह भी अनुभव है कि जहां कहीं भी मिल मालिकों ने डेवलपमेंट के काम किये, उस डेवलपमेंट के काम में हमेशा गन्ने की खेती में तरक्की हुई है। हमारे सामने कुछ उदाहरण हैं और उन्हें हमने देखा है, देवरिया जिले में ही गौरी बाजार में एक कम्पनी का एक कारखाना है, उसकी वजह से आज वहां केन सोसाइटी आर्गेनाइज की जा रही है। दो वर्षों के बाद भी आज वहां की जनता की यह मांग है कि यहां से केन ग्रोवर्स कोआपरेटिव सोसाइटीज हटा दी जायं। वहां जो अंग्रेजी मैनेजर हैं, उस अंग्रेजी मैनेजर को पिछले वर्ष वहां के लोगों ने इकट्ठा हो कर के सारी ताकत उन्होंने अपने हाथ में ली थी वह उसको दे दी। अध्यक्ष महोदय, मुझे समझौता कराने के लिये उसमें जाना पड़ा था। तीन दिन से फैक्टरी बन्द थी, गाड़ियां दरवाजे पर खड़ी थीं लेकिन कोई काश्तकार इसके लिये तैयार नहीं था कि जब तक यहां से केन ग्रोवर्स कोआपरेटिव सोसाइटी हटा नहीं दी जायगी, तब तक हम इस मिल को गन्ना नहीं देंगे। इसलिये उसको जिन्दा रखने के लिये यह आवश्यक है। हम सब लोग जाते हैं और उसमें काम करते हैं, सिद्धान्त के नाम पर। तो उस वक्त जो तीन दिन तक फैक्टरी बन्द थी उसके बाद लोगों ने यह कहा कि जब तक सारी ताकत मैनेजर को नहीं दे दी जायगी तब तक हम तैयार नहीं हैं। उसका कारण यह है कि पिछले १५ वर्ष के जमाने में जिस हैसियत में उसने गन्ने की तरक्की की है डेवलपमेंट के काम के लिये, वैसी तरक्की वहां की कोआपरेटिव सोसाइटी ने कहीं नहीं की। इसलिये लोग यह चाहते हैं कि हम कोआपरेटिव सोसाइटियों को पसन्द नहीं करेंगे। दोनों तरह के लोग हैं। ऐसे भी हैं जो यह कहते हैं, और हम बार-बार उस मिल का क्यों नाम लें क्योंकि कठकुइयां मिल की अक्सर यहां चर्चा हो चुकी है, कि यह मिलमालिक बड़ा नालायक है, न डेवलपमेंट का काम करता है, न अच्छा बीज देता है, इसलिये इसके हाथ में इन्तजाम नहीं रहना चाहिये और जल्दी से जल्दी केन कोआपरेटिव सोसायटी यहां आर्गेनाइज की जाय। तो उसमें केन ग्रोअर्स और मिल-मालिकों का भी स्वार्थ है कि अच्छा गन्ना पैदा हो ग्रोअर यह चाहता है कि ज्यादा तौल निकले और मिल वाला यह चाहता है कि ज्यादा चीनी निकले। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि अगर केन कमिश्नर नामांकित न करे, उन दोनों से नाम मांग ले और एक परिषद् बना दे। उसका सभापति केन कमिश्नर द्वारा नामांकित होगा और उसका मंत्री भी केन कमिश्नर द्वारा नामांकित होगा, जो सरकारी नौकर होगा और उसका ज्वायंट सेक्रेटरी भी ऐसा ही आदमी होगा। तो फिर कोई बात हमको नजर नहीं आती कि इन संस्थाओं की ओर से जो सदस्य चुने जाने वाले हैं उनकी इच्छा कहां रही। आज कल परिपाटी यह रही है कि २ प्रतिनिधि केन ग्रोअर्स कोआपरेटिव सोसायटी से लिये जाते थे। अब इस विधेयक से यह हक छीना जा रहा है क्योंकि केन कमिश्नर को यह अधिकार दिया जा रहा है कि वह जिसे चाहे उसे रख ले। मुझे ऐसा लगता है कि केन कमिश्नर लखनऊ में बैठा रहता है उसे नीचे की जानकारी है नहीं। मैं नहीं समझता कि उसे हर यूनियन के बारे में पूरी या कुछ जानकारी होगी और यह जानकारी न होने से गलती हो सकती है। वह ऐसे व्यक्तियों को भी नियुक्त कर सकता है जो लखनऊ में आने जाने लगे हैं और यहां कुछ जानपहचान हो गई है। मैं ऐसा नहीं मानता कि कोई आदमी इन सारी चीजों

से ऊपर उठ जाता है। उसमें परस्पर विरोध होगा। जो लोग खेती करने वाले हैं, गन्ने की खेती करते हैं, वे उसमें न आकर ऐसे लोग आ जायेंगे जो सफेदपोश हों या कुछ दरबारदारी में प्रवीण हों। अगर ऐसे आदमियों के लिये वहां कोई गुंजायश न हो तो अच्छी बात है। उनके लिये और जगह बहुत गुंजाइश है। इसमें तो ऐसे आदमी होने चाहियें जो यह जानते हों कि गन्ना कैसे और किस समय बुवाया जाय और किस प्रकार के बीज और खाद दिये जायं उसके लिये पैसा इकट्ठा किया जाय लेकिन पैसा तो स्वयं सरकार देगी और उसे तो जो ग्रांट मिलेगी उसका उपयोग करना है। इन सारी बातों को देखते हुये मैं नहीं समझता कि सरकार को कोई कठिनाई होगी और सरकार इतना बड़ा अखत्यार केन कमिश्नर साहेब को देकर कोई बहुत बड़ा काम कर लेगी। पिछले वर्षों का अनुभव हमारे केन कमिश्नर साहेबान का अच्छा नहीं है। मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि सरकार की समझ में यह बात आई है कि केन डेवलपमेंट महकमे ने पिछले जमाने में बड़ा अच्छा काम किया है। और उसका नमूना हमारे सामने है, सारे देश के सामने है, सारी रिपोर्टों में है। इसलिये सरकार ने कुछ समझबूझ कर काम करना शुरू किया है। इस विषय में अब शुभ लक्षण दिखाई दे रहे हैं। आगे क्या होगा, यह देखने की चीज है। हमने देखा कि अब जो केनडिपार्टमेंट सरकार का है वह कामियाब है किसानों का विश्वास प्राप्त करने में, उनका सहयोग प्राप्त करने में। अगर इसमें वह आगे भी कामयाब रहा तो फिर इस तरह के अख्तियारात अगर सरकार दे तो कोई हर्ज नहीं होगा। लेकिन फिर भी जब सहयोग केन कोआपरेटिव सोसायटियां देती हैं, मिल मालिक देते हैं तो आवश्यकता नहीं मालूम होती कि हम ऊपर से किसी को लाईं। तो इस समय तो कम से कम मैं इस बात के लिये माननीय उद्योग मंत्री जी से बहुत ही अदब से गुजारिश करना चाहता हूं कि यह एक डेवलपमेंट का काम है, इसमें कोई पार्टी पालिटिक्स नहीं है और जो पार्टी पालिटिक्स केन कमिश्नर के यहां हो सकती है वही इस यूनियन में भी हो सकती है। हम तो कहते हैं कि यूनियन में कोई बड़ा जलसा न हो जिसमें दो आदमी चुने जायं। अगर ऐसा होगा तो हो सकता है कि पार्टी पालिटिक्स हो जाय। मैं तो नामांकित करने की बात कहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हर यूनियन में जहां पर मिल का एक रिजर्वड जोन होता है एक बोर्ड होता है और कई केन सर्विस कोआपरेटिव सोसायटीज की तरफ से हर गांव में डेलीगेट चुने जाते हैं और फिर सौ, दो सौ डेलीगेट एक संचालक मंडल चुनते हैं जिसकी तादाद ११, १३, ९, इस तरह की होती है और हर यूनियन में महीने, दो महीने में उसकी मीटिंग हुआ करती है। तो फिर उस बोर्ड के हाथ में यह नामांकित कर देने की बात दे दी जाय कि वह बोर्ड अपने प्रतिनिधियों को चुन कर भेज देगा, जैसा पहले होता रहा है, तो मैं समझता रहा हूं कि उसमें कोई कठिनाई नहीं आयेगी। फिर उसमें भी तो तोड़ने की बात है। अगर सरकार या केन कमिश्नर समझे कि उसने कोई ग़बन किया, कोई ग़लती की तो उनको यह अधिकार है कि उसके खिलाफ कार्यवाही करें और उसे निकाल दें। तो जब ये सारी चीजें हैं तो फिर केन कमिश्नर को यह अधिकार देना कि वह नामांकित करे, मैं उचित नहीं समझता हूं। बड़े परिश्रम से १५ वर्षों से ये केन ग्रोअर्स कोआपरेटिव सोसायटियां बनी हुई हैं। कहां उनके अख्तियारात को बढ़ाने की बात थी और कहां अब उनके पहले के अख्तियारात भी छिनते चले जा रहे हैं। तो इसमें कोई सिद्धान्त का सवाल नहीं है और न कोई ऐसी बात है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं मानेगी। सिर्फ केन कमिश्नर के अधिकारों को कम कर देना है जो सरकार के मातहत हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस विचार से माननीय मंत्री जी इस संशोधन को स्वीकार करेंगे।

श्री हुकुम सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस संशोधन का सम्बन्ध है इसके बारे में मेरी जो राय है वह भी हमारे मित्र को बखूबी मालूम है। इस संशोधन के मंजूर होने से नतीजा यह होगा कि जो बहुत सी केन डेलवपमेंट कौंसिल्स हैं वे राजनीति

[श्री हुकुम सिंह]

का एक अखाड़ा बन जायंगी और अखाड़ा बन जाने से जो उनका उद्देश्य है वह जाता रहेगा। हमको तो किसी तरह से केन का डेवलपमेंट करना है। जो और प्रदेशों के मुक़ाबले में हमारे यहां पैदावार की कमी है, रेकवरी की कमी है, क्वालिटी ख़राब है इस सबको हमें ऊपर उठाना है और उसमें प्रगति करनी है। इसलिये जहां तक मुमकिन हो सके राजनीति का अखाड़ा इन कौंसिल को न बनायें बल्कि जितने लोग नामज़द होकर आयें वे टीम वर्क की स्पिरिट में इस काम को करें। सिर्फ यही दिक्कत हमारे रास्ते में है और इसी वजह से मैंने इस वक्त इसकी मुखालिफत करना मुनासिब समझा और उन्हीं दिक्कतों की वजह से मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री रामेश्वरलाल (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय गेंदा सिंह जी ने सदन के सामने उपस्थित किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं समझता हूं माननीय उद्योग मंत्री चुनाव की परिपाटी से घबरा रहे हैं। जब मुझे यह संशोधन हस्तगत हुआ और मैंने संशोधन को पढ़ा, तो मैं दो नतीजों पर पहुंचा, कि या तो मंत्री जी चुनाव से घबरा रहे हैं या संभवतः सरकार द्वारा या केन कमिश्नर द्वारा नामांकित करने की परिपाटी प्रचलित कर उसके पीछे कोई राज़ चलाना चाहते हैं।

जहां तक विकास बोर्ड का सम्बन्ध है मैं उसके विषय में कुछ जानकारी रखता हूं। विकास बोर्ड अपने ज़ोन में क्या-क्या कार्य करता है वह गन्ना प्रतियोगिता का काम करता है, गन्ने के विकास का काम करता है, खाद बीज का इन्तज़ाम करता है। इसी तरह से गन्ना विकास परिषद् अपने ज़ोन में विकास का काम, प्रतियोगिताएं आदि कराता है ताकि किसानों में उत्साह पैदा हो। मैंने देखा है कि उनमें वही लोग होते हैं जो सरकार की तरफ से नामांकित होते हैं या सरकारी अधिकारी होते हैं अथवा केन डेवलपमेंट आफिसर के सहयोगी होते हैं। गांवों में यह होता है कि जो गन्ना प्रतियोगिता के लिये खेत चुने जाते हैं उनको देखने के लिये अधिकारी जाते हैं। देखा यह जाता है, और इस बात की शिकायतें भी आयी हैं कि जिन खेतों में मनों में पैदावार ज्यादा है फिर भी चूंकि उत्पादक उनका समर्थक और पक्षपाती नहीं हैं इसलिये उनको इनाम नहीं दिया जाता और किसान को ईख प्रतियोगिता में असफल होना पड़ता है। दूसरे लोग जो कि कम पैदा करते हैं, उनको इनाम की चीजें, हल वग़ैरा जो कुछ भी हों, मिल जाती हैं। मैंने यह भी देखा है कि पोलीटिकल सफरर्स को इनाम के तौर पर बहुत सी चीजें यूं ही मिल जाया करती हैं। इन चीजों को देख कर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि शायद सरकारी पक्ष से यह सोचा जाता होगा कि नामांकित करने के अधिकार समाप्त होने के बाद इस तरह की बातें न हो सकेंगी। पोलीटिकल सफरर्स को अथवा समर्थकों को सुविधायें न दी जा सकेंगी, सहायता पहुंचाने की बात कारगर न हो पायेगी।

हमारे जिले में एक परिषद् ने पशु प्रदर्शनी की। वहां बहुत से मवेशी गाय, बैल और भैंसें वहां पर लेकर आये और बोर्ड के डायरेक्टर्स ने मनमाने तौर पर मवेशियों के लिये इनाम बांटे। उन लोगों को इनाम मिल गया जिनके मवेशी दूसरे लोगों के मवेशियों से दूसरे नम्बर, तीसरे नम्बर पर थे। इसी तरह से विकास परिषदों को सरकार की तरफ से अनेक प्रकार की सुविधायें और भी दी गयी हैं। उनको प्रचार के लिये लाउड-स्पीकर्स दिये जाते हैं। मैंने देखा है और अमूमन अपने जिले में अधिकतर विकास परिषद् को देखा है कि बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स के इशारे पर बारातों तक में लाउड स्पीकर भेजे जाते हैं और प्रभावशाली व्यक्तियों के घरों पर रेडियो बाजा भी बजाया जाता है और उससे रिक्रिएशन का काम लिया जाता है। तो फिर यह मुनासिब

है कि वहां राजनीतिक अखाड़ा बनाया जाय और वह अखाड़ा वाद-प्रतिवाद का हो। इस तरह से सरकारी चीजों का, जनता के पैसों का दुरुपयोग न होने पावे। इसके लिये विरोधी पार्टी यह मुनासिब समझेगी कि वह भी वहां पहुंचे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो विधेयक आपने प्रस्तुत किया है इस पर जो संशोधन हमारे विरोधी पार्टी की तरफ से उपस्थित किये गये हैं उसे मान लें तो वह सोने का कलश जहरीले नाग से दूर होकर एक पवित्र और अच्छी चीज बन जाय। यदि नहीं तो मैं समझता हूं कि यह सोने का कलश है जिसमें जहरीला नाग है और वह जिस व्यक्ति को दिया जा रहा है वह कलश भाव से देखते हुए बक्से को छाती से लगाना चाहता है लेकिन वह यह नहीं सोचता कि इसके अन्दर बैठा हुआ जहरीला नाग है जो थोड़ी देर के बाद ही उसके जीवन लीला को समाप्त कर देगा। इसी तरह से आपका यह परिषद् है जिसका सभापति राज्य सरकार के अनुमोदन से गन्ना कमिश्नर द्वारा नामांकित व्यक्ति होगा। चीनी मिल वालों की तरफ से दो प्रतिनिधि होंगे तथा किसानों की तरफ से भी दो प्रतिनिधि होंगे, जिन्हें केन कमिश्नर ही नामांकित करेगा, डी० सी० ओ० या अन्य कोई अधिकारी, जिसे केन कमिश्नर नामांकित करेंगे वही परिषद् के सेक्रेटरी होंगे। इस तरह से ७ आदमियों की जो कमेटी बनायी जायगी उसमें सबके सब नामांकित ही होंगे। फिर मैं आपसे पूछता हूं कि प्रजातंत्र का ढोंग रचना व ढिंढोरा पीटना क्या माने रखता है? मैंने भाषणों के दौरान में सरकारी पार्टी के माननीय सदस्यों को बार बार प्रजातंत्र की दोहाई देते हुए सुना है। वे प्रजातंत्र के बड़े हिमायती हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि यह विधेयक जो आपने उपस्थित किया है और जिसके ऊपर श्री माननीय गेंदा सिंह जी ने अपना संशोधन उपस्थित किया है उसको अगर आप मान लेते हैं तो यह कहने की गुंजायश तो है कि विरोधी पक्ष द्वारा उपस्थित की हुई चीजों को मान कर आपने कुछ ऐसा काम किया जिससे किसानों का प्रतिनिधित्व हो गया और जैसा कि मैंने बतलाया कि जो धांधली और बटवारा है उसको दूर करने में आपने इस विधेयक को उपस्थित करके एक अच्छा कार्य किया।

श्री अध्यक्ष—माननीय सदस्य "आप" शब्द का प्रयोग बहुत कर रहे हैं। उसका प्रभाव मेरे उपर भी पड़ता है।

श्री रामेश्वर लाल—श्रीमन्, यह तो सब को मालूम है कि मैं इस सदन का एक नया सदस्य हूं। तो मैं आपके द्वारा माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करते हुए यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह एक बहुत छोटा सा संशोधन है जो माननीय श्री गेंदा सिंह जी ने पेश किया है। उसे मान लेने से तो जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने फरमाया कि केन्द्रीय सरकार वगैरह की अड़चनें जो उपस्थित होने वाली थीं वह यहां नहीं होतीं और यदि यह संशोधन मान लिया गया तो मैं समझता हूं कि यह एक बहुत बड़ा कार्य होगा जिससे कि किसानों का प्रतिनिधित्व आपके इस विधेयक द्वारा उस बोर्ड में हो सकेगा। यही मुझे निवेदन करना था।

श्री गेंदा सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा नहीं समझता था कि इस संशोधन का भी विरोध या इसको नामंजूर माननीय उद्योग मंत्री जी करेंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्होंने यह निश्चय कर लिया है कि इधर से चाहे जो कुछ भी कहा जाय उसको वे गलत ही समझेंगे। तो अब मजबूरी है। हम तो एक सही चीज को रखना चाहते हैं और अगर वह नही मंजूर करना चाहते हैं तो अख्तियार उनका है। मैं फिर उनसे यह निवेदन करता हूं कि पिछले १५, १६ वर्ष के परिश्रम से जो ग्रोवर्स कोआपरेटिव सोसाइटीज बनी थीं उनकी इज्जत, मर्यादा, प्रतिष्ठा बढ़ाने में ही सरकार की भलाई है और सरकार की बड़ाई भी है। सरकार ने धन व्यय किया है और अपने लोगों से काफी काम कराया है और अब उन लोगों के प्रतिनिधि आवेंगे विकास परिषद् में। उन बोर्डों का एक्स-आफिशिओ चैयरमैन होगा जिलाधीश।

[श्री गेंदा सिंह]

जिलाधीश इसमें बैठेगा और कुछ बोर्ड के डाइरेक्टर्स बैठेंगे तो मैं नहीं समझता कि कलेक्टर जिसको चाहेगा उसके आने में बहुत कठिनाई होगी। जो चाहे कलेक्टर के द्वारा चले आवें और चाहे केन कमिश्नर साहब के द्वारा चले आवें उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिये। लेकिन एक ऐसी छोटी कमेटी में भी लखनऊ के एक आदमी के हाथ में पूरी पूरी ताकत देने के औचित्य को मैं नहीं समझ पाता। विकास परिषदों ने जो काम किये हैं उनको देखते हुये अगर कोई राय बदली होती तो मुनासिब हुआ होता लेकिन वह राय बदली तो ऐसी बदली कि जिससे हालत और खराब हो। आदमी अनुभव से लाभ उठाता है उसके बाद अगर काम अच्छा हो तो अच्छा होता है लेकिन मैं यह देखता हूं कि अनुभव से लाभ नहीं उठाया गया-बल्कि हम दूसरी तरफ चले गये। हम जानते हैं कि केन कोआपरेटिव सोसाइटियों और मिलमालिकों दोनों का लाभ गन्ने की उपज बढ़ने में है और उसके अच्छे होने में है। लेकिन मैं कहता हूं कि केन कमिश्नर साहब का सम्बन्ध पिछले वर्षों में ऐसा नहीं रहा कि गन्ने की उपज बढ़े यहा उसकी उपज अच्छे किस्म की हो। उन्होंने कभी इस बात पर गौर नहीं किया है और इसका सबूत है कि सन् १९४६ से लेकर १९५१ तक बराबर गन्ने की उपज अपने प्रदेश में कम हुई जैसा कि शुगर टेरिफ बोर्ड की भी राय है। तो फिर उसी केन कमिशनर को उसी मुहकमे में अख्तियार देना कहां तक बुद्धिमत्ता होगी। अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निजी अनुभव है कि मिलमालिकों ने सदा डेवलेपमेंट के काम को खुद भी अपने हाथ में लिया। उनमें से ऐसे आदमी अधिकांश निकले जिन्होंने डेवलेपमेंट के काम को बड़ी खूबी के साथ किया। उनका सम्बंध अच्छा गन्ना उत्पन्न कराने में है। क्योंकि उससे उनकी रिकवरी गिरती नहीं है और गन्ने का दाम तो उतना ही देना पड़ता है जितना सरकार ने निश्चित कर रखा है तो इससे कोई प्रभाव कीमत पर तो पड़ता नहीं बल्कि अच्छा गन्ना पैदा होने से रिकवरी अच्छी उतरती है तो अच्छा गन्ना पैदा करने की कोशिश की। यह तो उन्हीं के हित में है और वह मिलकर इस बात का फैसला कर बैठते हैं कि हम इस प्रकार का गन्ना पैदा करें जिससे ज्यादा चीनी पैदा हो, ज्यादा वजन गन्ने का हो तो मैं नहीं समझता कि किस खास इलाके के लिये केन कमिश्नर साहब जानकारी रखेंगे, भगवान बनाकर बैठाये जायेंगे या कौन सी जानकारी रखेंगे। यह मैं नहीं समझता कि किस लिये रखे जायेंगे। यह मैं समझता हूं कि सिवाय हठ के और कोई बात नहीं है।

दूसरी बात यह है कि सरकार चाहती है कि सारी ताकत अपने हाथ में रखे लेकिन यह ताकत रखने से भी कोई लाभ नहीं है। हमको क्षमा करेंगे माननीय उद्योग मंत्री जी इस बात को कहने के लिये कि विकास परिषदों में बड़ा गड़ बड़ घोटाला हुआ है। और विकास परिषद् में जो गड़बड़-घोटाले हुये हैं, जो फंड्स का दुरुपयोग हुआ है उसमें और सरकारी हाथ बहुत ज्यादा रहे। उसके सेक्रेटरी बराबर एक सरकारी अफसर होते रहे। आडिट करने की प्रथा जो रही वह भी बहुत ही गलत है। एक आडिटर है जो आडिट करता है। वह केन कमिश्नर के मातहत है। केन कमिश्नर उसको रिवर्ट कर सकता है, बरखास्त कर सकता है, प्रोमोट कर सकता है। वही आदमी आडिट करता है। किसको अपनी जान के लाले पड़े हैं कि वह हिसाब में उनके खिलाफ लिखने की हिम्मत करे। मुझे एक जानकारी है कि जहां पर एक आदमी ने इस तरह का चर्चा कर दिया। उस आडिटर को देवरिया से मेरठ भेज दिया गया। तो उसकी हैसियत बिगड़ गयी। उसने कहा कि बला में जाय यह फंड और बला में जायं यह ईमानदारी और जहन्नुम में जाय यह सही रास्ता जैसा यह कहेंगे वैसा ही हम करेंगे। देवरिया से मेरठ जाने में दो दिन लगते हैं जो कुछ छुट्टी मिलती है वह वैसे ही खत्म हो जायगी और किराया भी ज्यादा लगेगा। उसने ईमानदारी छोड़ी और फिर जैसा केन कमिश्नर या डिस्ट्रिक्ट केन आफिसर ने कहा उसने उसमें हां में हां मिला दी और फिर मौज उड़ाई। तो विकास परिषद् को जैसा कि इस विधेयक में है जितनी रकम कमीशन की इकट्ठी होगी उसका आधा दिया जायगा। इसके मायने यह हुये हैं कि हर फैक्ट्री १ लाख ७५ हजार के करीब देगी। तो करीब डेढ़ करोड़ रुपया पिछले वर्ष इस प्रदेश की सब फैक्टरियों को मिलाकर हुआ था। उस १।। करोड़ रुपये में से ७५ लाख रुपया विकास परिषद की खर्च करना है। इस रुपये के खर्च करने का

अधिकार एकमात्र एक आदमी के हाथ में दिया जा रहा है यह हमको गड़बड़ मालूम होती है और बड़ा भारी इस पर हमको ऐतराज है। हमारी यह बड़ी हुकूमत है जो ६०, ६५ करोड़ रुपया खर्च करती है लेकिन उसको भी एक एक कदम पर स्वीकृति लेनी पड़ती है। हमारे लिये रास्ता खुला हुआ है और हम उसकी आलोचना करते हैं और हम उसको भी इस तरह से छोड़ नहीं देंगे। लेकिन आप इस ७५ लाख रुपये का क्या इन्तजाम करने जा रहे हैं। यह सारा का सारा रुपया केन कमिश्नर के हाथ में आप देने जा रहे हैं। सारा फंड उनके हाथ में दे दें और उससे कह दें कि सारा काम विकास का तुम करो तब तो कुछ समझ में आ सकता है। जैसा कि अरब की एक किताब में पढ़ रहा था उसमें यह था कि वैद्य को फीस तभी तक दी जाती थी जब तक वहां पर बीमारी नहीं आती और अगर बीमारी आ गयी तो फिर फीस बन्द हो जाती है क्योंकि अगर वह बीमारी आई तो उस वैद्य की वजह से आयी। तो अगर हम इस बात को मान लें कि यह विकास परिषद् जो उद्योग मंत्री जी इस कानून के जरिये से बनाने जा रहे हैं वह अगले दो साल में गन्ने की उपज बढ़ादें तब तो हम समझते हैं कि यह अधिकार उनको दिया जाय और अगर वह ऐसा न कर सकें तो फिर खुद माननीय मंत्री जी इस बात को मानें कि उनको इस अख्तियार के देने से क्या फायदा हो सकता है। मैं उद्योग मंत्री जी को चेतावनी देना चाहता हूं और उनसे अपील तो करता हूं कि वह इसको मानें और नहीं तो मैं यह समझता हूं कि वह भूल कर रहे हैं। मैं क्षमा किया जाऊं कि भूल का शब्द प्रयोग करता हूं लेकिन मैं चेतावनी जरूर देता हूं कि आपका यह विधेयक अगले दो साल के अन्दर विकास परिषद् को आगे बढ़ाने में कामयाब नहीं होगा और आप इसमें आफिशियलडम भरने जा रहे हैं। यह विकास परिषद कुछ आगे कर पायेंगे ऐसा मुझे यकीन नहीं होता। भगवान मेरा यकीन झूठा हो। मैं यह जानता हूं कि माननीय उद्योग मंत्री जी हमारे संशोधन को नहीं मान रहे हैं। और अगर वह इसे न मान कर भी कोई तरकीब दिखला सकें तो हमसे बढ़ कर उनको प्रचार करने वाला नहीं मिलेगा लेकिन फिर भी वह सोचें कि जब हम देवरिया से चलते हैं तो गन्ने चीनी का चिट्ठा लेकर चलते हैं, ठीक है और मैं तो विकास परिषदों की हालत देखता हूं और वहां से भी लिखता हूं और सारे चिट्ठे में से एक दो आने भर मंजूर होता है और बाकी स्वीकार नहीं होता। वह चिट्ठा हमारे सामने रहता है और रहेगा और हम जरूर पेश करेंगे और जानना चाहते हैं कि विकास परिषदों ने क्या किया है। अन्त में मैं एक बार फिर माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इन विकास परिषदों को राजनीतिक अखाड़ा न बनावें और उनको विकास का काम ठीक से करने दें।

श्री हुकुम सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो दिक्कत हमारे मित्र ने बतायी उसी की रक्षा करने के लिये उनके संशोधन को मैं नहीं मानता। जैसा कि उन्होंने कहा कि वह राजनीति का अखाड़ा नहीं बनाना चाहते। जिस शक्ल में मैं इस विधेयक को रख रहा हूं वह भले ही मेरी भूल हो लेकिन यह भूल ही जनता के हित में होगी और जो दिक्कत हमारे मित्र ने अपनी लम्बी चौड़ी तक़रीर में जाहिर की वह उनकी तकरीर से हल नहीं हुई और वह उसको बचाकर दूर दूर इधर उधर दौड़ते रहे। मैं उनकी तकरीर को सुनने के बाद मजबूर हूं। और मैं देखता हूं कि उसमें खतरात हैं कि ऐसे झगड़े बरपा होंगे कि जिस उद्देश्य से डेवलपमेंट कौंसिल बन रही है उनका उद्देश्य ही खत्म हो जायगा। जैसा कि मैंने शुरू में कहा हमारी दिक्कत जेनुइन है और मैं आनेस्टली उसको फील करता हूं और इसलिये इस संशोधन को मंजूर नहीं कर सकता और उसकी मुखालिफत के लिये बाध्य हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ५ के उपखंड (३) के भाग (ख) के उपभाग (१) का रूप निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"(१) चीनी की फैक्टरियों तथा गन्ना उत्पादकों की सहकारी समितियों के प्रतिनिधि के रूप में दो दो सदस्य संबंधित स्वार्थों द्वारा नामांकित होंगे।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २० मिनट पर उपाध्यक्ष श्री हरगोविन्द पंत की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन उपस्थित करता हूं :—

खंड ५ के उपखंड (३) के भाग (ख) के उपभाग (१) (२) और (३) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

(१) गन्ना फैक्टरियों के प्रतिनिधि २

(२) गन्ना उत्पादकों की सहकारी समितियों के प्रतिनिधि ४

उपरोक्त ६ सदस्य अपने में से एक सभापति का चुनाव करेंगे।

(३) जिला गन्ना अधिकारी, जिला नियोजन अधिकारी अथवा अन्य कोई अधिकारी जिसे गन्ना कमिश्नर नामांकित करें, जो सचिव और सेक्रेटरी होगा।"

उपाध्यक्ष महोदय, जो रिजर्व एरिया फैक्टरीज के लिये विकास परिषदें बनी हुई हैं उनमें सरकार की तरफ से जो संगठन है वह यह है "(क)" राज्य सरकार के अनुमोदन से गन्ना कमिश्नर द्वारा नामांकित सभापति, (ख) ६ सदस्य जिनमें से (१) चीनी की फैक्टरियों तथा गन्ना उत्पादकों की सहकारी समितियों के प्रतिनिधि के रूप से दो दो सदस्य गन्ना कमिश्नर द्वारा नामांकित किये जायेंगे, (२) जिला नियोजन अधिकारी जो पदेन सदस्य होंगे, (३) एक अन्य कोई अधिकारी जिसे गन्ना कमिश्नर नमांकित करें, (ग) जिला गन्ना अधिकारी अथवा अन्य कोई अधिकारी जिसे गन्ना कमिश्नर नामांकित करें, जो सदस्य तथा सचिव (सेक्रेटरी) होगा,"

इसमें उपाध्यक्ष महोदय, हर प्रतिनिधि या अधिकारी केन कमिश्नर द्वारा नामजद करने की योजना है। सेलेक्ट कमेटी में यह जरूर मंजूर हुआ लेकिन हम लोग चाहते हैं, जैसे पहले भी एक संशोधन में हम कह चुके हैं कि मिलों के प्रतिनिधियों और गन्ना उत्पादकों के प्रतिनिधियों की संख्या बराबर रखना यह मुनासिब बात नहीं है, संख्या और स्वार्थों दोनों के लिहाज से क्योंकि मिलमालिकों और गन्ना उत्पादकों का स्वार्थ एक दूसरे के विरुद्ध है और जब जब दोनों में झगड़ा होता है तब तब मिलमालिक अपने प्रचुर साधनों के कारण हमेशा लाभ में रहते हैं। तो ऐसी सूरत में मैंने यह रखा कि दो सदस्य गन्ना फैक्टरियों के होंगे और चार सदस्य सहकारी समितियों के होंगे और यही छः सदस्य अपने में से एक सभापति का चुनाव करेंगे।

मेरा विरोध यह है कि केन कमिश्नर उस विकास कौंसिल की नामदजगी न करे। और इन छः सदस्यों, जिनका चुनाव होगा उनके लिये एक होलटाइमर अधिकारी की जरूरत है जो सेक्रेटरी का काम करें। इसलिये मैंने अपनी सूची में रखा है कि जिला गन्ना अधिकारी, जिला नियोजन अधिकारी अथवा अन्य कोई अधिकारी जिसे गन्ना कमिश्नर नामांकित करें, जो सचिव अथवा सेक्रेटरी होगा। पहला बुनियादी सवाल जैसा कि हमारी पार्टी की तरफ से उद्योग मंत्री से कल ही से निवेदन किया जा रहा है कि यह है कि इन विकास कौंसिलों में या माननीय केन बोर्डों में चुने हुये प्रतिनिधि होने चाहिये। इसलिये कि, जिसको कि माननीय मंत्री एक मंत्री की हैसियत से शायद घोषणा करते हुये हिचकते हों, लेकिन इस विभाग में केन कमिश्नर से लेकर नीचे डिस्ट्रिक्ट केन कमिश्नर और ए० सी० डी० ओ० तक इन सब ने एकाधिकार स्थापित कर लिया है। वह यहां तक दिलचस्पी लेते हैं कि जितने चुनाव होते हैं, जैसे जिला डेवलपमेंट कौंसिल के डायरेक्टर का चुनाव, उसमें पहली चीज चुनाव में वह तिकड़म करते हैं कि हमारे ही आदमी उसमें आवें जो हमारे इशारों पर चलें। मैं उद्योग मंत्री जी का ध्यान फैजाबाद जिले की डेवलपमेंट कौंसिल जो केन ग्रोवर्स की है उसकी तरफ दिलाना चाहता हूं। वहां यह एक प्रथा चली आती थी कि कामदार लोग जाते थे और गांव समाज से जाकर प्रतिनिधि चुन लेते थे और वे अपने में से ९ आदमी डायरेक्टर चुनते थे। पिछली मर्तबा ९ आदमियों में से एक आदमी चुना

हुआ आ गया। उसने आते ही पहला काम यह किया कि तीन साल से हिसाब-किताब का लेखा उपस्थित नहीं किया गया था और बिना हिसाब-किताब के उपस्थित किये हुये ही चुनाव होते रहे और उसका नतीजा यह हुआ कि उसने हिसाब-किताब का लेखा जोखा मांगा। इस पर चुनाव को ही अधिकारियों ने रोक दिया। यह गौर तलब बात है कि फैजाबाद में ऐसा क्यों हो रहा है। वहां कई हजार रुपये का गबन है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लिखने के बाद भी वह अधिकारी लेखा-जोखा उपस्थित नहीं कर रहे हैं और पिछले साल चुनाव ही उन्होंने स्थगित कर दिया कि चुनाव ही नहीं होगा। इसलिये जरूरी है कि सरकार की तरफ से नामजद किये हुये लोग हों और साथ ही साथ जनता के प्रतिनिधि हों जो उनके इशारे पर चलने पर मजबूर न हों। विकास कौंसिल के लिये विशेषज्ञों की आवश्यकता हो सकती है। तो मैंने प्रावीजन कर दिया है कि एक सरकारी अधिकारी जो सेक्रेटरी का काम करेगा वह उसमें रहेगा। लेकिन गन्ना विभाग में मोनोपोली उन लोगों की नहीं हो सकेगी। हम यह मानते हैं कि जितने विकास के कार्य हैं, उनमें हमारे देश के होशियार और समझदार लोगों को सहयोग देना चाहिये और जितने ऐसे लोग हों उतना ही अच्छा है लेकिन यह समझ लेना कि सरकारी कर्मचारी ही जिम्मेदारी से काम कर सकते हैं यह चीज कुछ उचित नहीं जान पड़ती। जब मैं माननीय उद्योग मंत्री द्वारा उपस्थित विधेयक को देखता हूं तो हर व्यक्ति या तो सरकार द्वारा या केन कमिश्नर द्वारा नामांकित दिखाई पड़ता है। पता नहीं सरकार कैसे इस चीज को बरदाश्त कर लेती है। खैर ऊपर तो केन बोर्ड था, सारे प्रांत का मामला था, कुछ थोड़े से एलेक्टेड लोगों की बात थी, लेकिन इन कमेटियों में भी वहां की जनता के प्रतिनिधियों का अपरहैंड न हो जो जिले की लैविल पर बनती हैं यह उचित नहीं मालूम होता। मैं मानता हूं कि उद्योग मंत्री प्रयत्नशील हैं और चाहते हैं कि यह एकाधिकार खत्म हो, लेकिन उसका ढंग क्या है। हम जानते हैं कि हमारी कांग्रेस सरकार किसी मानों में नहीं लेकिन कम से कम कागजी मामलों में तो चौकन्नी रहती है और हर जिले में इतने सरकुलर्स और डायरेक्टिव्ज आते हैं सरकारी कर्मचारियों के पास कि उन्होंने तय कर लिया है कि उन्हें पढ़ा न जाय और अलग रख दिया जाय। तो उससे सरकार की मंशा तो जाहिर होती है कि काम हो, लेकिन जनता द्वारा चुने हुये प्रतिनिधियों का सवाल होता है तो वह दिक्कत सरकार समझ नहीं पाती है। अगर चुने हुये प्रतिनिधि होंगे, जो अपने को शक्तिशाली समझेंगे और समझेंगे कि सरकारी कर्मचारी हमारे सहायक हैं और उनका काम रेकार्ड्स रखना है तो वह अपना कर्त्तव्य अच्छी तरह अदा कर सकेंगे। लेकिन हर मामले में पंचायतों को ले लीजिये, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, टाउन एरिया किसी को भी ले लीजिये, सरकार के दिमाग में एक हिचक है जो कि मुनासिब बात नहीं है। जो सरकार सुधार चाहती है उसमें भी रुकावट पड़ती है। तो केन ग्रोवर्स के मामले में जो प्राविश्यल था उसमें तो नामजदगी एक ठीक चीज हो सकती थी लेकिन विकास परिषदों के लिये एक सरकारी नामजदगी होना ठीक नहीं। इससे दोनों के जीवन में सामांजस्य होगा, एक दूसरे का चेक हो सकेगा और जो माननीय उद्योग मंत्री चाहते हैं वैसा ही हो सकेगा। इसलिये मैं समझता हूं कि माननीय उद्योग मंत्री जी इस पर गम्भीरता से विचार करेंगे और इसको स्वीकार करेंगे। अगर कोई दिक्कत हो तो उसका अदलबदल हो सकता है लेकिन जो मूलभूत सिद्धांत है कि गन्ना परिषदों में पदाधिकारियों का अपर हैंड न रह कर मोनोपोली न बन सके जिससे उनमें इतनी हिम्मत हो कि जनता के चुने हुये प्रतिनिधियों में भी तिकड़म करके अपने "यस मेन" वहां बुला लें, यह बात न हो सके।

श्री हुकुम सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी संशोधन नं० १७ के संबंध में बहस हुई थी। वह १७ नं० संशोधन भी खंड ५ के उपखंड ३ के भाग ख नं० १ के संबंध में था। उस संशोधन की भी मंशा यह थी कि फैक्टरी और सहकारी समितियों के नुमाइन्दे जो हों वह चुनकर के आयें और बहस में साफ तौर से यह कहा गया कि चूंकि यह विकास कौंसिलें बनाई जा रही हैं और उसमें अगर चुनाव का तरीका रख दिया जायगा तो चुनाव में आपसमें वैमनस्य अवश्य होगा, पार्टीबंदियां होंगी और मिलजुल कर टीम स्पिरिट से काम में कासिर रहेंगे, इस वजह से श्री गेंदा सिंह जी की तरमीम इस सदन ने नामंजूर कर दी। सीधे तौर से तो नहीं लेकिन इनडाइरेक्ट तरीके से इस सदन ने इस सिद्धांत को नहीं माना कि इन डेवलपमेंट कौंसिलों में चुनाव के जरिये से प्रतिनिधि आयें।

[श्री हुकुम सिंह]

इस तरमीम की भी वही मंशा है कि चुनाव के जरिये से नुमाइन्दे आवें और तादाद में कुछ बेशी भी इसमें रखा गया है। लेकिन वह सिद्धांत तो उसमें भी है चुनाव का। तो जब सदन ने अभी अपना निर्णय दे दिया है कि इस संबंध में चुनाव का होना जनहित में नहीं है तो ऐसी सूरत में मैं समझता हूं कि मैं इस तरमीम को भी मंजूर नहीं कर सकता। इसके अलावा एक दिक्कत और है। जो मौजूदा कार्यक्रम है उसमें मैं देखता हूं नं० १८ पर यह तरमीम है जिसको हमारे मित्र त्रिपाठी जी ने अभी पेश किया है। यह तरमीम अगर ऐसे ही बदस्तूर मान ली जायं तो धारा की शक्ल यह होगी कि उपखंड (३) में परिषद में निम्नलिखित होंगे :—

क—राज्य सरकार के अनुमोदन से गन्ना कमिश्नर द्वारा नामांकित सभापति,

और फिर ख—तरमीम की शक्ल में जैसा कि हमारे मित्र का संशोधन है उस संशोधन में उन्होंने लिखा है कि—

(१) गन्ना फैक्ट्रियों के प्रतिनिधि २

(२) गन्ना उत्पादकों की सहकारी समितियों के प्रतिनिधि ४

(उपरोक्त ६ सदस्य अपने में से एक सभापति का चुनाव करेंगे)

तो एक चुनाव तो ६ आदमी करेंगे और एक 'क' में चुनाव होगा जिसके बारे में कोई तरमीम इस एजेंडा पर नहीं है। तो एक समिति के दो सभापति होंगे एक होगा केन कमिश्नर द्वारा नामांकित जिसको गवर्नमेंट अप्रूव करेगी और एक सभापति होगा इन ६ आदमियों के चुनाव से जैसा कि इस संशोधन में दिया गया है। तो झगड़े की बुनियाद तो यहीं डाल दी गई है। दो सभापति होंगे, एक डेवलपमेंट कौंसिल होगी। कौन प्रेसाइड करेगा, कौन कंट्रोल करेगा, कौन अख्तियारात बरतेगा ?

श्री रामनारायण त्रिपाठी—आप जिसको तय कर देंगे।

श्री हुकुम सिंह—हम फिर क्यों झगड़े में पड़े ? हम आज ही यह तय कर देना चाहते हैं कि एक ही सभापति हो। दो तय करने की जरूरत क्या ? और चुनाव के जरिये से इस तरह से एक बात और मैं अर्ज कर देना चाहता हूं कि यह दिक्कत है इस तरमीम के मंजूर करने में कि दो सभापति हो जायेंगे। इस वजह से भी मैं नहीं मंजूर कर सकता।

इसके अलावा एक दिक्कत और है। इस डेवलपमेंट कौंसिल का एक फंड भी होगा और उसमें काफी रकम आयेगी। चुनाव में खुदा न ख्वास्ता अगर कोई ऐसा आदमी आ गया जिस के सुपुर्द हम इतनी बड़ी रकम नहीं कर सकते, तब क्या हल होगा ? यह भी हम को और सदन को देखना है कि ऐसा आदमी सभापति हो जो इस जिम्मेदारी को खूबी से निभा सके। जिस आदमी के ऊपर इस सदन को कान्फ़िडेंस होगा उसी के सुपुर्द इतनी बड़ी रकम हम कर सकते हैं। यह एक और दिक्कत हमारे सामने चुनाव में है। इसी वजह से इस सिद्धांत को उस मौके पर मैंने श्री गेंदा सिंह की तरमीम के सिलसिले में नहीं माना और सदन ने भी नहीं माना और सदन जायज तरीके से इसको नहीं माना क्योंकि इसमें वजूहात हैं। एक वजह यह भी थी कि उस फंड का कंट्रोल ऐसे आदमी को दिया जाय जिस के बारे में हम को और आप को पूरा पूरा विश्वास हो। ऐसा मुमकिन हो सकता है कि कोई आदमी ऐसा चुन जाय जो कि ठीक तौर से उसका ऐडमिनिस्ट्रेशन न कर सके, यह भी एक दिक्कत है और साधारण दिक्कत नहीं है। इस वजह से भी मैं इस तरमीम को न मानने में मजबूर हूं। इन शब्दों के साथ मैं इस तरमीम की मुखालिफत करता हूं।

श्री रामेश्वर लाल—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस संशोधन पर बहुत कुछ नहीं कहना है। इसके संबंध में चर्चा बहुत देर से हो रही है। ऊपर के संशोधनों से मिलता-जुलता ही यह भी संशोधन है। इसमें प्रश्न यह है कि केन कमिश्नर या सरकार नामांकन करे या चुनाव

द्वारा लोग जो विकास परिषद् है, उसके मेम्बर नियुक्त हो करके आवें। यह सीधा सा प्रश्न है। अगर चुनाव की परिपाटी नहीं मानी गयी और यह माना गया कि नामांकन केन कमिश्नर करेंगे विकास परिषदों की तब जोनल कमेटियां बनेंगी तो यह मानना पड़ेगा कि केन कमिश्नर महोदय उसके लिये जिलों में जो इस विभाग से संबंधित केन आफिसर्स या उनके मातहत ए० सी० डी० ओज० होते हैं उनसे सलाह ले करके नामांकन के लिये चुनाव करेंगे। मुझ अपने जिले का अभी हाल का एक छोटा सा अनुभव है जो मैं सदन की जानकारी के लिये इस नामांकन के संबंध में रख देना आवश्यक समझता हूं। हमारे यहां जो केन डेवलपमेंट का बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स है उस पर गबन का केस चल रहा है। मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि इसी सदन के एक सम्मानित सदस्य जो यहां मौजूद हैं, उसकी जो न्याय करने की समिति कोआपरेटिव बाईलाज के नुसार बनी है, उसके सदस्य हैं। विधानतः शायद यह है कि उस कमेटी के सामने अपने मामले को प्रस्तुत करने के लिये किसी भी पार्टी की तरफ से वकील नहीं जा सकता। चूंकि उस कमेटी में अधिकतर मेम्बर वकील और मुख्तार ही हैं। वहां एक पक्ष को इस बात की जरूरत पड़ी कि एक वकील साहब वकालत करने जायं लेकिन कायदे के मुताबिक जो न्याय करने की कमेटी बनी हुई थी उसने इनकार किया कि यहां पर कोई वकील वकालत नहीं कर सकता क्योंकि यह कोआपरेटिव का मामला है। तो फिर डिप्टी सी० डी० ओ० महोदय, जिनको पक्षपात करना आवश्यक था, उन्होंने यह उचित समझा कि एक वकील को, जो उस जोन से बाहर रहता हो नामांकित कर दिया जाय। उन्होंने वहां पर एक आदमी को जो एक वकील हैं, हमारे जिले के एक बहुत बड़े जमींदार हैं, और आगे अगर कुछ कहें तो यह कहा जा सकता है कि सोशल वर्कर नहीं हैं, नामांकित कर दिया और आज बड़े मौज से वह एक पक्ष को रिप्रिजेंन्ट करते हैं और वहां पर वकालत करते हैं। भगवान जाने उसका क्या फैसला होगा और क्या रुख होगा। मैं यह समझता हूं कि नामांकन के लिये सरकार को कमिश्नर महोदय के यहां से कोई ऐसी जानकारी नहीं हो सकती। उसके लिये ए० सी० डी० ओज० और डिप्टी ए० सी० डी० ओज० से परामर्श लेना आवश्यक होगा। फिर वह परामर्श देंगे। इसलिये मैं कहूंगा कि इसकी आवश्यकता क्या है। इसलिये इस पर विचार करना पड़ता है। नामांकन करने वाले अधिकारी की आवश्यकता है कि उनके कार्य के खिलाफ कोई आवाज न उठावें उनके किसी भी रास्ते में कोई रोड़ा न पेश करें। तो फिर वह सोचेंगे कि ऐसे आदमियों को ही जो संबंधित कार्यों से अनभिज्ञ हों और जरूरत पड़ने पर हमारी वकालत करें, उन्हीं को नामांकित किया जाय। तो फिर ऐसा हो जाता है कि किसानों के लिये उनके सही रिप्रजेंटेटिव उस संस्था में या उस बोर्ड में नहीं जा पाते। इन्हीं चीजों को सोच समझ कर एक सोशल कार्यकर्त्ता होने के नाते हमारे माननीय सदस्य ने यह संशोधन उपस्थित किया है और मैं चाहूंगा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा कि माननीय मंत्री जी कम से कम इस संशोधन को मान लें। इस संशोधन के मान लेने से किसानों का प्रतिनिधित्व उसमें ज्यादा हो जाता है और जहां तक माननीय मंत्री जी का यह कहना है कि विकास परिषदें दलबन्दी का अखाड़ा न बन जाय तो मैं आपको ज्ञात कराना चाहता हूं कि मैंने बहुत से ऐसे अवसरोंपर जब कि विकास परिषदों के वार्षिक सम्मेलन हुआ करते हैं उनमें मुझे जाने का मौका मिला है। मैंने उनकी वार्षिक रिपोर्टें पढ़ी हैं मैंने उनमें देखा है कि उनका जो एक साल का कार्य विवरण जो होता है उसमें सिर्फ यही लिखा रहता है कि ४०० गड्ढे खोदे, २०० मैन्योर पिट्स बनाये, यह काम किया और वह सफाई की। इसके अलावा और न जाने क्या-क्या लिखा रहता है। लेकिन अगर इंक्वायरी में जाइये तो उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं सदन को बतला देना चाहता हूं कि उसमें सारी झूठी बातें दी मिलेंगी। और वह झूठी बातें इसी लिये रहती हैं क्योंकि उनमें जनता का सही प्रतिनिधित्व नहीं रहता है। यदि मैं कहता हूं तो हो सकता है कि सदन के सम्मानित सदस्य यह कहने की हिम्मत करें कि कुछ जनता के चुने हुये प्रतिनिधि उन विकास बोर्डों में रहते हैं तभी ऐसा होता है जैसा कि हमारे साथी ने बतलाया। कामदार गांवों में जाते हैं और जिन के यहां अधिक भोजन आदि करते हैं उन्हीं के यहां बैठकर उन्होंने १०, ५ आदमियों से कागजों पर दस्तखत करा लेते हैं। लोगों को यह नहीं पता रहता है कि कैसे दस्तखत हैं। वे केवल यही जानते हैं कि ये केन डेवलपमेंट विकास बोर्ड

[श्री रामेश्वर लाल]

के कामदार हैं। और लोग इधर उधर आते जाते, टट्टी वगैरह जाते वक्त वहीं रास्ते में कागज पर हस्ताक्षर कर देते हैं क्योंकि वह जानते हैं कि यह कामदार हैं। बाद में साबित किया जाता है कि कमेटी हुई, चुनाव हुआ इसलिये मैं कहूंगा कि यह आवश्यक है कि दलबन्दी की बात न सोची जाय। अगर थोड़ी देर के लिये मान लीजिये कि दलबन्दी हो भी गई तो यह जो गलत रिपोर्टस आती है कि ४०० गढे खोदे गये, इस पर विरोध होगा और जब सही विरोध होगा तो कोई भी ए० सी० डी० ओ० या डिप्टी ए० सी० डी० ओ० गलत काम नहीं करेगा। न ऐसी रिपोर्टें आयेंगी।

मैंने देखा कि पारसाल जब टेस्ट वर्क का काम शुरू हुआ तो विकास बोर्ड ने सड़कें बनाने का काम शुरू किया। उसमें कुछ रुपया मंजूर किया गया कि सड़कों पर लगाया जाय। इससे गरीबों को भी कुछ सहायता दी जाय। शायद इस सदन के बहुत से सम्मानित सदस्य जो परिषदों से संबंधित हैं वह भी आपके सामने इस सत्यता की पुष्टि करेंगे। वह सड़कें बनाई गई और उन लोगों के घरों के दरवाजों तक बनाई गई, जोकि हमारे बड़े आफिसर के सलाहकार या इसी तरह के और कुछ लोग गड़बड़ करने वाले थे। रुपये का खर्चा कैसे किया गया?

श्री हुकुम सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे मित्र जरा धीरे से बोलें तो हम भी ठीक तरह से समझ सकें, नहीं तो जवाब देने से कासिर रहेंगे।

श्री रामेश्वर लाल—मैं बतलाना चाहता था कि उसमें रुपये को मनमाने ढंग से खर्च किया गया और अपने सलाह वाले ठेकेदार और संबंधी लोगों के दरवाजों तक ही सड़कें बनायी गईं। अगर उसमें कोई इस बात का विरोधी होता कि ऐसे लोगों के या चेयरमैन के घर तक सड़क न बने तो इससे काम अच्छा ही हुआ होता। इसलिये मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री इस संशोधन को मान कर एक अच्छा ही कार्य करेंगे।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—माननीय उध्यक्ष महोदय, मैं श्री रामनारायण जी त्रिपाठी द्वारा प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। अभी-अभी माननीय उद्योग मंत्री ने इस संशोधन का विरोध करते हुये एक ऐसी बात कही जो कि शायद उनके भी खिलाफ है, प्रजातंत्र के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है और जनता के खिलाफ भी वह चीज पड़ती है। मंत्री जी ने यह कहा कि चुने हुये प्रतिनिधियों को कोई रुपये का काम देना गड़बड़ होगा। उन्होंने कहा कि पता नहीं कि चुने हुये व्यक्ति किस किस्म के आजावें जिनके हाथ में हम इतनी बड़ी रकम दे देंगे तो मालूम नहीं क्या होगा। लेकिन माननीय मंत्री जी यह भूल जाते हैं कि आज यहां की हुकूमत भी चुने हुये ही प्रतिनिधियों के हाथ में है। जब ऐसे व्यक्तियों के हाथ में इतनी बड़ी रकम दी जा सकती है, करोड़ों रुपयों का इन्तजाम उनके हाथ में दिया जा सकता है तो मेरी समझ में नहीं आता कि इन परिषद के मेम्बरों पर क्यों नहीं विश्वास किया जाता जबकि वे भी चुने हुये ही होंगे।

दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कि होता क्या है। जो भी नामजदगियां ऊपर से होती हैं, वे ऊपर से नहीं हो पातीं। उन जगहों के जो एस० डी० ओ० वगैरा होते हैं वे अपनी गुटबन्दी को मजबूत करने के लिये जिन जिन नामों को ऊपर भेज देते हैं उन्हीं के मंजूरी ऊपर से हो जाती है। फिर जो कौंसिल बनती है उसे साथ लेकर मनमाने ढंग से काम किया करते हैं। गन्ने की उपज बढाने के काम में और इनाम बांटने में धांधलियां होती हैं। बहुत सी ऐसी मिसालें आपको मिल सकती हैं। बहुत सी शिकायतें, मैं समझता हूं कि माननीय उद्योग मंत्री जी के पास इस किस्म की आई भी होंगी इस बात की कि उस कमेटी में चुने हुये ही व्यक्ति आवें और उनको वह चीज सौंपी जायं, प्रजातांत्रिक है और माननीय मंत्री को इसे स्वीकार कर लेना चाहिये।

श्री राम नारायण त्रिपाठी—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं माननीय मंत्री जी का मशकूर हूं कि उन्होंने एक गलती बतलाई। असल में मैंने जो संशोधन

भेजा उसमें गलती रह गई। यह इस तरह से होना चाहिये था कि खंड ५ के उपखंड (३) के भाग (क) तथा भाग (ख) के उपभाग इत्यादि। इस तरह से इन भागों को मिला देने से माननीय उद्योग मंत्री को जिस समस्या का सामना करना पड़ा वह खत्म सी हो जाती है। माननीय मंत्री जी ने ३ प्रश्न इस संबंध में उठाये। पहला तो यह है कि इसी विचार का एक प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकार हो चुका है। मगर इस ओर पहले संशोधन में भेद है। पहले में उन्होंने एक आंशिक बात पर विरोध किया था। इसलिये इसमें सदन के पूर्व मत के खिलाफ कोई बात नहीं है। दूसरा प्रश्न उन्होंने यह उठाया कि चुनाव में काफी दिक्कतें होंगी। मैं नहीं समझ पाया कि जब केन कमिश्नर कोआपरेटिव सोसाइटियों के प्रतिनिधियों में से दो आदमी नामजद करेंगे तो क्या वे मन चाहे ढंग से जिनको मिल मालिक चाहेंगे उनको करेंगे या एसोसियेशन से कोई पेनल मांगा जायगा। आखिर गन्ना कमिश्नर किस तरह से वे दो आदमी नामजद करेंगे उनमें कोई, चुनाव तो जरूर होगा। इसलिये माननीय उद्योग मंत्री का यह भ्रम दूर हो जाता है। असल में कोई न कोई नामावली केन कमिश्नर के पास होगी जिसके अनुसार वह नामजदगी करेंगे। तो चुनाव से आप किसी तरह भी नहीं बच सकते ?

फिर फंड्स के बारे में माननीय उद्योग मंत्री ने कहा कि वह काफी रकमें होती हैं। यदि उन प्रतिनिधियों के लिये यह कहा जाय, जिनको जनता चुनकर भेजती है, कि वह एम्बेजिलमेंट और बंगलिंग करेंगे तो मैं समझता हूं कि यह उनके खिलाफ ऐसा कहना एक ज्यादती होगी। इस बिल के पास होने पर कोई रूल्स भी तो बनेंगे और फिर एकाउन्ट्स के रूल्स हैं जिनके अनुसार चैकिंग होगा। तो क्या बिल पास होने से ही उन प्रतिनितियों के लिये कोई नवाबी कायम हो जायगी ? ऐसी चीज नहीं है। हम चाहते हैं कि लोग सीखें और वह अपनी जिम्मेदारी कोई महसूस करें। नौकरशाही का उन पर पर असर न पड़े। इस प्रकार जितनी शंकायें माननीय उद्योग मंत्री को थीं वे सब निर्मल हो जाती हैं। जो चीज हम लोगों को परेशान करती है वह यह है कि कुछ ऐसा सिलसिला जम गया है कि केन कमिश्नर के नीचे जितने भी सरकारी कर्मचारी होते हैं वे मनोपोली बना लेते हैं और ऐसे लोगों का चुनाव कराते हैं और काफी दिलचस्पी वह लेते हैं। माननीय उद्योग मंत्री आप भी यह नहीं चाहते कि सरकारी अफसरों की मोनोपली हो, धांधली हो और हम भी इस बात को नहीं चाहते हैं लेकिन फिर उसके लिये कोई रास्ता तो अवश्य ही निकलना चाहिये। इसी सब को देख कर सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव आया है उस पर काफी जिम्मेदारी के साथ सोच-विचार कर और चैक्स व बैलेंसेज को खयाल में रख कर यह चीज रखी गयी है। अगर जनता के प्रतिनिधि उसमें होंगे तो वे काउन्टरबैलेंस का काम करेंगे और दोनों मकसद सध जायेंगे। मैं समझता हूं कि इसके प्रकाश में माननीय उद्योग मंत्री इसको समझेंगे और उस पर गंभीरता पूर्वक विचार करके इसको मान लेंगे। इसको मान लेने से कर्मचारी कोई धांधली न कर सकेंगे।

श्री हुकुम सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैंने यह कभी नहीं कहा कि चुनाव होकर जो प्रतिनिधि आयेंगे वे गबन करेंगे। मेरे कहने की मंशा तो यह थी कि ऐसे लोग जो आयेंगे हो सकता है कि वे ठीक तरह से प्रबंध कर सकने में रुपये का सद्व्यय न कर सकें। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग ऐम्बेजिलमेंट भी करें।

इसके साथ ही साथ मेरे मित्र ने फरमाया कि आफिसर्स मोनोपली बना लेते हैं और मोनोपली करके नाजायज तरीके पर इसको इस्तेमाल करते हैं। कल मेरी भी मंशा यही थी, जिस पर कल तमाम वाद विवाद हुआ। और इसीलिये मैं डिसोल्यूशन चाहता था। इन्हीं जरूरतों को देख कर इधर से यह कहा गया था कि पावर का डिसोल्यूशन होना चाहिये और उसको सदन ने और आखिरकार आप लोगों ने भी उसको मान लिया। मैं अपने माननीय मित्र को यह आश्वासन दिलाता हूं कि अगर कोई आफिसर नाजायज तरीके पर अपने अख्तियारात का इस्तेमाल करे, नाजायज तरीके पर डेवलपमेंट कौंसिल का इस्तेमाल करे तो उसको आप शिकायत करें, मैं जरूर उस पर तवज्जह दूंगा।

[श्री हुकुम सिंह]

और उस ऐब को मिटाने की कोशिश करूंगा, उन अख्तियारात के जरिये से जो सदन ने सरकार को दिये हैं। लेकिन जैसा कि शुरू में मैंने श्री गेंदा सिंह जी की तरमीम के सिलसिले में कहा, वैसा ही मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि अगर इसमें चुनाव की बात डाल दी गयी तो डेवलपमेंट कौंसिल का जो उद्देश्य है वह नष्ट हो जायगा और आपस में लड़ाई झगड़ा होकर उसकी जो मंशा है वह समाप्त हो जायगी। यह कौंसिल दलबंदी में बट जायगी और एक दूसरे के खिलाफ इन्ट्रिग्स करने में लोग अपनी शक्ति का ह्रास करेंगे और असल बात की तरफ तवज्जह कम होगी। यही दिक्कत थी श्री गेंदा सिंह की तरमीम के न मानने में और इस तरमीम के सिलसिले में भी वही दिक्कत है। बहुत से और तरीके हैं जिनसे सही नुमायन्दगी हो सकती है। गन्ना ग्रोअर्स की सोसायटीज हैं, उनमें अच्छे-अच्छे बहुत से आदमी होंगे उनको ढूंढकर नामजद करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है जो नहीं हो सकता और भी बहुत से जरिये हैं जिनसे बहुत से अच्छे आदमियों को लाया जा सकता है। लिहाजा मेरे रास्ते में चूंकि ये दिक्कतें हैं इसलिये मैं इस संशोधन को मंजूर नहीं कर सकता।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ५ के उपखंड (३) के भाग (ख) के उपभाग (१), (२) और (३) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(१) गन्ना फैक्टरियों के प्रतिनिधि—२

(२) गन्ना उत्पादकों की सहकारी समितियों के प्रतिनिधि—४

उपरोक्त ६ सदस्य अपने में से एक सभापति का चुनाव करेंगे।

(३) जिला गन्ना अधिकारी, जिला नियोजन अधिकारी अथवा अन्य कोई अधिकारी जिसे गन्ना कमिश्नर नामांकित करें, जो सचिव अथवा सेक्रेटरी होगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री रामनारायण त्रिपाठी—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन पेश करता हूं—

खंड ५ के उपखंड (३) के भाग (ख) के उपभाग (१) की पंक्ति २ में शब्द "दो दो" के स्थान पर क्रमशः शब्द "एक और तीन" रख दिये जायं।

उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक की धारा ५(३) में इस विकास कौंसिल के प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों का जिक्र है। उपधारा (३) के उपभाग (ख) (१) में इस प्रकार से है:—

(१) चीनी की फैक्टरियों तथा गन्ना उत्पादकों की सहकारी समितियों के प्रतिनिधि के रूप से दो दो सदस्य गन्ना कमिश्नर द्वारा नामांकित किये जायेंगे। और अगर मेरा संशोधन मान लिया जाय तो (१) में जहां मिल मालिकों के दो प्रतिनिधि और गन्ना उत्पादकों की सहकारी समितियों के दो प्रतिनिधि मिला कर ४ हुये, वहां मेरे संशोधन द्वारा मिल मालिकों का सिर्फ एक प्रतिनिधि होगा और ३ प्रतिनिधि गन्ना उत्पादक सहकारी समितियों के होंगे। इस संबंध में कल भी मैंने एक संशोधन पेश किया था और मैं उन तकरीरों को दोहराना नहीं चाहता हूं लेकिन अब तो मेरा १८ नं० का संशोधन गिर जाने के बाद और माननीय उद्योग मंत्री जी के मनचाहा विकास कौंसिल के परसनेल बन जाने के बाद मैं समझता हूं कि अगर थोड़ा सा वेटेज गन्ना उत्पादकों का रख दें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। उपाध्यक्ष महोदय, इन विकास कौंसिल के हिस्से में ज्यादा से ज्यादा एक-एक या दो दो मिलें होंगी और उनमें केन ग्रोवर्स की तादाद हजारों लाखों तक पहुंचती है तो दोनों का प्रतिनिधित्व बराबर बराबर रखना संख्या के लिहाज से भी नामुनासिब बात होगी, सरकार को भी इसमें कोई खास अड़चन नहीं होगी।

इसमें सरकार की बदनामी भी हो सकती है कि उसने मिलमालिकों और केन ग्रोवर्स को बराबर-बराबर ही समझा। जो बोर्ड के परसनेल हैं। वह तो माननीय उद्योग मंत्री जी ने जैसा चाहा वैसा बना ही लिया, लेकिन इतनी रियायत भी किसानों के लिये कर देते तो मैं समझता हूं कि उनकी और बातें और सुझाव भी माने जा सकते। तो मैं ज्यादा बहस में न जाकर यही कहता हूं कि माननीय उद्योग मंत्री जी इसको स्वीकार कर लें।

श्री हुकुम सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि सदन बखूबी जानता है कि बोर्ड में भी फैक्टरी, केन ग्रोवर्स और केन ग्रोवर्स सौसाइटीज का बराबर बराबर रेप्रेजेंटेशन नहीं रखा गया है और कल भी बड़ी लम्बी चौड़ी बहस इस मसले पर हुई। यह जो केन डेवलपमेंट कौंसिल है इसमें कुल ऐसे रेप्रेजेंटेटिव ९ होंगे जिनमें २ तो होंगे केन ग्रोवर्स के, २ होंगे फैक्टरीज के और बाकी प्लानिंग आफिसर और गन्ना अधिकारी होंगे। एक और कोई दूसरा शख्स होगा जिसको गन्ने के काम से ज्यादा जानकारी व दिलचस्पी हो। इस तरह से अगर प्लानिंग आफिसर और गन्ना अधिकारी के होते हुये जिनका कि मुख्य उद्देश्य यह है कि डेवलपमेंट के काम में ज्यादा दिलचस्पी हो, और काफी तरक्की उसमें करे और उसमें डेवलपमेंट का अधिक से अधिक काम करे तो इसमें अगर फैक्टरीज के दो भी रहे तो भी केन ग्रोवर्स प्लानिंग आफिसर वगैरह मिला कर उनसे बहुत काफी बढ़ जायेंगे और अगर वोटिंग का मौका हो तो आउट आफ वोटिंग हो सकते हैं। प्लानिंग आफिसर का मुख्य उद्देश्य केन ग्रोवर्स के हकूक की तहफ्फुज करना है डेवलपमेंट करना उनके लिये बहुत मुनासिब है लिहाजा उनका तो कोई दूसरा इन्टरेस्ट हो ही नहीं सकता है। सबको गन्ना ग्रोअर्स की मदद करना चाहिये। फिर विकास के मामले में वोटिंग का कोई सवाल नहीं है। जिससे देश का कल्याण हो, सूबे का कल्याण होगा, जनता का कल्याण होगा उसमें अगर गन्ना पैदा करने वालों की तरक्की होती है तो उससे फैक्टरीज को भी फायदा होगा और जनता का भी लाभ होगा। दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेन्डेंट हैं। उसमें किसी खास मामले में मतभेद होने की कोई गुन्जायश नहीं है जिससे कि वोटिंग वगैरह की आवश्यकता पड़े। मेरी बदनामी उसमें कभी नहीं होगी। मैं अपने मित्र का बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने मुझे नेक सलाह दी है। अब किसान इतने अनाड़ी नहीं हैं, वह खूब समझते हैं कि उन लोगों के हकूक हमारे हाथ में महफूज हैं। लिहाजा एक, दो तीन में कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता है जिससे किसी किस्म का कोई नुकसान हो। लिहाजा बोर्ड में बराबर दिया गया है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ५ के उपखंड (३) के भाग (ख) के उपभाग (१) की पंक्ति दो में शब्द "दो दो" के स्थान पर क्रमशः शब्द "एक और तीन" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा अस्वीकृत हुआ)

श्री राम नारायण त्रिपाठी—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ५ के उपखंड (४) के अन्त का प्रतिबंध निकाल दिया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, विधेयक के खंड ५ के उपखंड (४) के बाद जो प्रतिबन्ध है वह इस प्रकार है:—

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि गन्ना कमिश्नर को यदि यह संतोष हो जाय कि ऐसा करना आवश्यक है तो वह कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व ही परिषद् को तोड़ सकते हैं अथवा उसके किसी सदस्य को कारणों को अभिलिखित करके हटा सकते हैं।"

उपाध्यक्ष महोदय, इस संबंध का एक विषय भवन के सामने आ चुका है, जहां तक इस विकास परिषद् की नामावली का सवाल है वह तो माननीय उद्योग मंत्री भी भली प्रकार जानते हैं। कोई भी सदस्य ऐसा नहीं है जो यह दलील रखता हो कि गन्ना कमिश्नर द्वारा नामांकित हो। कौन सी चीज ऐसी है जिसकी वजह से यह संभव हो सकता हो और

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

जिसकी वजह से माननीय मंत्री जी व सरकार ने इसमें यह रक्खा है कि इतने समय के बाद एक बोर्ड को बनायें और ऐसी कोई आवश्यकता आ पड़ती है कि वह बोर्ड फौरन ही तोड़ दिया जाय और जब कि यह आमतौर पर ऐडवाइजरी बोर्ड की हैसियत में है, तो एक तो मैं इसके खिलाफ हूं कि सरकार द्वारा, या गन्ना कमिश्नर द्वारा वह परिषद् जो कि कौंसिल में है अगर किसी तरह से सरकार नहीं मानती है तो उसको तोड़ देती है। इसमें लोगों की जिम्मेदारी भी है तो उस पर फौरन यह प्रतिबन्ध लगाना कि सरकार जब चाहे, अगर जरूरत देखती है या मुनासिब नहीं समझती है, उस बोर्ड को तोड़ देती है। मैं सिद्धांत के बारे में कई बार पहले भी निवेदन कर चुका हूं कि यह सिद्धांत की बात है कि जब किसी संस्था के व्यक्ति को कोई कार्यभार दिया जाय, तो उसको काफी समय दिया जाना चाहिये, उसको काफी मौका दिया जाना चाहिये कि वह उसकी मुश्किलों को समझे और अपने कार्य को जिम्मेदारी के साथ सम्भाले। मैं जानता हूं कि ऐसी बहुत सी गड़बड़ियां हो सकती हैं जिसका इलाज यही हो सकता है कि उसके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जितनी दफायें हैं उसका इस्तेमाल करके, सरकार द्वारा उन पर मुकद्दमा चलाया जावे और मुकदमा चलाने के बाद वह सदस्य उस जगह से पृथक हो जायगा। वर्तमान कानून के कारण उनको हमेशा इस बात का डर रहेगा कि सरकार नामजद करने वाली है वह जब चाहे उसे हटा दे। माननीय उद्योग मंत्री जी तो जनता के प्रतिनिधि हैं वह इस बात का अन्दाजा अच्छी तरह से कर सकते हैं और उनसे इस बात की आशा कर सकते हैं कि वे विधेयक के साथ काम करेंगे। मैं समझता हूं कि अगर मेरा यह संशोधन नामंजूर कर दिया गया तो माननीय उद्योग मंत्री की इस व्यवस्था में कोई सदस्य या पदाधिकारी गड़बड़ी कर सकते हैं। जहां तक कानून का संबंध है वह मैंने माननीय उद्योग मंत्री के सामने उपस्थित कर दिया है। सरकार समझती है कि इस प्रतिबन्ध से रोकथाम हो सकती है। लेकिन इस विधेयक में सबसे बड़ी शिकायत नामजदगी की है। जब चाहे वह मेम्बर को अलग कर सकते हैं और जब चाहे निकाल सकते हैं। इस सदन में बोर्ड के बारे में काफी बहस हो चुकी है। उसके बारे में जो कुछ कहा गया है वह माननीय उद्योग मंत्री जी को याद होगा। ऐसी सूरत में इस प्रतिबन्ध को हटा दिया जाय। और लोगों को सजा देने की व्यवस्था कर दी जाय तो मैं समझता हूं कि उद्योग मंत्री जी का भी काम चल सकता है। यह एक ऐसा उसूल है जो उनको भी प्रिय है और विरोधी दल को भी प्रिय है। इसलिये इस प्रतिबन्ध की जरूरत न पड़ेगी।

श्री हुकुम सिंह---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इस उसूल का ताल्लुक है कल तमाम दिन इस पर बहस हुई है और बहस मुबाहिसा के बाद सदन ने यह निश्चित किया था कि सरकार को बोर्ड मुकर्रर करने के बाद डिजाल्व करने का अधिकार भी होगा। वहां सेलेक्ट कमेटी में भी तय हो चुका है। मुझे इस तरमीम की मुखालिफत करने में बहुत आसानी हो गई है क्योंकि मेरे दोस्त ने फरमाया था कि आफिसर अक्सर मोनोपलाइज कर लेते हैं। अगर यह बात संभव हो सकती है तो फिर उनको डिजाल्व करने का अधिकार हमको होना चाहिये। अगर हमको यह अधिकार नहीं है और वह कोई बेजा कार्यवाही करते हैं और हमारे दोस्त उनकी शिकायत लेकर आते हैं तो हम उस समय बिल्कुल बेबस होकर कह देंगे कि हम आपकी मदद नहीं कर सकते हैं, मैं समझता हूं कि इस प्रतिबन्ध की बहुत आवश्यकता है ताकि लोग ठीक-ठीक काम करें और कोई बेजा फायदा न उठा सकें। इसलिये इस इलाज की निहायत आवश्यकता है और यह तरमीम मानने के काबिल नहीं है।

श्री गेंदासिंह---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके बाद एक संशोधन इस संबंध में मेरा भी है। मैं समझता हूं कि इस संशोधन के पास हो जाने के बाद उसकी कोई आवश्यकता नहीं रहती है। इसलिये मैं अपने विचार इसी संशोधन पर प्रकट किये देता हूं। यह बात सही है कि कल इस सदन में इस पर काफी बहस हो चुकी है।

इस सदन ने एक फैसला दे दिया कि इस स्थिति में जो लोग विकास परिषद् में जायें उनके द्वारा वह कमेटी बने। इस परिषद् के अधिकार माननीय मंत्री जी केन कमिश्नर को दिलाना चाहते हैं। वह चाहे केन कमिश्नर को दिलायें और चाहे अपने हाथ में रखें उसमें थोड़ा सा फर्क आता है लेकिन मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि इन विकास परिषदों का और गन्ना बोर्ड का जो काम है दोनों के काम में थोड़ा अन्तर है। यह बिलकुल एक स्थानीय चीज है और उस स्थानीय चीज से उतनी जानकारी माननीय उद्योग मंत्री जी को नहीं हो सकती जितनी जानकारी दूसरे लोगों की होगी। पिछले जमाने में भी विकास परिषदें रही हैं और उन्होंने काम किया है। मुझे कुछ बहुत संतोष तो उन विकास परिषदों से नहीं है। उन विकास परिषदों के जिस प्रकार पहले नामांकन किये गये या जिस प्रकार की उनकी कार्यशैली रही आज तक कभी भी माननीय उद्योग मंत्री जी को शिकायत नहीं है कि इन विकास परिषदों का काम खराब रहा है। हालांकि मुझे जाती तौर पर इस बात की जानकारी है कि इन विकास परिषदों ने कोष का दुरुपयोग किया है और ऐसी और बातें की हैं जो इस सरकार का मंशा नहीं है और कम से कम विकास परिषदों के उद्देश्य से बाहर की बात है। मैं एक उदाहरण उनके सामने रखना चाहता हूं इत्तिफाक से जिस गांव का रहने वाला हूं उस गांव का गन्ना एक शुगर फैक्टरी में जाता है और बड़ी अच्छी कम्पनी कही जाती है, हिन्दुस्तान की बहुत धनी कम्पनी है। यह कम्पनी जेम्स फिनले नाम की कम्पनी है उसने यूनाइटेड प्राविन्सेज शुगर कम्पनी लिमिटेड नाम से एक कम्पनी देवरिया में खोल रखी है। जब से विकास परिषद् बना तब से आज तक उसके केन सुपरिन्टेन्डेन्ट एक अंग्रेज महाशय हैं और उसके चेयरमैन वे ही हैं, उनकी कारगुजारी यह रही है कि जितनी वैराइटी इस तरह के गन्ने की होगी जिसमें ज्यादा से ज्यादा चीनी पैदा हो और वजन में कम से कम हो उस तरह का गन्ना सप्लाई किया जाय। हमारे विकास परिषद् में कुछ सदस्य बेचारे हैं वे पब्लिक वर्कर भी हैं। उनमें से ऐसे लोग भी हैं जो बहुत हमारे दोस्त तो नहीं हैं और राजनीति में हमारे अपोनेन्ट हैं। लेकिन जब कभी मैं उनसे पूछता हूं कि क्या हालत है इन विकास परिषदों की। तुम लोग इन विकास परिषदों में बैठते हो और बैठकर इस तरह की केन सुपरिन्टेन्डेन्ट की हरकतों को बरदास्त करते हो क्या माने हैं इसके, तो उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि भाई क्या करें उसमें जो सरकारी अधिकारी आते हैं ए० सी० ओ० और डिप्टी केन डेवलपमेंट आफिसर वे भी उस ग्रंथि के पंजे से बाहर नहीं हैं। जो कुछ वह कहते हैं वही कर लेते हैं। तो हम क्या करें। मैंने उनसे कहा कि तुम लोग अकेले नहीं दो आदमी तो हो कुछ तो आवाज उठाओ। तो उन्होंने कहा कि भाई हम अल्पमत में हैं और वह हमारे सिर पर लदे रहते हैं। तो मेरी समझ में नहीं आता कि पहले नामांकन करने का अधिकार था और बिला नामांकन किया हुआ वह सभापति है और मुझे बहुत अच्छी तरह से जानकारी है कि जब से केन सोसाइटी वहां पर आर्गेनाइज हुई है तब से रिकर्ड वहां का यदि देखा जाय तो गन्ने की पैदावार कम हुई है, लेकिन यहां तक सब कुछ होने के बाद भी गन्ना विभाग और जिस केन कमिश्नर पर इतना भारी भरोसा करने की इच्छा रखते हैं माननीय उद्योग मंत्री जी मैं कह सकता हूं उनको कोई जानकारी नहीं हो सकती कि वहां गन्ने की उपज घटी या बढ़ी और अगर घटी तो क्यों घटी। तो यह दरबार ऐसा है गन्ना विभाग का कि अगर वहां बेईमानी कोई करे या चोरी करे तो उसके लिये सजा नहीं है। जो भला करे उसके लिए इनाम भी नहीं है। कहीं-कहीं ऐसा जरूर होता है कि इस विभाग में कि जो भला कर दें उनकी गर्दन नाप दो। लेकिन अगर कोई बुराई का काम करे तो उसके लिए पूरी गुंजाइश है। तो उन लोगों के हाथ में माननीय उद्योग मन्त्री जी सारा अधिकार देना चाहते हैं। जो अधिकार विकास परिषद् को तोड़ने का ले रहे हैं वह किस आधार पर, किस जानकारी के आधार पर इस परिषद् को तोड़ेंगे। उनको तो इतनी फुरसत है नहीं कि उसके लिए जानकारी प्राप्त करें। मैंने पिछले सेशन में एक सवाल किया था कि यह बतलाया जावे कि तमकोही में कितना मन गन्ना और भटनी में कितना मन गन्ना पैदा हुआ। यह दो जगहों के लिए सवाल थे। हमारे उद्योग मन्त्री तो उस समय यहां पर नहीं थे लेकिन हमारे

[श्री गेंदासिंह]

उपसचिव ने उनका जवाब दिया था। उस विभाग वालों ने इतना बढ़िया जवाब भेजा था कि उसको सुनकर मुझे खुद परेशानी हुई और बैठ जाना पड़ा। मैं देख रहा था कि माननीय उपसचिव खुद परेशान थे, क्योंकि मैं जानता हूं कि उनकी जानकारी नहीं थी। उनकी जो जानकारी करायी गयी वह उसका उत्तर नहीं था जो कि पूछा गया था। एक जगह की बाबत बतलाया गया कि इतने मन गन्ना पैदा हुआ और दूसरी जगह इतने एकड़ में गन्ना पैदा हुआ। मैंने फिर उनसे कहा कि मुझको गन्ने का हिसाब मन में बतलाया जाय। मगर वह इसका जवाब क्या देते उनके पास इसका जवाब ही नहीं था। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस विकास परिषद् को तोड़ने की इच्छा चाहे वह कितनी ही अच्छी हो लेकिन वह उनकी इच्छा और उनका इरादा सफल नहीं होगा। लेकिन जब कहीं भी वह देखेंगे कि एस० सी० ओ० और डी० सी० ओ० की बातें ठीक नहीं चल रही हैं और उनके मन की बात नहीं हो रही है तो फिर वहां वह विकास परिषद् को तोड़ देने की सिफारिश फौरन करेंगे। और वह भी जो उसके सम्बन्ध में कागजात होंगे वह तो मंत्री जी के पास आयेंगे नहीं उनके पास तो महज दस्तखत करने को कागज आयेगा तो उनको जानकारी कहां से होगी। उनको इतनी फुरसत नहीं है कि वह किसी केस की तफसील में जायं या उनको बताया जाय। यह खतरा उनके सिर पर लटकता रहेगा। हुक्काम साहबान की तलवार उनके सिर पर लटकती रहेगी। यदि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार करें तो मैं रामनारायण जी से यह निवेदन कर सकता हूं कि उसमें यह कंडीशन लगा दी जाय कि इन दो शर्तों पर विकास बोर्ड तोड़ दिया जाय। एक तो यह कि अगर किसी विकास परिषद् ने २ वर्ष तक गन्ने की उपज को न बढ़ाया और दूसरी यह कि अगर कोई धन के कोष का दुरुपयोग करे। इन दो शर्तों में उनको तोड़ दिया जाय बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि जेलखाने की बात भी अगर माननीय मन्त्री जी रखना चाहें तो मैं मानने के लिए तैयार हूं कि उनको जेलखाने भेजने का उनको अधिकार दे दिया जाय। लेकिन एक एस० सी० ओ० की भृकुटी घूमने पर उस विकास परिषद् को तोड़ दिया जाय, यह बात मैं मान नहीं सकता हूं। जिले जिले में उनकी पूरी फौज घूमती है और उनके विषय में हमारा जो अनुभव है वह बहुत कड़ुवा है। यही वजह है कि हम बार बार आपसे निवेदन करते हैं कि यह अधिकार अपने हाथ में आप न रखें। आगे अगर वह कुछ करके दिखायेंगे तो जनता का सहयोग उनको खुद ही प्राप्त होगा। जब जनता का लाभ होगा तब उनका सहयोग मिलेगा और जब हम भी इस बात को देखेंगे तो हम भी आंख मूंदकर इस बात को मान लेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, हमें याद है कि पहले हम लोगों को यह कहा जाता था कि यह सोसाइटी वाले आये। हम लोग पहले सोशलिस्ट के नाम से प्रचलित नहीं थे। कांग्रेस वाले हमारे लिए यही कहा करते थे कि यह सोसाइटी वाले हैं। तो उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने केवल यही ढोल पीटा कि यह सोसाइटी वाले हैं, सोसाइटी वाले हैं। उससे हमारी इतनी और इस कदर बदनामी हुई कि जमानत तक जब्त हो गयी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव में। इसकी वजह से जो लोग अंग्रेजी पढ़े नहीं थे वह सोसाइटी वाले और सोशलिस्ट का थोड़ा सा फर्क नहीं समझते थे नतीजा यह हुआ कि सोसाइटी वहां इतनी बदनाम थी कि सोशलिस्टों की वहां जमानत जब्त हो गई। और अन्त में हमें काफी जोर से प्रचार करना पड़ा कि हम सासोइटी वाले नहीं हैं, तब कहीं जाकर अब जान बची है। इतनी अनपापुलर और अलोकप्रिय वह सोसाइटियां बन गयी थीं। इसलिए हम चाहते हैं कि सोसाइटियों का भला हो और इन सहयोग समितियों का उत्थान होना चाहिए और उन के उत्थान के बिना काम नहीं चल सकता। पिछले १४–१५ वर्षों तक और आज भी सरकार की कोशिश उनके उत्थान करने की रही है और आज भी सरकार का ऐसा इरादा मालूम होता है और सरकारी आदेशों के द्वारा सरकार बराबर अपनी तरफ से कोशिश करती रही है कि उनका उत्थान हो और कभी-कभी यह भी होता था कि उनका उत्थान करना हमारा उद्देश्य इसलिए है कि हम सरकारी हाथों को खींचना चाहते हैं। आज भी लोकल यूनियनों में कोई फैसले बोर्ड आफ डायरेक्टर्स किया करें या केन कमिश्नर को हर फैसले को रद्द करने की पावर है, यह सब

चीजें मौजूद हैं। अगर विकास परिषद को तोड़ने की पावर लेते हैं तो कोई फायदा नहीं है और इन शर्तों के साथ विकास परिषद् अपने काम में नाकामयाब ही होगी। अगर वह गन्ने की पैदावार को न बढ़ा सके, सार्वजनिक कोष का दुरुपयोग करे तो उसको तोड़ा जाय और उसके सदस्यों को जेलखाने भेजा जाय लेकिन इस वक्त यह अधिकार लेना ठीक नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से माननीय श्री रामनारायण त्रिपाठी के संशोधन का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय उद्योग मन्त्री जी ने कल जो दलील गन्ना बोर्ड के तोड़े जाने के सम्बन्ध में दी थी, वही राय आज फिर दोहराई और उन्होंने बार-बार यही कहा कि अगर कल को विरोधी दल के सदस्य ही आकर कहने लगें कि विकास परिषद् बुरा काम कर रही है, तो हम क्या करेंगे। तो उनके हाथ में एक ही चारा रह जायगा कि वह विकास परिषद् को तोड़ें। यह बात मेरी समझ में नहीं आती। हमने यह कहीं नहीं देखा कि अगर किसी डिपार्टमेंट की शिकायत हम लोगों ने या किसी भी सदन के माननीय सदस्य ने की तो फौरन् ही माननीय मन्त्री जी ने उस डिपार्टमेंट को ही डिजाल्व कर दिया हो, ऐसा कभी नहीं हुआ, न होना चाहिए और न कहीं होता होगा। अगर विकास परिषद् की किसी बात की हम शिकायत करते हैं या गन्ना बोर्ड के काम की शिकायत करते हैं तो उस को ठीक करने का तरीका हो सकता है कि मन्त्री जी उसकी जांच करावें, या इन्क्वायरी करें और उस मामले पर पूरा विचार करें और उसके बाद या तो बोर्ड अपनी गलती को मान ले और फिर उस गलती को न दोहरावे और जब कोई चारा ही न रह जाय और वह एडामेन्ट हो तभी डिजाल्व करने की बात उठायी जाय। तो यह दलील मन्त्री जी की कि हम क्या करेंगे और हमारे पास कोई चारा न रह जायगा कोई समझ में नहीं आती। इसके साथ ही साथ इस प्रतिबन्ध के दो हिस्से हैं। एक प्रतिबन्ध के द्वारा विकास परिषद् को तोड़ने की बात है और दूसरे के द्वारा किसी सदस्य को कारणों को अभिलिखित करके हटा सकते हैं।

मैं जानना चाहता हूं माननीय मन्त्री जी से कि जब दोनों अधिकार उनको मिलते हैं तो व्यक्ति को हटाने के साथ-साथ परिषद् को तोड़ने का अधिकार उचित नहीं मालूम होता है। मान लीजिये कि परिषद् के कुछ सदस्य अगर गलती करते हैं, बेईमानी करते हैं तो आप जो प्रतिबन्ध का नीचे वाला हिस्सा रखते हैं सारी परिषद् को तोड़ने के लिए उसकी कोई आवश्यकता नहीं मालूम पड़ती। अगर हम विकास परिषद् के संगठन का मनन करें तो उसमें देखेंगे कि इसमें तीन तो सरकारी अधिकारी हैं, जिला नियोजन अधिकारी, एक और अन्य अधिकारी जिसे गन्ना कमिश्नर नामांकित करें और जिला गन्ना अधिकारी अथवा अन्य कोई अधिकारी जिसे गन्ना कमिश्नर नामांकित करें, जो सदस्य तथा सचिव होगा। यह तीन तो बिलकुल सरकारी अधिकारी हैं और चौथे जो सभापति हैं, वह राज्य सरकार के अनुमोदन से गन्ना कमिश्नर द्वारा नामांकित होगा। सभापति भी नानआफ़िशल होना कोई जरूरी नहीं है। इसमें यह साफ नहीं कहा गया है कि नानआफ़िशल होगा या आफ़िशल होगा। सिर्फ वही आदमी सभापति हो सकता है जो केन कमिश्नर और सरकार का विश्वासपात्र हो। इससे यह स्पष्ट है कि आठ व्यक्तियों की परिषद् में चार व्यक्ति ऐसे होंगे जिन पर सरकार का पूरा-पूरा विश्वास होगा और इसके अलावा यह भी अधिकार होगा कि वह इन व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति को हटा सकती है। तो सारी परिषद् को तोड़ देने की आवश्यकता किन कारणों और किस हालत में आ सकती है, यह विचारणीय वस्तु है। फिर जैसा कि माननीय गेंदासिंह जी ने कहा अगर कोई फन्ड के मामले में बेईमानी का प्रश्न हो तो स्पष्ट रूप से प्रतिबन्ध में लिखा जा सकता है। लेकिन आम तरीके से ऐसा करना विकास परिषद् के मार्ग में अड़चन ही डालना होगा। विशेष रूप से जब हम देखते हैं कि विकास परिषद् का कार्य केवल विकास करना है। अगर उपखंड ६ की तरफ माननीय मन्त्री जी ध्यान देंगे तो उनका जो कार्यक्रम है वह यह है—जोन के विकास कार्यक्रम पर विचार करना तथा उसे पास करना, विकास योजना के सभी आवश्यक अंगों, जैसे गन्ने के विभेद, गन्ने के बीज, बुआई का कार्यक्रम, उर्वरक और खाद के निष्पादन के उपाय और

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

साधन का निकालना आदि-आदि। और यह जो उपखंड ६ का उपभाग ५ है इसकी ओर मैं विशेष रूप से उनका ध्यान दिलाता हूं।

यानी परिषद् जो विकास कार्य करेगी वह केन कमिश्नर के सामान्य और विशेष आदेशों के अधीन करेगी। तो जितनी भी योजनायें होंगी वह केन कमिश्नर द्वारा डाइरेक्ट होंगी, जितनी भी स्पेशल स्कीम्स होंगी वह भी केन कमिश्नर डाइरेक्ट करेंगे, और फन्ड का नियमन उन्हीं के द्वारा होगा। तो अब यह बात समझ में नहीं आती कि जब आदमी केन कमिश्नर द्वारा नामांकित किये जायेंगे, और उनके विश्वासपात्र होंगे ऐसी परिस्थिति जिसमें सारी परिषद् को तोड़ने का मौक़ा आये मैं ऐसा नहीं समझता। अगर माननीय मन्त्री जी ठीक ठीक सूचना देने की कृपा करेंगे तो इससे हमारा भार कुछ हल्का हो जायगा। आखिर केन डेवेलपमेंट कौंसिल तो सालों से काम कर रही है और सरकारी रिपोर्टों से तो मालूम होता है कि उनका काम अच्छा रहा है। तो क्या माननीय मन्त्री जी इस सदन को बतला सकते हैं कि आज तक पिछले वर्षों में कितनी केन डेवेलपमेंट कौन्सिलों को भंग करना पड़ा। अगर वह हमको कोई ऐसा उदाहरण दे दें तो इस प्रकार के प्रतिबन्ध की आवश्यकता दिखलायी देती है। इसलिए कोई ऐसा प्रतिबन्ध जो व्यवहार रूप में न आया हो, उसको कार्यरूप में परिणत करने की अवस्था न आयी हो, मैं समझता हूं कि इस प्रकार का एक निरर्थक वाक्य अपने विधेयक में रखना कोई उचित बात नजर नहीं आती। और साथ ही साथ मैं आपका ध्यान श्रीमन्, इस उपखंड (३) के उपखंड (क) की तरफ दिलाना चाहता हूं। उसमें लिखा है, "राज्य सरकार के अनुमोदन से गन्ना कमिश्नर द्वारा नामांकित सभापति" यानी परिषद् का सभापति जो होगा वह केवल गन्ना कमिश्नर का ही नामांकित किया हुआ नहीं होगा बल्कि यह आवश्यक होगा कि राज्य सरकार के अनुमोदन से सभापति नियत हो। लेकिन जब भंग करने का सवाल आया जिसमें सभापति भी हो और परिषद् के बाकी ७ सदस्य भी हों, तो भंग करने में राज्य सरकार का अनुमोदन न हो तो यह कैसी असम्भाव्य परिस्थिति है। यह एक गम्भीर चीज है कि राज्य सरकार के अनुमोदन से नियत एक सभापति हो और सारी परिषद् बिना राज्य सरकार के अनुमोदन के भंग कर दी जाय, यह तो गन्ना कमिश्नर को राज्य सरकार के आगे रख देना है। यह कितना बड़ा विपर्याय है। मैं तो यह समझता हूं कि इस वाक्य को जोड़ कर इस धारा के अंग को भंग करना है अथवा एक ऐसा उपांग जोड़ना है जिसकी बिलकुल आवश्यकता नहीं है। भंग करने में राज्य सरकार का अनुमोदन न हो और नामांकन में हो, यह तो जैसे पांच अंगुलियों में छठी अंगुली जोड़ना है जोकि अप्राकृतिक और अप्रासंगिक है।

इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रतिबन्ध को युक्तिसंगत न मान कर हमारी जो विचार धारा है, माननीय उद्योग मन्त्री उसको विचारकर इस संशोधन को स्वीकार करें।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे इस संशोधन के बारे में काफी वादविवाद हो चुका। मैं माननीय उद्योग मन्त्री की कुछ बातें नहीं समझ सका। उस पर मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि पहली बात तो मैंने यह उठायी थी कि आखिर गन्ना कमिश्नर सहकारी समितियों के प्रतिनिधि चुनेंगे या मिलमालिकों के प्रतिनिधि चुनेंगे, तो उसके लिए सरकार क्या तरीका इस्तेमाल करेगी। क्या उन सहकारी समितियों से एक नामावली मांगी जायगी? अगर मांगी जायगी और मिलों की असोसिएशंस से भी नामावली मांगी जायगी तो उसके बाद उन चुने हुए प्रतिनिधियों को एक सरकारी कर्मचारी के हाथ में दे देना, यह नामुनासिब बात है। इस पर माननीय मंत्री रोशनी डालेंगे कि आखिर क्या तरीका होगा कि जिससे केन कमिश्नर साहब वह काम करेंगे।

दूसरी बात, माननीय मंत्री जी ने काफी फख्र के साथ कही, एक तरफ तो माननीय उद्योग मन्त्री कहते हैं कि देहात से जो आदमी चुने हुए आवेंगे उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती। फन्ड्स का सवाल है और काफी धांधली हो सकती है और उसी सांस में यह कहते हैं कि जनता अपने हकों और फायदों को खूब पहचानती है। एक तरफ यह कहना कि जनता समझदार नहीं है और साथ ही यह भी कहते हैं कि जनता समझदार है। जब समझदार है, तो वह ऐसे आदमियों को कैसे बरदाश्त करेगी? यह दोनों बातें असंगत सी मालूम होती हैं। उद्योग मन्त्री जी को यह मालूम होना चाहिए कि जब हमारी तरफ से कोई सुझाव पेश होता है, तो इसलिए नहीं कि जो विधेयक नाम की किताब छप गयी तो उसमें एक शब्द इधर से उधर नहीं हो सकता ऐसा उद्योग मन्त्री जी मान कर उस संशोधन को स्वीकार न करें। यह तो एक बुनियादी प्रश्न है। उद्योग मन्त्री जी के रास्ते में भी कठिनाइयां इस किस्म की होंगी। उनके क्षेत्र में भी मिलें हैं और किसान लोग भी उनके पास जाते होंगे और जिस तरह से धांधलियां होती हैं, वह भी उन्हें मालूम होंगी। यह दिन प्रति दिन का काम है। इसलिए जब एक ऐक्ट बन रहा है अगर उस समय सावधानी से काम नहीं लिया गया और फिर खुली छूट उनको दे दी गयी, तो उसके नतीजे बहुत खराब होंगे।

मैं माननीय उद्योग मन्त्री जी को यह बतलाना चाहता हूं कि मेरे कहने का मतलब यह नहीं कि जितने सरकारी कर्मचारी हैं, सब बेईमान हैं और सब काम नहीं करते हैं। लेकिन एक व्यक्ति के हाथ में इतनी बड़ी ताकत देने का नतीजा यह होता है कि उसका सिर फिर जाता है और इसी लिए हमारे विधान में जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों तथा मिनिस्ट्री तक को डिजाल्व करने की व्यवस्था रखी गयी है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए अगर माननीय उद्योग मन्त्री जी हमारे इस संशोधन की भावना से सहमत हों तो, जो इसमें दिक्कतें हो सकती हैं, विकास परिषद् का कार्यकाल जहां तीन वर्ष है वहां उसे अगर वह कम कर दें तो काम चल सकता है और हमारी भी बात रह जाती है और उनकी भी रह जाती है और दिक्कत भी नहीं रहेगी और यह डर भी नहीं रहेगा कि हम केन कमिश्नर की मर्जी पर हैं, जब वह चाहे, अलग कर सकता है, या विकास परिषद् को तोड़ सकता है। मुझे तो बड़ी निराशा हो रही है और एक के बाद दूसरी निराशा होने से आशा तो नहीं है कि माननीय उद्योग मन्त्री जी इसे स्वीकार करेंगे, लेकिन अपना कर्त्तव्य तो यही है कि जो भाव हम उचित समझें उसके लिए माननीय मन्त्री जी से अपील करें। अब आगे वह जो चाहें करें।

श्री हुकुम सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपने मित्रों की बातें पूरी तौर से सुनीं। एक बात तो श्री नारायणदत्त जी ने कही थी कि सभापति की नामजदगी में सरकार के अनुमोदन की आवश्यकता रखी गयी, लेकिन कौंसिल के डिजोल्यूशन में राज्य सरकार के अनुमोदन का कोई प्राविजन नहीं किया गया। यह ठीक नहीं है उनके मुताबिक। वाकई में उनकी राय से सहमत हूं। इसमें कुछ तत्व है। तो मैं इस हद तक जाने के लिए तैयार हूं कि इस प्रतिबन्ध की दूसरी लाइन में शब्द "वह" के बाद शब्द "राज्य सरकार के अनुमोदन से" बढ़ा दिये जायं। मैं समझता हूं कि हमारे मित्र को इससे सन्तोष हो जायगा और उस वक्त वह तैयार हो जायेंगे कि त्रिपाठी जी भी अपना संशोधन वापस ले लें। इस पर वाद-विवाद बहुत हो चुका और मेरे पास भी नोट सब पूरे मौजूद हैं लेकिन इस सदन का ज्यादा वक्त मैं लेना नहीं चाहता। हम भी यही चाहते हैं कि बिला वजह डेवेलपमेंट कौंसिल बरख्वास्त न की जायं और जब कोई खास परिस्थिति आ जाय तब डिजोल्यूशन का पावर होना चाहिए। उसके बारे में भी हम सोचेंगे। जो उधर से सजेशन दिये गये उस पर हम विचार करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम नियमों में कुछ ऐसा लायें जो नियम कि इस सदन के सामने आवेंगे, तो उस वक्त भी हम आप बैठ करके विचार कर सकते हैं। लेकिन इतनी बात तो मुझे यहां इसी वक्त कर देने में जरा भी कोई आपत्ति नहीं है, जैसा कि श्री नारायणदत्त जी ने बताया है। तो अगर इस संशोधन के बाद हमारे मित्र मुतमइन हो जाते हैं तो वह अपना संशोधन वापस ले लें और इस संशोधन को ख्वाह वही पेश कर दें, उन्हीं के नाम से छप जाय, मुझे कोई एतराज नहीं है, या मैं पेश कर दूं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि काफी चेक हो गया। हमारी बात पूरी तो नहीं उतरी लेकिन फिर भी माननीय मन्त्री जी के भाषण के बाद हम इसको मान लेते हैं और इस संशोधन को वही रख दें, हमें कोई एतराज नहीं है। इसके बाद मैं समझता हूं कि मैं अपना संशोधन वापस ले लूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री हुकुम सिंह—मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ५ के उपखंड (४) का जो प्रतिबन्ध है उसकी दूसरी लाइन में शब्द "वह" के बाद वाक्य "राज्य सरकार के अनुमोदन से" बढ़ा दिये जायं।

श्री उपाध्यक्ष—यह संशोधन अगर लिखित भेज दिया जाय तो अच्छा हो।

विधान सभा के आगामी कार्यक्रम के सम्बन्ध में सूचना

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—उपाध्यक्ष महोदय, जब तक वह संशोधन लिखा जा रहा है, माननीय मुख्य मन्त्री जी इस वक्त सदन में हैं, कुछ अगर आगे का हमें प्रोग्राम मालूम हो जाय कि असेम्बली कब बन्द होगी, क्या होगा, तो हम उसके मुतबिक तैयारी करें।

उद्योग मन्त्री (श्री हुकुम सिंह)—वह तो बता दिया गया है कि कल शाम को बताया जायगा।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—आज शाम को।

मुख्य मन्त्री (श्री गोविन्द वल्लभ पन्त)—यह जो बिल इस वक्त है और जो दो बिल और हैं, मुझे आशा है कि कल तक वे खत्म हो जायेंगे तो फिर असेम्बली स्थगित कर दी जायगी। उसके बाद २५ को फिर हम लोग मिलेंगे और उस वक्त आगरा युनिवर्सिटीत बिल लिया जायगा और उसके ऊपर वादविवाद होगा।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—उपाध्यक्ष महोदय, आप के जरिये मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि २४ तारीख को रक्षाबन्धन है और २५ तारीख को मंगल होने की वजह से हम मंगल, बुद्ध और बृहस्पति तीन दिन ही बैठ सकेंगे, क्योंकि उसके बाद आखिरी फ्राइडे है और उस दिन नान आफ़िशियल डे होगा। फिर २९, ३० और ३१ को छुट्टी होगी और ३१ को जन्माष्टमी पड़ती है, इसलिए लोग अपने घर जाना चाहेंगे। ऐसी दशा में बजाय इसके कि हम यहां आ करके तीन दिन सदन में बैठें, अगर सरकार यह ठीक समझे कि हम बजाय २५ के २ तारीख को मिलें, तो मैं समझता हूं कि उसमें कोई नहीं नुकसान होगा। जैसे हमें तो कोई एतराज है नहीं और अगर सरकार को सहूलियत हो और वह ऐसा कर सके तो जो दूर-दूर कांस्टिटयूएंसी से आये हैं वे अपनी कांस्टिटयूएंसी में हो आयेंगे। ऐसी मेरी प्रार्थना है।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—मैंने तो यह सुना था कि उधर के सदस्य २५ तारीख से चाहते हैं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—गलत है।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—कम से कम मुझे यह बात मालूम हुई थी कि उधर के जिम्मेदार साहबान ने यह बात कही और उसी के आधार पर मैंने यह बात कही थी। जो आपने यह कहा है कि २८ को नान आफ़िशियल डे होगा तो उसके लिए हम राजी हो जायं कि उस दिन आफिशियल डे हो। इस तरह ४ दिन हो जायेंगे और अगर जरूरत हुई तो सैटरडे को भी हम बैठक कर लेंगे। मैं आप से यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं यह समझता हूं

कि सम्भव है कि उसके बाद २ या ३ तारीख को हमको यहां न आना पड़े और उन चार-पांच दिन के भीतर जो हमारा इस वक्त कार्यक्रम है वह शायद हो जाय। दूसरी बात यह है कि मुझसे यह कहा गया नहीं तो मैं खुद २ तारीख के लिए सोच रहा था। लेकिन जब हमने यह सुना कि इसमें सभी को सुविधा होगी तो हमने कहा कि हम २५ तारीख को ही बैठक बुला लें। मैं यह नहीं चाहता कि आपको असुविधा हो। मैं और बातों में भी यही चाहता हूं कि जहां तक हो सके आपकी बात की जाय और इसी कारण मैंने यह निश्चय किया।

तीसरी बात यह भी है कि २५ तारीख से कौंसिल भी बैठने वाली है। अगर कोई बात ऐसी पैदा हो, जिसको कौंसिल में ले जाने की जरूरत हो, तो अगर दोनों हाउसेज बैठे हुए होंगे तो आसानी से वह काम हो सकेगा। ऐसी दशा में मुझे आशा है कि यही नहीं कि आप मेरी बात मंजूर कर लेंगे बल्कि मेरी बात आपको रुचिकर लगेगी।

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) विधेयक, १९५३ (क्रमागत)

खंड ५

श्री उपाध्यक्ष—यह संशोधन उपस्थित हो गया। इस पर मैं सदन का मत लेना चाहता हूं। प्रश्न यह है कि खंड ५ के उपखंड (४) के प्रतिबन्ध की दूसरी पंक्ति में शब्द "वह" के बाद वाक्य "राज्य सरकार के अनुमोदन से" बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ५ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)।

इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कोर्ट के दो रिक्त स्थानों की पूर्ति के सम्बन्ध में प्राप्त नाम निर्देशनों की वापसी के सम्बन्ध में वृद्धि

श्री उपाध्यक्ष—मुझे एक घोषणा करनी है। इलाहाबाद युनिवर्सिटी की कोर्ट में दो रिक्त स्थानों के लिए नियत समय के अन्दर तीन सदस्यों के नामांकन प्राप्त हुए हैं।

(१) श्री बी० एन० मिश्र,

(२) श्री अब्दुल मुईज खां,

(३) श्री महाबीर प्रसाद शुक्ल।

नाम की वापसी का समय आज ४ बजे तक है। माननीय अध्यक्ष के पास प्रार्थना आयी है कि नामों की वापसी का समय बढ़ा दिया जाय। माननीय अध्यक्ष ने प्रार्थना स्वीकार करके वापसी का समय १८ अगस्त को ४ बजे तक कर दिया है।

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) विधेयक, १९५३ (क्रमागत)

खंड ६

परिषद् के कार्य

६—(१) परिषद् का कार्य निम्नलिखित होगा—

(१) प्रभाग (Zone) के लिए विकास कार्यक्रम पर विचार करना तथा उसे स्वीकार करना,

(२) विकास योजना के सभी आवश्यक अंगों, जैसे गन्ने के विभेद, गन्ने के बीज, बुआई का कार्यक्रम, उर्वरक और खाद के निष्पादन (Execution) के उपाय और साधन का [पता लगाना], निकालना,

(३) प्रभाग (Zone) में सिंचाई तथा अन्य कृषि सम्बन्धी सुविधाओं का विकास करना,

(४) बीमारियों और कीटाणुओं की रोकथाम तथा नियन्त्रण के लिए आवश्यक कार्यवाही करना एवं भूमि विस्तार कार्य (soil extension work) के निमित्त सभी संभव सहायता देना,

(५) गन्ना कमिश्नर के सामान्य अथवा विशेष आदेशों के अधीन विकास योजनाओं के निष्पादन के लिए अपने अधीनस्थ निधियों को लगाना; और

(६) प्रभाग (Zone) के सामान्य विकास से सम्बद्ध तथा उनके लिए लाभप्रद नियत कार्यों का करना ।

६—(२) राज्य सरकार नियम द्वारा जिले में सभी विकास परिषदों की वार्षिक बैठक के लिए नियम द्वारा व्यवस्था कर सकती है, इस प्रकार की सभी बैठकों में कलेक्टर प्रधान होंगे ।

श्री अतहर हुसैन ख्वाजा (जिला सहारनपुर)—जनाबवाला, आपकी इजाजत से मैं इस तरमीम को पेश करता हूं । तरमीम यह है कि खंड ६ के उपखंड (१) के भाग (५) और (६) को (६) और (७) कर दिया जाय और भाग (४) के बाद निम्नलिखित भाग (५) के रूप में जोड़ दिया जाय—

"(५) गन्ने की उत्पत्ति के सम्बन्ध में कृषकों की यान्त्रिक एवं अनुभवशील शिक्षा",

जैसा कि जनाब मुलाहिजा फरमायेंगे कि इसका ताल्लुक दफा ६ से है जिसमें कि एक काउंसिल के फ़ंक्शन्स दिये हुए हैं । तो काउन्सिल के फ़ंक्शन्स में मैं समझता हूं कि यह एक जरूरी चीज है कि उसका एक फ़ंक्शन यह भी होना चाहिए कि वह जो गन्ने के किसान हैं उनकी ट्रेनिंग का इन्तजाम करे । आनरेबिल मिनिस्टर साहब ने यह जरूर फरमाया कि रूल्स में इस किस्म का प्राविजन हो सकता है । मैं समझता हूं कि हो सकता है, लेकिन एक चीज जो मुझे इस तरमीम के लिए मजबूर कर रही है वह यह है कि एक कानूनी खामी रह जायगी । अगर ऐक्ट में इसका जिक्र नहीं किया जाता है तो शायद रूल्स में उसका आना जरा दुश्वार होगा । तो यह बहुत जरूरी चीज है और आनरेबिल मिनिस्टर साहब उससे ऐग्री करते हैं इसलिए मुझे कोई लम्बी चौड़ी तकरीर नहीं करनी है और मैं उम्मीद करता हूं कि वह उसे मंजूर फरमायेंगे ।

उद्योग मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—मैं इसे स्वीकार करता हूं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन शब्दों के बारे में स्पष्टीकरण चाहता हूं । इसमें लिखा हुआ है—गन्ने की उत्पत्ति के सम्बन्ध में कृषकों की यान्त्रिक एवं अनुभवशील शिक्षा । अनुभवशील शिक्षा क्या तात्पर्य रखती है । या फिर अनुभवपूर्ण शिक्षा हो ।

श्री अतहर हुसैन ख्वाजा—आपकी इजाजत से जो अंग्रेजी में है, मैं उसे पढ़ दूं ।

"To arrange for technical education and training of cultivators in cane cultivation.

(गन्ने की पैदावार में किसानों की प्रौद्योगिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण का प्रबन्ध करने के लिए)

मेरी अर्ज यह है कि अगर इसके लफ्जों में कोई गल्ती हो तो उसे दुरुस्त कर दिया जाय, क्योंकि मैं यह दावा नहीं करता कि मैं ज्यादा हद तक हिन्दी से वाकिफ हूं। लेकिन जो मैं ने अंग्रेजी में अर्ज किया और उसका मकसद जो है, हिन्दी में भी उसका वही मकसद होना चाहिए। अगर अलफाजों में कोई तरमीम हो तो उसमें मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं उसे फिर पढ़कर सुना दूं :—

"To arrange for technical education and training of cultivators in cane cultivation.

(गन्ने की पैदावार में किसानों को प्रौद्योगिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण का प्रबन्ध करने के लिए)।

मैं यह चाहता हूं कि जिन अल्फाज में भी इसका मतलब आ जाय, मुझे कोई एतराज नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—क्या नारायणदत्त जी इसका अनुवाद करने की कृपा करेंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी—उपाध्यक्ष महोदय, इसमें लिखा हुआ है "(५) गन्ने की उत्पत्ति के संबंध में कृषकों की यान्त्रिक एवं अनुभवशील शिक्षा", इसमें से अगर "अनुभवशील निकाल दिया जाय तो ज्यादा स्पष्ट हो जायगा क्योंकि "शिक्षा" में ट्रेनिंग भी आ जाती है। इसलिये मेरा विचार है कि "एवं अनुभवशील" शब्द निकाल दिये जायं।

श्री देवीदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)—मैं यह कहना चाहता हूं कि यान्त्रिक शब्द "मिकेनिकल" के मानी में आता है। इसके बजाय और "कौशलपूर्ण" रख दिया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा या केवल टेकनीकल ही रख दिया जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मेरा सुझाव है कि यान्त्रिक के आगे ब्रेकिट में (टेकनिकल) रख दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—"एवं व्यावहारिक" रख दिया जाय तो कैसा होगा?

श्री रामसुन्दर गुप्त (जिला कानपुर)—मैं सुझाव देता हूं कि शब्द "टेकनिकल और व्यावहारिक शिक्षा" रख दिये जायं।

श्री अतहर हुसैन ख्वाजा—मेरे ख्याल में बजाय यान्त्रिक के टेकनिकल रखने की इजाजत दी जाय ताकि यह बहस खत्म ही हो जाय। टेकनिकल ऐसा शब्द है जो हर शख्स समझता है और रोजमर्रा की बातचीत का जुज़ बन कर रह गया है।

श्री हुकुम सिंह—अगर मानी साफ़ हो जाते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है, जब इसके अलावा और कोई सुझाव आ ही नहीं रहा है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—इस संशोधन पर विचार स्थगित कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—विचार स्थगित किया जाता है।

खण्ड ७

आकस्मिक रुप से खाली स्थान (Casual Vacancies)

७—परिषद् का कोई भी आकस्मिक रूप से खाली स्थान (casual Vacancy) जहां तक संभव हो धारा ५ की उपधारा (३) में बताई गई रीति के अनुसार भरा जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ७ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ८

परिषद् निधि

८—(१) इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों के पालन तथा कार्यों के सम्पादन के संबंध में परिव्ययों के निमित्त परिषद् के पास एक निधि रहेगी।

(२) परिषद् की निधि में निम्नलिखित होंगे :—

(क) इंडियन सेन्ट्रल शुगरकेन कमेटी द्वारा दिया गया अनुदान, यदि कोई हो,

(ख) राज्य सरकार द्वारा दिया गया अनुदान, यदि कोई हो,

(ग) उन दरों के अनुसार जो नियत किये जायं, चीनी की फैक्टरियों तथा गन्ना उत्पादकों की सहकारी समितियों द्वारा दिया गया अंशदान, और

(घ) अन्य कोई धनराशि जो राज्य सरकार इसे दिलाये।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन उपस्थित करता हूं :—

खंड ८ के उपखंड (२) के भाग (घ) के रूप में निम्नलिखित रखा जाय और वर्तमान भाग (घ) को भाग (ङ) के रूप में रख दिया जाय—

"(घ) ईख कर की आय की तीन चौथाई रक़म जो राज्य सरकार प्रतिवर्ष दिया करेगी।"

श्रीमन्, खंड ८ में जहां परिषद् निधि की चर्चा की गयी है उसमें कहा गया है कि:—

८—(१) इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों के पालन तथा कार्यों के सम्पादन के संबंध में परिव्ययों के निमित्त परिषद् के पास एक निधि रहेगी।

(२) परिषद् की निधि में निम्नलिखित होंगे :—

(क) इंडियन सेन्ट्रल शुगरकेन कमेटी द्वारा दिया गया अनुदान, यदि कोई हो,

(ख) राज्य सरकार द्वारा दिया गया अनुदान, यदि कोई हो,

(ग) उन दरों के अनुसार जो नियत किये जायं, चीनी की फैक्टरियों तथा गन्ना उत्पादकों की सहकारी समितियों द्वारा दिया गया अंशदान, और

(घ) अन्य कोई राशि जो राज्य सरकार इसे दिलाये।

यह जो (घ) है उसकी जगह में उस वाक्य को रखना चाहता हूं जो मैंने अभी पढ़ा है। तो इस (घ) के बजाय तो (घ) वह हो जायगा और इस समय जो (घ) है वह (ङ) हो जायगा।

श्रीमन्, मैं इस संशोधन को बहुत महत्वपूर्ण संशोधन समझ रहा हूं और जैसा कि माननीय मंत्री जी या यह सरकार, विकास परिषद् के लिये, गन्ना बोर्ड के लिये तथा उनके कामों के लिये, बहुत फिक्रमंद है और इस देश में सरकार गन्ने की तरक्क़ी तथा शुगर इंडस्ट्री की तरक्क़ी के लिये बहुत चिंतित है, उनकी उसी चिन्ता को कम करने के लिये मेरा यह संशोधन है। हमारी सरकार ने बहुत दिनों से कई करोड़ रुपया शुगर केन सेस का इकट्ठा किया है। जिस समय यह शुगरकेन सेस लगाया गया था उस जमाने की बात को जब मैं याद करता हूं तो यह कहा गया था कि इस रुपये का व्यय गन्ने की इंडस्ट्री की तरक्क़ी में और गन्ने के काश्तकारों की तरक्क़ी में किया जायगा। मेरी राय को वे छोड़ दें, हमारे देश की चीनी व्यवसाय के जो बड़े बड़े विशेषज्ञ रहे हैं उनकी यह राय रही है कि उत्तर प्रदेश की सरकार इसके लिये शिकायत की पात्र रही है कि उसने करोड़ों रुपया किसानों के गन्ने के दामों से इकट्ठा करके उस पैसे को इस कार्य में नहीं लगाया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से कितनी रक़म सन् १९५०–५१

तक इकट्ठी की गयी थी, उस आंकड़े को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। सन् ५०-५१ तक १२,६३,९८,९०३ रुपये उत्तर प्रदेश की सरकार ने केन सेस से इकट्ठे किये थे। ५१-५२ और ५२-५३ ये दो सीजन बाक़ी रह जाते हैं। इन दोनों सीजनों का हिसाब हम मोटे तौर पर लगाते हैं और पिछले वर्ष का तो एक बार सरकार ने जो जवाब दिया था उसी के आधार पर मैं कहता हूं कि ३,९०,००,००० रु० ही मान लिया जाय, हालांकि पिछले वर्ष शुगर फैक्टरीज ने लगभग २३ करोड़ मन गन्ना पेरा था। तीन आने मन के हिसाब से २३ करोड़ मन गन्ने का अधिक रुपया होता है। उसी प्रकार इस वर्ष भी जो गन्ना पेरा गया है उसके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि ४ करोड़ के लगभग सरकार को इस वर्ष केन सेस से आमदनी होगी। इस प्रकार हम २० करोड़ से कुछ ज्यादा रुपया सरकार को इकट्ठा करते हुये पाते हैं। उस २० करोड़ रुपये में से सरकार यह बतलाने में इस वक्त शायद मजबूर होगी कि उसने कितना रुपया इस व्यवसाय की तरक्क़ी में ख़र्च किया है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूंगा माननीय उद्योग मंत्री जी का, अगर इस मौक़े पर भी वे यह बतला सकें कि इस रक़म में से कितनी रक़म गन्ने की पैदा-वार बढ़ाने में और इस शुगर इंडस्ट्री को तरक्क़ी दिलाने में ख़र्च की गयी है। जैसा अभी उन्होंने कुछ सिर हिलाया उससे मेरा यह विश्वास हुआ कि शायद वे बतला सकते हैं। मेरी जहां तक जानकारी है, बहुत थोड़ी रक़म इस काम में ख़र्च की गयी है। और अध्यक्ष महोदय, कुछ मेरी शिकायत थोड़े ही है, यह शिकायत तो जो पहले ऊंचे प्रकार के लोग थे, विशेषज्ञ लोग जो भारतवर्ष की चीनी व्यवसाय से जानकारी रखने वाले थे, और यह शुगर टैरिफ बोर्ड जो हिन्दुस्तान की सरकार ने बैठाया उसका यह कहना है कि यू० पी० की सरकार बड़ी ज्यादती करती है और उसने तो यहां तक कहा कि यू० पी० की सरकार को जल्द से जल्द शुगर केन सेस को घटाना चाहिये। उसने यह भी कहा कि डेढ़ आने मन से अधिक किसी भी हालत में शुगर-केन सेस नहीं रखना चाहिए। और यह रक़म भी जो डेढ़ आने मन के हिसाब से ली जाय वह रक़म भी इस व्यवसाय की तरक्क़ी में व्यय होना चाहिये। उसने यह भी यू० पी० सरकार की शिकायत की कि यू०पी०की सरकार तो बिहार सरकार से भी पीछे है क्योंकि बिहार सरकार कई वर्षों से जितना केन सेस यू० पी० की सरकार लेती है उससे कम दर उसने अपने किसानों से लिया लेकिन जो उसके ख़र्च करने का ढंग रहा, उसने ज्यादा ख़र्च किया।

(इस समय ४ बजकर ५ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

अध्यक्ष महोदय, यू० पी० सरकार किस तरह से वसूल करती है, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। सबसे पहले जब यह केन सेस लगाया तो यह एक मन पर, जहां तक मेरी याददाश्त काम करती है, दो पैसा मन लगाया गया, फिर उसके कुछ दिन के बाद ही एक आना फी मन हुआ, और जो विदेशी हुकूमत थी जो किसानों की हमदर्द नहीं थी, जो किसानों को कुचलना चाहती थी, उनको उठाना नहीं चाहती थी, वह हुकूमत जब तक यहां रही उसने एक आना रक्खा। सन् १९४७-४८ में जब कि पूरी पूरी आजादी इस देश में हुई और उसके बाद जो सीजन आया उसमें एक आना से बढ़ाकर तीन आने कर दिया गया और उस समय से वह रक़म किसानों की ईख के दाम से तिगुनी कटने लगी। यह रक़म कोई मिलमालिकों के मुनाफे से नहीं निकाली जाती है। अब जिस वक्त चीनी के दाम तै होते हैं उस वक्त अध्यक्ष महोदय, यह जोड़ दिया जाता है और वह जाकर केन सेस में बढ़ जाता है, तीन आने मन लगाया गया शूगर ड्यूटी में और इतना मैनुफैक्चरर को मिल जायेगा। अब उसमें इतना नुक्सान सोसाइटी का, जितना मुनाफा मिलमालिकों का और जो डियरिंग मशीनरी होती है, उस सब का हिसाब लगा करके ईख के दाम लगाये जाते हैं। पहले तो ऐसा होता था कि जो काश्तकार प्रोडक्शन चीनी की है, उसको पहले लेते थे और चूंकि यह सबसे बड़ी चीज है इस चीनी के व्यवसाय में, गन्ने को काश्तकार प्रोडक्शन और फिर गन्ने को देखा जाता था कि उस पर गन्ना कितना होता है और अब उल्टी बात होती है, काश्तकार प्रोडक्शन में गन्ने की क़ीमत जोड़ ली जाती है कि गन्ने की कीमत कितनी हुई और उस गन्ने की क़ीमत जोड़ दी जायेगी उस वक्त जब कि हम गन्ने की क़ीमत तय करते हैं

[श्री गेंदासिंह]

उस वक्त तीन आने मन उसमें से कम कर देते हैं और चीनी की जो क़ीमत लगायी जायेगी तो उसी हिसाब से उसकी क़ीमत भी जोड़ी जायेगी। जैसे कि एक रुपया पांच आने मन है, जो पिछले वर्ष की है तो उसमें तीन आने और जोड़ दिये गये तो सब मिला कर एक रुपया आठ आने जोड़ करके चीनी की क़ीमत तै की जाती है। तो वह सारे का सारा पैसा किसानों की जेब से जाता है। यह पैसा किसान के अपने घर से जाता है। और अब इस केन सेस का एक बड़ा भारी बोझ हमारे किसानों के ऊपर पड़ गया है और वह ऐसा बोझ है कि जिससे हमारे किसान दबते चले जा रहे हैं।

हमारे सूबे का लैंड रेवेन्यू जो हमने देखा, पहले ज़माने में, जब कि अंग्रेज़ राजा यहां था, जो हमारा मालिक था उसने सात करोड़ के लगभग लैंड रेवेन्यू वसूल किया हमेशा। और हमारी सरकार जो कि हमारी जनता के लिये इतनी फिकरमन्द है कि उनका वजन कम हो गया, हमारे कई साथियों का, हमारे मिनिस्टर साहबान का वजन कम हो गया है, बड़ी फिकर है उसे इस मामले में कि जो हमारा कैश क्राप का बजट है और जिसकी बुनियाद पर हम टिके हुये हैं उस पर ४ करोड़ रुपया सालाना देना मुनासिब समझा। चार करोड़ रुपया सिद्धान्ततः अधिक नहीं है अगर उसे ढंग से वसूल करे तो कोई बुरा नहीं है बशर्ते कि सरकार उसे ढंग से उपयोग करे। मैं चैलेंज करता हूं, माननीय मंत्री जी को और इस सरकार को कि ज़रा इस बात का इस सदन के सामने, जितनी जोर के साथ वह हम लोगों को दबा पाती है अगर उतने ही जोर से रुपया उसमें ख़र्च किया गया तो हम समझें कि आप कुछ कर रहे हैं। दोस्ती तो आप सब किसानों से बतलाते हैं हमारी दोस्ती नहीं है हम तो दुश्मन हैं। दोस्ती तो माननीय उद्योग मंत्री जी की है और माननीय उद्योग मंत्री जी की दोस्ती है तो वह रक़म बतलायें।

श्री अध्यक्ष---आप भाषण को दोहरायें नहीं, एक दफा में उनकी समझ में आ सकता है।

श्री गेंदासिंह---माननीय अध्यक्ष महोदय, ठीक है अब मैं नहीं दोहराऊंगा। चूंकि यह रक़म बहुत बड़ी थी इसलिये मैंने इसका कई दफा ज़िक्र किया। तो मैं यह कहना चाहता था कि यह रक़म किसी काम में खर्च नहीं की गई और जो वादा किया था वह वादा भी पूरा नहीं किया गया। वादा पूरा करने की बात अगर कोई याद दिलाने वाला न होता तो ग़लती हो सकती है। लेकिन मैं समझता हूं कि आज कितनी कमेटियां बनीं और कितने मिल संगठन बने सबने यही कहा। यह भी कहा गया कि शुगर इन्डस्ट्रीज़ वसूल करती, तो ठीक था। सन् ३४ से लेकर सन् ४६ तक गन्ने की क़ीमत बढ़ती रही। लेकिन सरकार ने इसकी उपज को बढ़ाने के लिये कम ख़र्च किया और न कोई ठोक से सुधार ही किया। जब से तीन आने मन हमारे सिर पर लाद दिया गया है, तब से हमारी हालत खराब हो गई है और गन्ने की उपज भी कम हो गई है। अगर इसके विरोध में कोई आंकड़े हों तो माननीय उद्योग मंत्री जी बतलायें। सन् ४६ से उन्होंने हमारे ऊपर तीन आने मन लादा है और ४६ ही से हमारी हालत ख़राब हो गयी है। मैं समझता हूं कि अगर माननीय उद्योग मंत्री जी ने हमारी बात को नहीं माना तो हालत और भी ख़राब हो जायगी। सरकार हमारे इस संशोधन को भले ही न माने मगर जो रक़म शूगर केन सेस से आती है उस को विकास परिषद् को दे दे। जहां सरकार ने विकास परिषद् को इतनी ताक़त दी है वहां यह भी ताक़त उसको दे दे। अगर विकास परिषद् ने कुछ गड़बड़ी की तो उसके किसी भी मेम्बर को सरकार को निकालने का अधिकार है। सरकार को उस विकास परिषद् के तोड़ने का भी अधिकार है। विकास परिषद् इस पैसे से कुछ सड़कें बनवा सकती है, कुछ और दूसरे विकास के काम कर सकती है, खाद्य का भी प्रबंध कर सकती है और अच्छे बीज का भी इन्तजाम किया जा सकता है। फिर भी इसका परिणाम यह होगा कि एक चौथाई रक़म रह जाती है। अगर किसी इलाक़े में १५ लाख मन गन्ना पैदा होता है और उस इलाक़े में १५ लाख के बजाय २५ लाख मन पैदा हो जाता है तो यह विकास परिषद् की मेहनत का परिणाम है। सरकार १/४ रक़म ले सकती है, १/२ या उससे

ज्यादा भी हो सकता है। इसलिये मैं समझता हूं कि माननीय उद्योग मंत्री जी को हम लोगों की बात को मान लेना चाहिये।

श्री हुकुम सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने मित्र का भाषण बड़े ग़ौर से सुना। उनकी इच्छा यह है कि उनका संशोधन स्वीकार कर के यह तय कर दिया जाय कि जिस एरिया में जितनी केन सेस से आमदनी हो उसकी तीन चौथाई उस एरिया के डेवलपमेंट कौंसिल को दे दिया जाय ताकि वह रक़म विकास कार्य में ख़र्च हो। उनको इस बात की शिकायत है और माहरीन की भी राय का हवाला उन्होंने दिया कि जितना रुपया सरकार को ख़र्च करना चाहिये था उतना रुपया उसने डेवलपमेंट में नहीं ख़र्च किया बल्कि अन्य कामों में सर्फ किया। यह उनकी शिकायत है और यह भी आदेश उन्होंने मुझे दिया कि मैं जोरों के साथ बताऊं कि कितना रुपया आज तक सर्फ हुआ। अगर पहले से इत्तिला दी जाती तो मैं जरूर सारे आंकड़े मंगा कर रख लेता और अगर जोर से नहीं तो आहिस्ता आहिस्ता ही जरूर अर्ज़ कर देता कि इतना रुपया सर्फ हुआ लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जितनी आमदनी हुई सब रुपया नहीं सर्फ हुआ है और जो रक़म खर्च हुई है उसमें दो रायें हो सकती हैं। उधर से कहा जा सकता है कि बहुत कम ख़र्च हुआ और इधर से कहा जा सकता है कि मौक़ा और महाल देखकर जो मुनासिब था वह ख़र्च किया गया। मैं एक बात अर्ज़ करता हूं कि हमारे मित्र की मंशा है कि मान लीजिये देवरिया के किसी डेवलपमेंट जोन में उससे जो आमदनी हो वह उस एरिया में सर्फ की जाय और कम से कम तीन चौथाई रक़म उस एरिया में जरूर सर्फ की जाय। इस सरकार के सामने बहुत से ऐसे काम हैं जिनके जरिये सूबे का उत्थान और सूबे के रहने वालों का उत्थान किया जा सकता है। अक्सर ऐसे मौक़े आ गये हैं। देवरिया में भुखमरी के मौक़े आये क्योंकि लोग गन्ना ज्यादा बोते हैं और ग़ल्ला कम बोते हैं। हर साल और हर छठे महीने भुखमरी की ख़बर आती है। अगर दूसरे ज़िलों से ग़ल्ला वहां न भेजा जाय तो क्या दशा हो, यह आप और हम समझते हैं। इसके कहने की आवश्यकता नहीं है। तो इस बात की आवश्यकता है कि अन्य ज़िलों में अधिक उपजाओ योजना करके उसमें रुपया ख़र्च करके देवरिया ऐसे ज़िले में जब कभी दुर्घटना आजाय तो उसकी सहायता की जा सकती है। लिहाजा वह जरूरी अंग है और उसमें भी रुपया ख़र्च किया जाना चाहिये। सरकार ने जो सेस पाया है वह भी सूबे के कामों में ख़र्च किया है जिससे जहां कमी हो वहां उनकी मुसीबत को जिस हद तक दूर किया जा सकता है किया जा सके। इसलिये अगर हम यहां पर तीन चौथाई की तरमीम मान लें तो भगवान न करे ऐसे मौके आयें लेकिन खुदा न ख्वास्ता ऐसा मौक़ा आये तो हमें देवरिया ऐसे ज़िले के लोगों की जो बेचारे हमेशा परेशान रहते हैं उनकी सहायता कर सकते हैं। अभी सैलाब आ गया था और जिसका ज़िक्र अभी हाल ही में इसी असेम्बली में हमारे माननीय दोस्त ने किया भी था। तो उन परिस्थितियों को मोट करने के लिये हम क्या उद्योग करेंगे और कैसे करेंगे। हमको तो कुछ न कुछ करना ही है ताकि हमारे पास इतना पैसा हो कि हम इन परिस्थितियों का मुक़ाबिला कर सकें। तीन चौथाई की तरमीम रिज़र्व कर के १ चौथाई जोड़ कर तो ऐसे काम कभी पूरे नहीं किये जा सकते। और इस तीन चौथाई की तरमीम को मान कर आप अपना हाथ क्यों बांधना चाहते हैं। अगर हम कभी किसी वक्त और रुपयों का प्रबंध करें और यह मुनासिब समझें कि देवरिया ज़िले के डेवलपमेंट में सारा रुपया सोलहों आने खर्च कर दिया जाय तो इस तरमीम के बाद हम सोलहो आने नहीं ख़र्च कर सकेंगे। सिर्फ १२ आने ही ख़र्च कर सकते हैं। लिहाजा इस नुक्ते ख्याल से इस तरमीम से हमारा हाथ क्यों बांध देना चाहते हैं और हमारे मित्र अपना भी हाथ बांध लेंगे और इससे वहां के लोगों का नुक्सान हो सकता है। ऐसा क्यों सोचा जाता है? कभी यह सरकार उस १६ आना आमदनी को भी वहां पर खर्च करने के लिये तैयार हो सकती है। ऐसा मौका आ सकता है कि वह सारी रकम किसी काम में लगा दी जाय। इसके साथ साथ गन्ने के विकास के लिये कुछ ऐसी योजनायें होती हैं कि जो सारे सूबे को देखकर, गन्ना एरिया को देखकर बनायी जाती हैं। उनको पूरा करने के लिये किसी एक खास एरिया को नहीं लिया जाता है। मान लीजिये कि हम यह

[श्री हुकुम सिंह]

चाहते हैं कि किसी एरिया के लिये सिंचाई के लिये नहर बनायें जिस एरिया में आबपाशी की कमी है। तो वहां विकास करने के लिये यह जरूरी है कि नहर बनायी जाय। तो वह नहर किसी एक एरिया के लिये नहीं होगी वह तो बहुत बड़े एरिया को कवर करेगी। अगर हम देवरिया के लिये कोई नहर बनायें तो वह देवरिया और गोरखपुर को भी कवर करेगी। किसी भी कैनाल के बनाने में काफी खर्च करना पड़ता है तो इस डेवलपमेंट के काम के लिये कहां से रुपया आयेगा ? इसके अलावा प्लान्ट प्रोटेक्शन में भी खर्च होता है और उसके रिसर्च में खर्च पड़ता है क्योंकि उसके लिये रिसर्च स्टेशन खोलने पड़ते हैं। यह इस तरह के काम हैं कि इनमें काफी खर्च करना पड़ता है। लिहाजा तीन चौथाई रिजर्व कर दें तो यह काम नहीं चल सकता है एक चौथाई में यह काम होना बहुत मुश्किल है। इसलिये इस बंदिश को रखने की जरूरत नहीं है और इस बंदिश के रखने से अड़चन पड़ सकती है। देखने से यह मालूम होता है कि ३/४ रिजर्व हो गया लेकिन अगर किसी स्थान पर कैनाल खोदने की जरूरत पड़ी तो गोरखपुर और देवरिया में कुछ हिस्सा बस्ती का भी आ सकता है तो उसमें एक लंबी रकम खर्च करनी पड़ेगी। उसका इन्तजाम कैसे होगा यह विचारणीय प्रश्न हमारे सामने रह जाता है। इसलिये डेवलपमेंट के लिये मैं यह बात कहना चाहता हूं कि सरकार कभी खर्च करने में कोताही नहीं करेगी। जो भी हमारे बड़े काम हैं उनको पूरा करने में जितना सरफा होगा उसको सरकार करेगी क्योंकि डेवलेपमेंट करने से हमारे सूबे का भला होगा इसमें हमारा और आप सब का इन्टरेस्ट है। अगर इस गन्ने का डेवलपमेंट नहीं होता तो और देशों के मुकाबिले में हम पीछे रहेंगे। उनसे हम कभी कम्पीट नहीं कर पायेंगे। लिहाजा इसमें सरकार का इन्टरेस्ट है और सब का इन्टरेस्ट है इस वजह से इसके लिये काफी रकम खर्च किये जाने की जरूरत है।

पिछले जमाने में क्या हुआ इसका जिक्र करने की मैं जरूरत नहीं समझता क्योंकि हर समय परिस्थितिवश काम हुआ करता है। हमेशा जब योजनायें बनती हैं उनको पूरा करने की कोशिश की जाती है लेकिन बाज ऐसे अनफोरसीन काजेज आ जाते हैं कि जिनकी वजह से हमारे इरादे पूरे नहीं होते। सरकार का और हम सब का इरादा है कि विकास किया जाय और इसी कारण से यह विधेयक यहां पर लाया गया है। इसमें इस बात का प्राविजन रखा गया है कि उसके लिये एक डेवलपमेंट कौंसिल कायम की जाय और उसका ध्येय यही है कि गन्ने का विकास किया जाय। इस बात को रखने से यह साफ जाहिर है कि हमारी और आपकी यह इच्छा है कि जिस तरह से भी डेवलपमेंट हो सके और जितना रुपया सरफ करने की जरूरत समझी जाय वह सरफ किया जाय। किसी किस्म की कोताही करने की सरकार की इच्छा नहीं हो सकती है। लिहाजा इस तरमीम को पेश करके अपने और सरकार के हाथ बांधना सर्वथा नामुनासिब है।

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय गेंदासिंह जी ने इस भवन के सामने पेश किया है मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मैंने माननीय मंत्री जी की बात बड़ी गम्भीरता पूर्वक सुनी। इस ओर से जो कुछ संशोधन में कहा गया है उसके बारे में तो माननीय मंत्री जी ने यह अवश्य माना कि जो हम लोगों की तजवीज है उसकी वजह से हमारे हाथ बंध जायंगे और यह हो जायगा कि दूसरे काम के लिये खर्च करने को हमारे पास नहीं रह जायगा। मगर अभी तक का हम लोगों को जो अनुभव है हम लोगों से जो टैक्स लिया जाता है वह जिस नाम पर लिया जाता है वह उस काम पर खर्च नहीं होता है। इसी वजह से यह संशोधन है। और इसी वजह से हम सरकार से यह कहना चाहते हैं कि जनता पर टैक्स लगाया जाता है और जनता टैक्स देने से प्रसन्न नहीं होती, लेकिन अगर टैक्स किसी मकसद से लिया जाता है और उसके ऊपर वह रुपया वसूल किया जाता है तो टैक्स देने वाले को बार नहीं होता और साथ

ही साथ जिस चीज के लिये वह टैक्स लिया जाता है उसी में वह उपयोगी साबित होता है। हम चाहते हैं कि इसी काम में इस टैक्स का अधिक हिस्सा खर्च किया जाय और यही उद्देश्य इस संशोधन का है कि अगर ईख पर सरकार टैक्स लेती है तो उस का दो तिहाई ईख की तरक्की और विकास के लिये रिजर्व कर दिया जाय। मैं नहीं समझता कि इसमें सरकार को क्या आपत्ति है और मंत्री जी इसको क्यों नहीं मानते। जब मंत्री जी यहां यह कहते हैं कि हमारा आपका मकसद एक ही है और डेवलपमेंट सब चाहते हैं और शुगर बोर्ड के द्वारा डेवलपमेंट चाहते हैं तो इस को मानने में हर्ज क्या है। हम नहीं कहते कि सरकार ईख के विकास के लिये दूसरी जगह से टैक्स लावे, हम तो कहते हैं कि हमारा रुपया जो ईख से लिया जाय वह उसी के डेवलपमेंट पर खर्च किया जाय, इसमें क्या बेजा बात हम कहते हैं। अगर सरकार इसको नहीं मानती तो मैं अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा बहुत ही अदब से कहना चाहता हूं कि सरकार जिस काम को कहती है और दिखलाती है वह स्वयं जनता को भ्रम में डालती है। हमें भ्रम होता है कि आप कहते तो यह हैं कि हम डेवलपमेंट करने जा रहे हैं और अगर आप रिजर्व नहीं करते तो हमें भय है कि आप इस रुपये को दूसरी जगह खर्च करेंगे और इसीलिये आप हमारे संशोधन को नहीं मानते हैं। मंत्री जी के भाषण से मालूम हुआ कि वह कहते हैं कि हमें आप सीमित क्यों करते हैं मुमकिन है कि हमें देवरिया ही में कभी पूरा रुपया खर्च करने की जरूरत पड़े और उस हालत में हम बंध जायंगे। मैं साफ कहना चाहता हूं कि ऐसी भुलावे की बात में अब हमें न डाला जाय और हम दो तीन साल से सरकार की इसी तरह की भुलावे की नीति देख रहे हैं कि जो कर जिस चीज पर लिया जाता है वह वहां उस पर खर्च नहीं किया जाता है बल्कि दूसरे साधनों और स्कीमों पर खर्च किया जाता है और इस चीज से हम टैक्स देने वालों को बड़ा दुख होता है और अगर टैक्स जिस मकसद से लिया जाय उसी पर उन्हीं के लाभ के लिये खर्च हो तो हमें कम दुख होगा। इसलिये मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस संशोधन को स्वीकार करेंगे और तभी हमारा भ्रम दूर हो सकता है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से माननीय श्री गेंदा सिंह जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। सर्व प्रथम मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि हम सेस की आवश्यकता और परिभाषा को जानना चाहते हैं। जब सब से पहले माननीय मंत्री जी ने और इस प्रदेश की सरकार ने इस सेस को लगाने का फैसला किया था और जब बिहार और इस प्रदेश की सरकार का मिलाजुला फैसला इस बात का हुआ था और जब कि इंडियन शुगर केन रिसर्च कौंसिल की सिफारिश पर और भारत सरकार की सिफारिश पर और कुछ चीनी उद्योग के वैज्ञानिकों की सिफारिश पर यह सेस लगा था उस वक्त इसकी प्रस्तावना और भूमिका क्या थी? क्या यह सही नहीं है और क्या इससे मंत्री जी इनकार कर सकते हैं कि उस वक्त केवल एक ही आश्वासन दिया गया था कि गन्ने के क्षेत्र में गन्ने की विभिन्न किस्मों के विकास और रिसर्च के काम के लिये यह कर लगाया जा रहा है और उसी आश्वासन पर प्रांत की जनता और गन्ना उत्पादकों ने और चीनी मिलमालिकों ने एक मत से यह कर देने के सिद्धांत को स्वीकार किया था और यही सरकारी रिपोर्ट भी थी। तो श्रीमन्, मैं जानना चाहता हूं और सरकार की नैतिकता के संबंध में यह भरोसा नहीं कर सकता कि सरकार की कोई नैतिकता नहीं होती। मैं समझता हूं कि राजनीतिक नैतिकता और सरकार की नैतिकता में हमें कोई विभेद दिखलायी नहीं देता। तो जब हम जनता से किसी कर को देने को कहते हैं तो हमें उसी योजना में खर्च भी करना चाहिये। इसी संबंध में माननीय गेंदा सिंह जी ने कमेटी की रिपोर्ट का हवाला दिया और मैं उसके अधिक ब्योरे में जाना नहीं चाहता लेकिन मैं टैरिफ बोर्ड ने

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

सन् १९५० में जो सिफारिश की है, उसका उद्धरण करना चाहता हूं ताकि माननीय मंत्री जी को मालूम हो जाय कि खासकर यू० पी० के लिये इसमें क्या कहा गया है :

"The Provincial Government should contribute much larger sums from the collections of cane cess than they had hitherto done, because the benefit of research and development will be mostly derived by the provinces.

Taking the latest year 1948-49 we find that the estimate of cess collections in U. P. is Rs. 312 lakhs and estimate of expenditure only Rs. 37 lakhs. The Board had therefore recommended that the rates of cess be reduced to one anna six pies per maund and its proceeds to be utilised exclusively on cane development work."

यू० पी० के केन सेस के संबंध में टैरिफ बोर्ड का यह कहना है। माननीय मंत्री जी ने एक दलील दी अगर सब रुपया इसमें लगा देंगे तो दूसरे कामों के लिये रुपया कहां से लायेंगे ? विकास परिषद् के उद्देश्य को यदि माननीय मंत्री जी पढ़ें तो उन्हें मालूम होगा कि एक उद्देश्य की केवल कमी रह गयी थी वह भी ख्वाजा साहब ने पूरी कर दी। गन्ने के संबंध में जितने विषय हैं, सड़कें, सिंचाई, ट्यूबवेल, सब विषय जिनसे गन्ने की खेती की वृद्धि हो सकती है सब विकास परिषद् के उद्देश्यों में सम्मिलित हैं। इसके बाद यह कहना कि और कामों के लिये रुपया कहां से आयेगा यह मेरी समझ में नहीं आता।

एक चीज और है। एक सेस गन्ने पर प्रांतीय सरकार लेती है और दूसरा सेस केन्द्रीय सरकार शकर पर लेती है। कई सालों से इस पर शिकायत होती चली आयी है और प्रांतीय सरकार ने खुद केन्द्रीय सरकार से शिकायत की कि शुगर के इक्साइज में हमें एक बड़ा हिस्सा मिलना चाहिये क्योंकि जितना गन्ना पैदा होगा उतनी ही शकर पैदा होगी। तो एक तरफ से प्रांतीय सरकार खुद कहती है कि हमें एक्साइज का हिस्सा मिलना चाहिये और फाइनेंस कमीशन के सामने यह सरकार गवाही देती है कि हमें सेंट्रल इक्साइज का बहुत बड़ा हिस्सा मिलना चाहिये, दूसरी तरफ वही सरकार इस मामले में इस सिद्धांत को भूल जाती है और सेस के हिस्से को यहां खर्च में नहीं लाती। इस साल तीन करोड़ रुपया सेंट्रल इक्साइज का आप को मिला है उसके लिये आपने क्या सोचा है ? माननीय मंत्री जी को गेंदा सिंह जी का शुक्रगुजार होना चाहिये कि उन्होंने माननीय मंत्री जी को, इस सरकार को साफ कर दिया और अपने संशोधन में यह नहीं रक्खा शुगर केन एक्साइज डेवलपमेंट कौंसिल को दे दिया जाय। तब तो माननीय मंत्री और शिकायत करते तो माननीय गेंदा सिंह जी ने थोड़ी आपको छूट दे दी है कि सेंट्रल इक्साइज से जो रुपया मिलता है उसको और जगह लगा दें, लेकिन बराय मेहरबानी जो केन सेस से मिलता है उसको तो गन्ने पर खर्च कीजिये। अगर मंत्री जी ने इसे किया है तो हमको आंकड़े बतलायें, बड़ी वाह वाह है। आयें मंत्री जी और बतलायें कि उनके डिपार्टमेंट का इस साल प्रपोजल क्या है। अगर उसका तीन चौथाई खर्च करना नहीं चाहते हैं तो बतलायें कि कितना खर्च करना चाहते हैं, ५० फीसदी करेंगे, २५ फीसदी करेंगे ? कुछ तो अनुपात कीजिये, कुछ तो सीमांकन कीजिये कि आखिर कितना रुपया खर्च करने जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, यह कोई समय का विपर्याय न होगा अगर मैं माननीय मंत्री जी को बतलाऊं कि जावा में हमारे प्रदेश का पांचवां हिस्सा ऐसा है जहां शुगर केन लगाया जाता है। यानी जितना एवरेज यहां पर है उसका १/५ वहां है लेकिन यहां से १० गुना खर्चा सेस के जरिये ही नहीं बल्कि सरकार और ग्रांट करती है शुगर रिसर्च डेवलपमेंट के लिये। मैं दत्ता साहब के कुछ विचार यहां पढ़ना चाहता हूं :

"In six years from 1944-45 only about Rs. 92 lakhs was spent on Research which works out to an acreage of about Rs. 15.5 lakhs per year. The land under sugar-cane cultivators in India being about 37 lakh acres, the average

expenditure per acre works out to approximately Rs. 0-6-0 per acre only as against Rs. 12 per acre spent by Hawaii on research, Rs. 3 per acre by Java and Rs. 3 per acre by Japan. It is such enormous expenditure which accounts for the .....of the sugar Industry."

तो उन्होंने कारण बतलाये हैं कि इतना खर्चा होने के कारण वहां अच्छी बैरायटी है और इतना अधिक वहां पर विकास का कार्य होता है। माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में माननीय गेंदा सिंह से खर्चे के आंकड़े जानने चाहे। ४ साल के मेरे पास आंकड़े भी लिखे हुये हैं कि किस प्रकार उन्होंने इसका खर्चा किया।

सन् ४४–४५ में १११ लाख रुपया सेस से वसूल हुआ जिसमें से २५७ हजार रुपया खर्च किया गया और १०९ लाख जमा कर लिया।

१९४५–४६ में ९३,६३ हजार मिला और १,९३ हजार खर्च किया गया।

१९४६–४७ में ८७,०५ हजार रुपया वसूल हुआ और १,१७ हजार खर्च किया गया। यानी केवल एक परसेंट खर्चा हुआ है सेस से।

१९४७–४८ में १,८६ लाख वसूली हुई और बिलकुल सिफर खर्चा हुआ। यानी इस सेस के रुपये में से कोई खर्चा नहीं किया गया।

१९४८–४९ में ३,१२ लाख आमदनी हुई और खर्चा है ३७,८० हजार।

१९४९–५० में वसूली हुई २,१४ लाख और खर्चा हुआ ४१,४० हजार।

तो यह सब माननीय मंत्री जी की रिपोर्ट्स हैं केन कमिश्नर के दफ्तर की निकली हुई। इसलिये जब माननीय मंत्री अबवाब तो ले रहे हैं, सेस वसूल करना चाहते हैं तो आखिर उनको इतनी कृपा तो करनी चाहिये और विचार करना चाहिये कि क्या कारण है कि इस रुपये को जो सेस से मिलता है केन डेवलपमेंट में न लगायें।

हमारे प्रदेश में ३ जोन हैं। पूर्वी जोन, सेंट्रल जोन और पश्चिमी जोन। इन तीनों में डेवलपमेंट की अलग-अलग स्थिति है। पूर्वी जिले में जो गन्ने का डेवलपमेंट होना है वह बहुत जरूरी है जहां कि केवल २८ हजार कुल क्रशिंग कैपेसिटी है और उनको भी सरकारी आंकड़ों के अनुसार साढ़े चार करोड़ मन गन्ना मिल सका है। तो पूर्वी जिलों में तो खास तौर से इस बात की आवश्यकता है जोकि पश्चिमी क्षेत्र से बहुत पिछड़ा हुआ है कि वहां गन्ने के डेवलपमेंट के लिये, विकास के लिये और रिसर्च के लिये और ज्यादा रुपया खर्च किया जाय। दत्ता साहब की रिपोर्ट में इस बात की आवश्यकता बतलाई गयी है कि यू० पी० में जहां डेवलपमेंट का काम हुआ है वहां गन्ने की बीमारियों को रोकने के लिये कोई काम नहीं हुआ है और यहां का माईकालाजिकल सेक्शन बड़ा कमजोर है और उनकी सिफारिश थी कि शाहजहांपुर रिसर्च इंस्टीट्यूट में १० गुना वृद्धि की जाय ताकि जो गन्ने की बीमारियां हैं, रेडर रोट है, रेडराट है, इस प्रकार की जो बीमारियां हैं उनको खत्म किया जा सके। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि कितना रुपया उन्होंने खर्च किया पूर्वी जिलों में आखिर जब हमारे विद्वान् लोग सिफारिश करते हैं कि सेस का रुपया इस तरह खर्च किया जाय तो माईकालाजिकल सेक्शन को बढ़ाने की आवश्यकता और सीजन को बढ़ाने की आवश्यकता, गन्ने की पैदावार को बढ़ाने की आवश्यकता, यह सब बातें हम को इस बात के लिये प्रेरित करती हैं कि हम इस बात की मांग करें और सदन इस बात की मांग करे कि बिना किसी प्रकार की ढील किये सरकार इस बात का आश्वासन हमको दे कि सेस का रुपया बिलकुल हम लोगों के विकास में ही खर्च होगा। और माननीय गेंदा सिंह जी ने तो १/४ की फिर भी छूट दे दी है, ३/४ उन्होंने रखा है? जब कि माननीय गेंदा सिंह जी को इस बात की मांग करनी चाहिये थी कि सारे का सारा रुपया इसमें लगना चाहिये। उन्होंने १/४ तो गवर्नमेंट को वैसे ही दे दिया। ३/४ जो कि मिनिमम है उसमें तो सरकार को कोई अड़चन नहीं होनी चाहिये और यह किसी एक हिस्से की मांग नहीं है बल्कि यह

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

प्रांत के समस्त गन्ना उत्पादकों की, गन्ना उत्पादकों के फेडरेशन की, उत्पादकों की सोसाइटियों की और मिलमालिकों के असोसियेशनों की एक मिली जुली मांग है जो कि एक समय की पुकार है ।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने महाराजा जगमनपुर को बड़े ध्यान से सुना.....

राजा वीरेन्द्र शाह—महाराजा तो अब आप ही हैं ।

श्री अध्यक्ष—उनको महाराजा शब्द पर आपत्ति है ।

श्री रामनरेश शुक्ल—जगमनपुर साहब के भाषण को बड़े ध्यान से सुना । उन्हें कुछ याद आ गई अपनी पुरानी और वह इस बात की याददाश्त थी कि आज के उद्योग मंत्री पिछले दिनों में मालमंत्री थे और शायद आज की बात तो नहीं, वह पिछले दिनों की याद कर रहे थे कि वह अब उनके भुलावे में नहीं आ सकते हैं और यह उनके द्वारा उचित ही था कि कल के माल मंत्री जी ने जिस प्रकार से जमींदारी का उन्मूलन किया हंस हंस के, राजा साहब को इसकी याद आना जरूरी है । लेकिन मुझे सबसे बड़ा ताज्जुब इस बात पर हुआ राजा साहब से तो इस बात की उम्मीद थी लेकिन ताज्जुब इस बात का हुआ कि उनकी बगल में बैठने वाले दूसरे सदस्य तिवारी जी को क्या शिकायत हो गई और उन्होंने अन्त में अपनी पुकार यह की कि यह पुकार मिलमालिकों की है, गन्ना के उत्पादकों की और सारे जमाने की है और पूर्वी जिलों की है । लेकिन क्या मैं उनसे पूंछ सकता हूं कि सारा बजट जो है अगर किसी सारे मुहकमे के खर्चे को आप एक ही मुहकमें में खर्च करना चाहते हैं, सरकारी खर्चों को और सरकारी आमदनी को अगर यह तय कर लिया जाय, वाटर टाइट कम्पार्टमेंट मुकर्रर कर दिया जाय कि इस मुहकमे का खर्चा यहीं होगा और जहां से आमदनी है वहीं होगा तो मेरी समझ में यह सरकार चलाना असंभव हो जायगा । कल यह भी कुछ लोग कह सकते हैं कि जिन क्षेत्रों में नहरों की आमदनी होती है वह सारी की सारी नहर की आमदनी जो है आया तो नहर खोदने में खर्च की जाय और यदि कुछ बच जाय तो उसी क्षेत्र में खर्च की जाय । इसी प्रकार और भी बहुत सी आमदनी है जो किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित हुआ करती है । मैं उदाहरण के लिये अध्यक्ष महोदय, जंगलों का भी उदाहरण दे सकता हूं । यदि यह माना जाय कि जंगलों की जो आमदनी हो वह माननीय मंत्री जी केवल जंगल पैदा करने में खर्च करें और यदि उससे बच जायं कहीं नैनीताल, गढ़वाल और अल्मोड़ा में जंगल उगाने से तो जो खुली जगह है वह भी जंगल कर दी जाय तब फिर उसका खर्चा केवल उन्हीं क्षेत्रों में हो सकता है, यह लाजिक समझ में नहीं आयी । मैं तो अध्यक्ष महोदय, इसे उस मनोवृति का परिचायक समझता हूं जो कि प्रांतीयता के आधार को ही नहीं बल्कि उससे और जरा सा नीचे जा करके जोनल तरीके से चीजों को समझती है । जोनलिज्म उसे कहा जा सकता है । अध्यक्ष महोदय, यह प्रवृत्ति बड़ी भयंकर है देश और राष्ट्र के लिये और मैं आपके द्वारा आगाह करना चाहता हूं इस सदन को कि इस प्रवृत्ति का यदि प्रोत्साहन हुआ तो हमारे राष्ट्र को बड़ा खतरा है । मैं माननीय मंत्री जी से यह कहूंगा कि जहां तक हो सके वे इस संशोधन पर जरा सा भी ध्यान न दें बल्कि उसको इस बात का सबूत समझें कि इससे देश और कौम कमजोर होगी । सरकार में कभी एक ही मद में खर्च नहीं हो सकता है । मैं इन शब्दों के साथ इस संशोधन का घोर विरोध करता हूं ।

श्री मलखान सिंह (जिला अलीगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके जरिये मैं अपनी तरफ बैठे हुये भाइयों से यह कहना चाहता हूं कि जो बार बार सरकार की तरफ मुखातिब हो करके वह यह बात करते हैं कि वे किसी खास रकम को जिस जरिये से वसूल करते हैं उसी में खर्च करें, यह उनका वन में रोना है । जैसा कि अभी हमारे भाई शुक्ला जी

ने कहा कि यह जोनल प्रवृत्ति पैदा करना बहुत ही खतरनाक है। मैं उदाहरण के रूप में आपके सामने वाकयात की एक मिसाल दूंगा कि सिकन्दराराऊ म्युनिसिपैलिटी के अन्दर, जिसका संबंध गांवों से कुछ नहीं है, दो स्टेशन वैगन खरीदे जाते हैं दस दस हजार रुपये में और उनका इस्तेमाल किया जाता है देहातों में दस गुना वसूल करने के लिये सरकार के पास जब शहर के रहने वालों की शिकायतें आती हैं कि शहर का रुपया इस तरह से देहातों में क्यों बरबाद किया जा रहा है तो आप को ताज्जुब होगा कि कमिश्नर, कलेक्टर और माननीय मंत्री जा करके उसी चेयरमैन को अपनी तरफ से इनाम देते हैं और इनाम में उनको एक रिवाल्वर भी सुपुर्द कर दिया जाता है। यह इनाम इस बात का दिया जाता है कि उन्होंने चुंगी का रुपया इतनी बुरी तरह से देहातों में जा कर खर्च कर दिया। मुझे अपने साथियों से यह कहना है कि वे कभी इस बात का भरोसा न करें कि जो सरकार उधर बैठी हुई है वह कभी इस बात का ख्याल करेगी। वह जायज और नाजायज जिस तरीके से जहां जो रुपया खर्च करना चाहेगी करेगी और कभी आप से नहीं पूछेगी। माननीय मंत्री महोदय ने लुभावने शब्दों में यह कह दिया कि गेंदा सिंह जी गलती कर रहे हैं जो तीन चौथाई रकम हम से मांग रहे हैं। अगर कभी कोई ऐसा वक्त आ गया कि पूरे का पूरा सोलह आने हम उनके लिये खर्च कर दें तो फिर हमारे हाथ बंध जायेंगे और हम बारह आने ही खर्च कर सकेंगे? पूरा नहीं खर्च कर सकेंगे क्या धोखे में डालने वाली बात कही। मुझे तो बड़ा तरस आता है माननीय मंत्री महोदय की बुद्धि पर। जहां पर २० करोड़ रुपया उन्होंने सेस में इकट्ठा किया वहां उन्होंने यह अंदाजन भी नहीं बताया कि इतने लाख रुपया हमने डेवलपमेंट में खर्च किया है। उसको उन्होंने गोल मोल शब्दों में बता दिया कि अगर हमसे पहले से पूछा जाता तो हम बता सकते थे। हां, यह कह सकते हैं कि पूरा रुपया हमने उस पर खर्च नहीं किया। इसका मतलब आप क्या समझे? जो बगैर पढ़े लिखे लोग हैं वे यही समझेंगे कि २० करोड़ यह कह रहे हैं, अगर २० करोड़ रुपया नहीं खर्च किया है तो ऐसा मालूम होता है कि १८ करोड़ तो खर्च ही कर दिया होगा। मैं माननीय मंत्री जी से यह कहूंगा कि यह जो प्रवृत्ति है कि कहीं से आप आमदनी करें और कहीं दूसरी जगह जा कर के खर्च करें यह प्रवृत्ति जोरों के साथ रोकनी चाहिये और इस सदन में जो आये हुये सदस्य हैं उनको भी रोक लगानी चाहिये। उन्होंने फिर यह कहा कि अगर देवरिया में अकाल पड़ जाता है, बाढ़ आ जाती है या और कोई बात हो जाती है तो इन सबके लिये हम कहां से खर्च लायेंगे। साफ शब्दों में आप अगर ऐसा कहते हैं कि हमने सेस से २० करोड़ रुपया इकट्ठा किया और १० करोड़ रुपया खर्च कर दिया तब तो बात समझ में आती। वहां तो आप हिसाब ही नहीं देना चाहते हैं। यहां पर आज कही जाती तो ऐसी बातें हैं। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके जरिये से माननीय मंत्री जी की सेवा में यह कहना चाहता हूं कि इस तरह से भूल भुलैया में डालने से काम नहीं चलेगा। सीधे तौर से सवाल को हल करने के लिये उन्हें तैयार होना चाहिये और अगर आप नहीं तैयार होते तो आपको दूसरे की सही बात मानने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिये। मेरी तो कभी इच्छा नहीं है कि मैं यहां पर खड़े हो करके बोलूं लेकिन मजबूरी हालत में जब कि मैं यह देख रहा हूं कि इस तरह हर एक बात में अड़ियल पने की बात की जाती है, अड़ियल शब्द को मैं समझता हूं कि पार्लिमेंटेरियन ही है तो मैं कहना यह चाहता हूं कि इस तरह अड़ियल बाजी की नीति से माननीय मंत्री महोदय जी को काम नहीं लेना चाहिये। जो सही बात कही जाय उसे स्वीकार करने में उन्हें कोई भी आनाकानी नहीं करनी चाहिये। उन्होंने यह भी कहा था कि साहब वह जो सभापति जिनको कि केन कमिश्नर चुन देंगे उनके ऊपर रोक होनी चाहिये कि वह मनोनीत सभापति आंकड़े रखे। जिसको कि हमारे केन कमिश्नर साहब सभापति कर देंगे वही होगा फिर अब उस रकम को जो कि डेवलपमेंट के कार्य में खर्च करने के लिये होगी उसके वह आंकड़े पेश करे। एक मसल है मैं आपको बताऊं "भैंस के आगे बीन बजावे, भैंस खड़ी पगुराय।" वही चीज आती है। इसलिये मैं अपने साथियों से कहूंगा कि वह बहुत

[श्री मलखान सिंह]

ज्यादा इस पर लम्बा चौड़ा व्याख्यान देना बन्द कर दें और अपनी एक मामूली रीजनिंग वाली बात करें और उसे उनकी मर्जी पर छोड़ दें क्योंकि उनको तो हर समय इस बात का एक गर्व है कि हमारे साथ तो यसमेन हैं। और मेरे एक भाई ने परसों के दिन कह भी दिया था कि जब हमारे माननीय मंत्री महोदय ने कह दिया है तो अब आपके बोलने से क्या फायदा है। हमारे एक कांग्रेसी भाई ने साफ शब्दों में यहां पर कहा कि हम तो समझ रहे हैं कि कितनी सही बात है जब कि माननीय मंत्री ने कह दिया। मैंने देखा कि हमारे मुजफ्फरनगर के एक साथी वर्मा जी का एक संशोधन था और हमारे त्रिपाठी जी ने भी रखा था कि एक और तीन रखें और वर्मा जी ने रखा था कि दो और तीन रखें चूंकि वह उधर हैं और अनुशासन में बंधे हुये हैं इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि यह तो बहुमत के बल पर किसी की सुनने वाले नहीं, आखिर ठोकर खाकर के गिरेंगे। इसलिये मैं अधिक कुछ न कह कर इन्हीं शब्दों के साथ जो अभी माननीय गेंदासिंह जी ने संशोधन रखा है उसका समर्थन करता हूं और आशा नहीं करता कि हमारे माननीय मंत्री जी उसे स्वीकार करेंगे।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)---मैं क्लोजर मूव करता हूं।

श्री अध्यक्ष--- अभी नहीं।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)---अध्यक्ष महोदय, माननीय गेंदा सिंह जी ने और उनके दूसरे साथियों की विकास की भावना का आदर करते हुये और उनके साथ हमदर्दी रखते हुये भी मुझे दुःख है कि मैं उनके अमेंडमेंट से सहमत नहीं हो सकता। मेरे पास उसके लिये बहुत जबरदस्त कारण हैं और मैं समझता हूं कि अगर माननीय सदस्यों के सामने वह रीजन्स पुटअप कर दिये जावेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि सारे सदन का मत मेरे साथ होगा। अगर इस प्रकार की विचारधारा और भाव किसी और पार्टी की ओर से आते तो मुझे दुख नहीं होता। परन्तु सोशलिस्ट पार्टी जो कि आज अपने को इस मुल्क में आर्गनाइज करने जा रही है, जो आज इतनी इच्छुक है कि ट्रेजरी बैंचेज पर बैठ कर इस स्टेट के अन्दर हुकूमत करे और इसके लिये हर प्रकार का प्रयास कर रही है, अगर उस पार्टी ने बुद्धि से काम लिया होता तो इस प्रकार का अमेंडमेंट कभी सदन में नहीं आना चाहिये था? मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी इस यू० पी० की स्टेट के अन्दर कम से कम ३ करोड़ व्यक्ति ऐसे हैं जिनके पास जिन्दगी का कोई व्यवसाय या कोई जरिया नहीं है। क्या आप उन गरीबों के विकास को नजरअन्दाज करना चाहते हैं?

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
१२ अगस्त, १९५३।

नत्थी 'क'

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ १५१ पर)

कानपुर की सूती मिलों की तरफ से नार्दर्न इंडिया इम्प्लायर्स एसोसियेशन द्वारा सरकार को सरकारी विज्ञप्ति सं० यू०-३४७ (एल० एल०)/३६-ब, दिनांक ११ जून, १९५३ के सम्बन्ध में दिये गये आश्वासन की प्रतिलिपि:—

"That we shall not take any action to affect rationalization or re-organisation in terms of the schemes we have submitted to Government without the previous permission of the Labour Commissioner or an Officer authorised by him in this behalf. In the event of any such changes being made without such permission as aforesaid, we agree to restore the STATUS QUO ante in the Departments concerned if the Labour Commissioner or an Officer authorised by him in this behalf so directs."

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी० एस० यू० पी० ए० पी०-६१ एल० ए०-१९५३-८५० ।